खण्ड-358, अंक-7
शुक्रवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1904
(27 अगस्त, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..1105–1109
प्रश्नोत्तर	..1111–1199
जनपद गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लेवी सीमेन्ट के वितरण में किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा रिकार्डों को जलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1170
ग्राम बिसौर, जनपद बिजनौर में हरिजनों की हत्या एवं आगजनी तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1170–1171
आई0 टी0 आई0 लिमिटेड मजदूर संघ रायबरेली के कार्यालय को पुलिस द्वारा जबरन खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1171–1172
ग्राम तुलसी के पुरवा, चौकी अहमदपुर, जिला बाराबंकी में पुलिस की पिटाई से श्री सत्तन नामक हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1172
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1172–1174
अलीगढ़ निवासी श्री राजीव कुमार जीवन (बाल्मीकि) की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 1174
गोरखपुर जनपद के लेहड़ा स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग पर अधूरे बने पुल के निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..1174–1175
उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	.. 1175
उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. 1175
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (आठवां संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. 1175
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ की स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा, 1979–80 (सदन के पटल पर रखा गया)	.. 1176
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1176 ..
वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी की पंचम वार्षि रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1980–81 (सदन के पटल रखा गया)	.. 1176

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1176
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) छब्बीसवां आदेश, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1177
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सत्ताइसवां) आदेश, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	1177
भूतपूर्व गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1177
शिक्षा निदेशक, श्री पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1178-1180
तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	1181-1182
जिला बदायूं के गुन्नौर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	1182-1191
श्री राम गोविन्द द्वारा शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व उनको बोलने का अवसर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1192
यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग गोरखपुर के फर्जी होने एवं धोखाधड़ी से छले गये छात्रों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1192-1196
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1196-1198
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प--(जारी) ..	1198-1207
उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982--(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1207
उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982--(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1208
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982--(विधान परिषद् के संशोधन पर सहमति) ..	1208-1213
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982--(विधान परिषद् के संशोधन पर सहमति) ..	1213-1215
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1215

विषय	पृष्ठ संख्या
आचार्य बिनोवा भावे की शिष्या कु0 मधु की आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्त री एवं दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1216–1225
गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित छात्रों के 30 प्रतिशत प्राप्तांक में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1225–1227
जिला बदायूं के गुन्नौर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	..1327–1228
नत्थी	.. 1229

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 अगस्त, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 377

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयबीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिक्षिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री, (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री ((बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गयासिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)

गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नरायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धरम पाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकेली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पार्वती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)

बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामनगर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राम कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री ((इलाहाबाद))
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)

राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
रामलाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोक मणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी--गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्यामलाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)

सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री उर्फ (मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1982

तारांकित प्रश्न

जिला गोरखपुर में गृह अनुदान वितरण में अनियमितताओं की जांच

*1.—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत वर्ष अहेतुक गृह अनुदान वितरण में गोरखपुर जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ खंड विकास अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि भी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो ऐसे लोग कौन हैं एवं इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

विगत वित्तीय वर्ष 1981-82 में वितरित गृह निर्माण अनुदान आदि में कोई गम्भीर अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर 1981-82 में कोई अनियमितता नहीं पाई गई तो क्या 1980-81 में कोई अनियमितता पाई गई है ? अगर पाई गई है तो वह क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, 1980-81 में कुछ अनियमिततायें पाई गई थीं और उस सम्बन्ध में अभी पिछले शुक्रवार को यहां प्रश्न उठा था, उसमें जो लोग दोषी पाये गये थे उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ खंड विकास अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि भी दोषी पाये गये ? तो मान्यवर, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, वह तो आपने सूचित कर दिया था लेकिन क्या मेरी सूचना को सही मानकर कि उस अनियमितता में कुछ खंड विकास अधिकारी और जन-प्रतिनिधि भी दोषी हैं, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, 1980-81 के वितरण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ खंड विकास अधिकारी भी दोषी पाये गये थे, जो इस प्रकार हैं, खंड विकास अधिकारी सिसवा, खंड विकास अधिकारी, परतावल, खंड विकास अधिकारी घुघुली, खंड विकास अधिकारी, पनियरा, खंड विकास अधिकारी मिठौरा। इनके खिलाफ भी कार्यवाही चल रही है ।

प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहूंगा कि जब प्रदेश में गृह अनुदान अहेतुक सहायता दी जाती है तो यदि उसको पब्लिश

कराया जाय और जनता को जानकारी हो जाये कि हमारे जनपद में किन-किन खंडों में, किन गांवों के किन-किन लोगों को अनुदान मिला है तो यह अनियमितता की शिकायत समाप्त हो जायेगी ? तो क्या माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जब इस प्रकार की दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में सहायता वितरित की जाती है तो वहां पर हमारे यह भी आदेश हैं कि वहां के जो जन प्रतिनिधि हैं उनको स्थान और तारीख सूचित किया जाये और वह किया जाता है । ब्लाक या तहसील में सहायता वितरित की जाती है तो वहां पर जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है और वे अपनी सुविधानुसार जाते हैं । जब सहायता बंट जाती है तो उसकी सूचियां तहसील में उपलब्ध रहती हैं, कोई माननीय सदस्य वहां पर जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न में किसी जन प्रतिनिधि की ओर भी संकेत किया गया है, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह जन प्रतिनिधि कौन हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, किसी जन प्रतिनिधि के खिलाफ कार्यवाही करने या दोषी पाये जाने की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कुछ खंड विकास अधिकारियों ने भी गड़बड़ी की है । मान्यवर, यह गड़बड़ी सामान्य नहीं है, असामान्य है और 5 लाख रुपये से ऊपर की है । घुघुली और पनियरा के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि वहां पर ऐसे लोगों को भी अनुदान दिया गया है, जो कि सीलिंग के मुकदमें भी लड़ रहे हैं । तो इस प्रकार के निश्चित भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने बताया कि कार्यवाही प्रगति पर है । कार्यवाही चल रही है ।

ग्रामों में चकबन्दी हेतु पारित आदेश

*2--जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा हाल ही में ऐसे आदेश पारित किये गये हैं कि जिन गांवों में अभी चकबन्दी हो रही है उन गांवों की कम से कम 8 प्रतिशत भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित की जाये ? एवं प्रदेश के समस्त गांवों में जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए 8 प्रतिशत से कम भूमि उपलब्ध है वहां ऐसी भूमि का आवंटन न किया जाय ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

जी नहीं । सम्प्रति इस प्रकार के कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री जयदीय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पृष्ठ भूमि को देखते हुए कि भूमि का वितरण होने के कारण कमजोर वर्ग के लोगों के सामने समस्या गम्भीर हो गई है। अगर वहां पर कोई नयी विकास योजना जैसे स्कूल आदि के लिए जमीन देना होता है तो कठिनाई हो जाती है तो क्या माननीय मन्त्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्थानों पर चकबन्दी हो रही है उन गांवों में आबादी के पास भूमि पर्याप्त मात्रा में छोड़ी जाये जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रहे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत वहां पर जो चकबन्दी समिति होती है उसको यह जानकारी होती है कि गांव में किन-किन कामों के लिए भूमि की आवश्यकता है उस हिसाब से वह छोड़ी जाती है। हमारे यह भी आदेश हैं कि जो जमीन छोड़ी जाये वह एक जगह पर छोड़ी जाये टुकड़ों में न छोड़ी जाये ताकि उसका उपयोग हो सके, चाहे आवंटन के लिए हो और चाहे किसी दूसरे काम के लिए हो।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, इसी की उपयोगिता को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे आदेश करेंगे कि जिन गांवों में चकबन्दी हो चुकी है और सार्वजनिक कार्य के लिए 8 प्रतिशत से कम भूमि छोड़ी गयी है और वह दूसरे कामों के लिए आवंटित कर दी गई है ? तो क्या माननीय मन्त्री जी उस भूमि को उस आवंटन से मुक्त करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इस प्रकार के पहले आदेश थे कि 8 प्रतिशत सुरक्षित रहेगी वह समाप्त हो गये हैं। अब चकबन्दी कमेटी जिन कामों के लिए चाहती है उनके लिए जमीन सुरक्षित की जाती है।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अभी चकबन्दी कमेटी की बात कही, चकबन्दी अधिनियम में इसको कोई अधिकार नहीं है। सी0 ओ0 और ए0 सी0 ओ0 जो चाहते हैं, करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जमीन सार्वजनिक काम के लिए छोड़ी जाती है उसमें से गरीब और भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन देने में शासन को क्या कठिनाई है ? 8 प्रतिशत न सही, 6 प्रतिशत सही या 5 प्रतिशत सही। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 (क) के अन्तर्गत समिति को पूरा अधिकार है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसको आप पढ़ दें।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, मेरे पास ऐक्ट नहीं है । आप उसको देख लें या माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके पास भिजवा दूंगा । आपने कहा कि कितने प्रतिशत तक छोड़ी जा सकती है तो यह 5 प्रतिशत तक छोड़ी जा सकती है । माननीय सदस्य का आशय यह था कि जो जमीन छोड़ी जाती है वह एक स्थान पर नहीं छोड़ी जाती है अलग-अलग छोड़ दी जाती है जिससे कठिनाई होती है । इस तरह के आदेश हैं कि जमीन एक ही स्थान पर छोड़ी जाये ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, चकबन्दी समिति में गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वहां पर उनकी शक्ति होती है तो उनका यह प्रयास होता है कि कम से कम जमीन खलिहान, घूर, पथनवले के लिए छोड़ी जाये, जिसके कारण भूमिहीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन कामों के लिए अधिक से अधिक जमीन छोड़ी जाये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, स्पष्ट आदेश हैं इन कामों के लिए जैसे खत्ते हैं, खलिहान हैं, श्मशान हैं, इनके लिए अनिवार्य रूप से भूमि छोड़ने के आदेश हैं ।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में चकबन्दी हो चुकी है और नियम 52 का प्रकाशन हो चुका है । उनमें कुछ गांव सभायें ऐसी हैं जहां 8 प्रतिशत जमीन छूटी हुई हैं और कुछ गांवों में 8 प्रतिशत से कम है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गांव-सभाओं में 8 प्रतिशत से कम जमीन छूटी हुई है उसे भूमिहीनों को देने की कृपा करेंगे ?

(राजस्व मंत्री के खड़े होने और उत्तर देना आरम्भ करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । मैंने अभी आपको नहीं बुलाया है । माननीय मंत्रियों को स्वयं नहीं बोलना चाहिए । जब किसी मन्त्री का नाम लिया जाय कृपया वे तभी खड़े हों ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया उसका पालन होगा । जमीन जो कटौती की रखी जाती है और जैसा कि मैंने कहा वहां की आवश्यकतानुसार रखी जाती है । यह निश्चित है कि जो बचत की जमीन है वह भूमिहीनों के लिए छोड़ी जाती है और उसको धारा 52 के प्रकाशन के तुरन्त बाद कर दिया जाता है । अगर वह नहीं हुई है तो वह अनियमित है । अगर कोई इस तरह का गांव हो तो आप उसे हमारे नोटिस में लायें उसको कर दिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि इन-इन कार्यों के लिए भूमि छोड़ी जाती है । मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि वह जमीन नहीं छोड़ी

जाती है, इसलिए क्या वे नियमों और अधिनियमों में संशोधन करने की कृपा करेंगे जिससे कि चकबन्दी अधिकारी बाध्य हो और वह भूमि छोड़ी जा सके ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

ग्राम चिरौली थाना खंडासा के अग्निपीड़ित हरिजन परिवारों को सहायता

*3--श्री मित्रसेन --

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र ग्राम चिरौली थाना खंडासा के सम्पूर्ण हरिजन बस्ती के 15 घरों में दिनांक 3 मई, 1982 को आग लग जाने से नष्ट होने संबंधी पत्र दिनांक 8-2-82 को जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन अग्नि पीड़ित हरिजन परिवारों को अब तक क्या-क्या सहायता दी गई और कितना-कितना गृह अनुदान दिया गया है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

जी हां ।

प्रश्नगत अग्निकांड से प्रभावित 15 हरिजन परिवारों को सहायता के रूप में कुल 1,450 रु0 वितरित किया गया ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरा प्रश्न भी आप देख लें और मंत्री जी का उत्तर भी देख लें । मैंने कहा था कि इस गांव में 15 हरिजनों के मकान जल गये । मान्यवर, आप जानते हैं कि हरिजनों के मकान कैसे होते हैं, वे फूस के होते हैं । यह आग 3 मई को लगी थी जिसमें उनके खेत और खलिहान जल गये थे ।

श्री अध्यक्ष--

आप केवल प्रश्न करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं । ऐसी स्थिति में 15 घरों के जलने में 1,450 रुपये दिये गये जो कि 100 रुपये फी परिवार भी नहीं पड़ा । मैं जानना चाहता हूं कि इन अग्निपीड़ित परिवारों को देने के लिये आपके पास 100 रुपये से ज्यादा पैसा नहीं है तो क्या आप उन्हें गृह अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो सहायता दी गई है वह गृह अनुदान के रूप में दिया गया है या अहेतुक सहायता दी गई, इसकी जानकारी करा ली जायेगी किन्तु मैं मानता हूं कि जो धनराशि दी गई है वह कम है, इसको अधिक होना चाहिए ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सहायता हरिजनों को उनके मकान जो जल गये थे, उनके लिये उन्हें दी गई है उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं यह अनुदान जो शासन द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से दिया जाता है यह बहुत पुराना है । आज की स्थितियों को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी यह अनुदान या अहेतुक सहायता जो दी जाती है उसमें वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय, यह जो प्रश्न है आज के समय में उस वक्त की जो धनराशि थी पर्याप्त नहीं होती है इसको बढ़ाये जाने के लिये विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हरिजनों को जो सहायता दी जाती है बहुत कम है तो इसके आगे यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस संदर्भित प्रश्न में उन हरिजनों को कुछ ज्यादा धनराशि दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय गुप्ता जी का जो प्रश्न है उसके सम्बन्ध में पहले जो प्रश्न हुआ था उसमें आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जायेगा कि जो धनराशि है सहायता को बढ़ाई जाय ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको ऐसे खड़े नहीं होना चाहिये जब तक मैं न पुकारूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा कि जेतली साहब ने प्रश्न किया था वह जनरल था मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि यह जो 15 घर जल गये हैं उनके बारे में जब आप स्वीकार करते हैं कि सहायता कम दी गयी है तो क्या उन 15 परिवारों को और अधिक सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय, इस पर विचार किया जायेगा और उनको गृह अनुदान की सहायता दी जायेगी ।

श्री बदन सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए गृह अनुदान की रकम कम है और इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि दैवी आपदाओं में दो प्रकार की सहायता दी जाती है एक तो गृह अनुदान और दूसरा अहेतुक सहायता । वह अहैतुक सहायता एक सौ रुपये और गृह अनुदान दो सौ रुपये है और कुल मिला कर तीन सौ रुपये है तो क्या इन दोनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय, यह सही है कि एक अहेतुक सहायता है और दूसरी गृह अनुदान की सहायता है । अहेतुक सहायता के लिए जिलाधिकारी के पास पहले से धनराशि दी जाती है अगर कहीं इस तरह की दुर्घटना होती है तो वह तुरन्त वितरण करता है । इसकी मात्रा निर्धारित है उसको बढ़ाने के लिए विचार करने के लिए मैंने आश्वासन दिया है । गृह अनुदान का जहां तक प्रश्न है उसमें स्थिति को देखकर जो शासन आदेश देता है समय-समय पर उसके मुताबिक वह होता है । मैंने उस धनराशि को बढ़ाने के लिए विचार करने के लिए कहा है जो जिलाधिकारी के पास हमेशा रहती है ।

श्री मित्र सेन--

जहां अग्निकांड होता है उसमें नायब तहसीलदार, 25 रु0 तहसीलदार 50 रु0, एस0 डी0 ओ0 100 रु0 और जिलाधिकारी 200 रु0 तक का अनुदान देने का अधिकारी होता होता है और मौके पर नायब तहसीलदार ही जाता है जिलाधिकारी तक सूचना पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी को जो अहैतुक सहायता देने का अधिकार है उसको नायब तहसीलदार ही अगर दे दे तो ज्याद अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि इन परिवारों को जिनके पूरे घर जल गये हैं, मैं स्वयं मौके पर गया था उनके छप्पर और सारा सामान जल गया है तो उसके बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो जिलाधिकारी के पास धनराशि होती है उसमें ऐसा नहीं है कि वह अपने हाथ से ही बांटता है वह पावर दे देते हैं। एस0 डी0 ओ0 तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो जाते हैं वह वितरित करते हैं वह पावर उनको चली जाती है। अब यह जो अधिक धनराशि उनको गृह अनुदान के लिए देने को कह रहे हैं, उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि उस पर विचार कर रहे हैं और यह किया जायेगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जब सरकार की ओर से तय है कि कच्चे मकान के नष्ट होने पर 500 रुपया और पक्के मकान के नष्ट होने पर 1 हजार रुपये दिये जायेंगे, तो इस मामले में उतना गृह अनुदान क्यों नहीं दिया गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों को दण्ड देने और उन हरिजनों को 500 रु0 के हिसाब से गृह अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वह 500 और 1 हजार रुपया तो नहीं है, वह अब कम हो गया है, उसमें संशोधन हो गया है। अब यह गृह अनुदान क्यों नहीं दिया गया इसकी हम जांच करा लेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह 15 परिवारों के घर जले तो क्या सरकार ने उनकी जांच की और जांच की है तो उसमें उनको कितनी क्षति हुई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इसके क्षति की सूचना तो हमारे पास नहीं है लेकिन यह कहा गया है कि उनके मकानों पर छप्पर रखे हुए थे। आग लगी तो छप्पर जल गये और दीवालों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी क्षति का ब्यौरा हमारे पास नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह--

ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं आग गर्मियों में लगती रहती है, उसमें एक तो घर जल जाते हैं और दूसरे खलिहानों में रखी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में सरकार की सुनिश्चित नीति क्या सहायता देने की है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जो अग्निकाण्ड में भुगतान होता है तो शासन की मंशा कोई क्षतिपूर्ति करने के लिए नहीं है कि जितना नष्ट हो गया है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी । केवल उसको तुरन्त सहायता दी जाती है, ताकि कोई भुखमरी की स्थिति न पैदा हो ।

*4—श्री केदार नाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*5—श्री ऊदल—

[12 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य पाये गए तहसीलदारों का प्रत्यावर्तन

*6—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री, कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद् लखनऊ की कार्यालय विज्ञप्ति संख्या 3729/3-टी0 एन0 टी0-37-80, दिनांक 8 जुलाई, 1980 द्वारा प्रदेश के तदर्थ रूप से कार्यरत 48 तहसीलदारों को उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल, 1981 को इसे अवैध करार दिया था ? यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

जी हां । राजस्व परिषद् कार्यालय की प्रश्नगत विज्ञप्ति दिनांक 8 जुलाई, 1980 द्वारा तदर्थ रूप से कार्यरत 48 तहसीलदार जिन्हें लोक सेवा आयोग में वर्ष 1979-80 के तहसीलदार पदों हेतु चयन में अयोग्य पाया था, को उनके मूल पदों पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था । उक्त विज्ञप्ति की वैधता का प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे विचाराधीन नहीं था । उच्चतम न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम 7-ए व 7-बी की वैधता का प्रश्न विचाराधीन था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन नियमों को अवैध घोषित कर दिया । फलस्वरूप उपरोक्त विज्ञप्ति निष्प्रभावी हो गई । तदनुसार शासनादेश निर्गत किए गए परन्तु कुछ प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा उस शासनादेश का कार्यान्वयन स्थगित करा दिया गया था ।

श्री राम आसरे वर्मा—

इस मामले में एक आदेश उच्चतम न्यायालय का हुआ और एक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है तो इसमें से माननीय मंत्री जी किस न्यायालय के आदेश का परिपालन करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

स्थिति इस प्रकार है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिपालन में राजस्व परिषद् द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया, उस आदेश का जिन लोगों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला था, वे लोग हाई कोर्ट में चले गए और रिट दायर कर दी । इससे वह स्थगित हो गया ।

श्री हुकम सिंह--

मैं माननीय मंत्रियों की युगल जोड़ी से पूछना चाहता हूं कि इसमें उच्चतम न्यायालय का एक आदेश हो गया जिसमें उसने आपकी नियमावली को अवैध घोषित कर दिया तो क्या आपन उसे नियमावली को दुबारा बनवाने का प्रयास किया? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने यह कहा कि जब उच्चतम न्यायालय के आदेशों को राजस्व परिषद् द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया तो जिन लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला था, वे हाई कोर्ट में चले गए और जो आदेश निकले थे, वे स्थगित हो गए। अब वे रिटें 11 अगस्त को खारिज हो गयी हैं और जो पूर्व की स्थिति थी उस पर सारा मामला आ गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बाद कुछ लोगों ने इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपना रिट दायर कर दिया और उसमें राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया तो क्या राज्य सरकार ने हाई कोर्ट मे इस बात का बयान दाखिल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह फैसला कर दिया है ? यदि नहीं, तो इसमें जांच कराकर क्या माननीय मंत्री जी उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

स्थिति इस प्रकार नहीं है । स्थिति इस प्रकार है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन राजस्व परिषद् ने किया, उसी के अनुकूल आदेश पारित किया। तो उन आदेशों का कुछ लोगों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला था तो जो परिषद् के आदेश थे, उनके खिलाफ वे लोग हाई कोर्ट में चले गए, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के खिलाफ नहीं गए।

*7--श्री राजकुमार राय--

[12वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री लल्लू सिंह, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सकतपुरा, तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

*8--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लल्लू सिंह, प्रधान, सकतपुरा, तहसील व जिला मुरादाबाद ने जो ग्राम समाज की जमीन अपने नाम करवा रखी थी और शासकीय आदेशों के अनुसार उनके नाम खारिज कर दी गयी अभी तक उनके कब्जे में है और उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही उस जमीन का कब्जा लेकर भूमिहीनों में उसका वितरण किया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

जी नहीं ।

श्री लल्लू सिह भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सकतपुरा, तहसील व जिला मुरादाबाद ने ग्राम सभा भूमि गाटा संख्या 248 क्षेत्रफल 2·56 एकड़ अपने नाम करवा रखा था। अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19-11-81 अन्तर्गत धारा 198(4) द्वारा श्री लल्लू सिह का नाम खारिज करके उस पर कब्जा ले लिया गया तथा यह भूमि गांव सभा में निहित कर दी गई। इस समय भी उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। दिनांक 9-2-82 को भूमि प्रबन्धक समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था लेकिन परगनाधिकारी द्वारा यह प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नही किया गया क्योंकि प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या 21 थी, जो उपलब्ध भूमि की अपेक्षा बहुत अधिक थी। इसके उपरान्त ही भूमि प्रबन्धक समिति भंग हो गई। उक्त भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के पुनर्गठन के पश्चात् तुरन्त कर दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा है कि इस समय भी यह भूमि खाली पड़ी हुई है, मेरी सूचना को सही जानकर क्या माननीय मंत्री जी अपने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि मेरी मौजूदगी में मेरे साथ चलकर जांच करें कि आज भी आधी जमीन खाली पड़ी हुई है और आज भी लल्लू सिह के कब्जे में है और उसके बाद जो यह गलत आब्जरवेशन आया है उस पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमन्, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो आपने तस्लीम स्वयं किया है कि लल्लू सिह के कब्जे में वह जमीन थी, उसके नाम को खारिज करके उससे कब्जा ले लिया गया है। श्रीमन्, आज भी आधी जमीन खाली पड़ी हुई है और आधी उसके कब्जे में है।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है, उसके अनुसार जमीन ग्राम समाज में निहित हो गयी है और उससे खाली हो गयी है। लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं, उनके क्षेत्र का मामला है और वह व्यक्तिगत रूप के जानते हैं कि कुछ अंश में उन्होंने कुछ बोया हुआ है। मै निर्देश दूंगा कि वहां के अधिकारी माननीय सदस्य को साथ लेकर उसकी जांच करके मुझे रिपोर्ट दें। मान्यवर, यह जो जमीन थी, यह हरी सिह जो लल्लू सिह का नौकर था, उसके नाम एलाट थी। हरी सिह जब मर गया, तो वह जमीन लल्लू सिह के कब्जे में आ गयी और लल्लू सिह ने वरासत के जरिए उस जमीन को अपने नाम करा लिया। जब यह जानकारी हुई कि लल्लू सिह उसका वारिस नहीं है, तो वह वरासतनामा अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया और तब वह जमीन ग्राम समाज में निहित कर दी गयी।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लल्लू सिह के पास जमीन कितने दिन रही और रेवेन्यू विभाग के आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने कितना लाभ कमाया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

लल्लू सिह के पास 24-5-80 से 19-11-81 तक रही।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि हरी सिंह के नाम पट्टा था क्या इस बात की जांच करायेंगे कि हरी सिंह लल्लू सिंह का नौकर था जो हल जोतता था अपनी प्रधानगीरी में उन्होंने पट्टा करवाया और जब वह मर गया तो भान्जा बन कर अपने नाम इन्दराज करवा लिया। वास्तव में यह जमीन शुरू से ही उनके पास थी। इस बात को देखते हुए उनसे वसूली करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जितने दिन जमीन हरी सिंह के नाम थी कैसे कह सकते हैं कि वह लल्लू सिंह के पास रही ?

श्री माधव प्रसाद—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने कहा कि 24-5-80 से 19-11-81 तक जमीन उसके पास रही। रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत प्राविधान है यदि कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि या सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तो हजार रुपया जुर्माना और 6 महीने की सजा दी जाती है क्या कारण है कि उक्त प्रधान के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह मुकदमें द्वारा फैसला हुआ है जब उन्होंने वरासत करा लिया तो ए0 डी0 एम0 के यहां मुकदमा दायर हुआ। अब सजा देना या मुआवजा देना मेरे ख्याल में उचित नहीं है।

धर्मचन्द भांग व्यपारी पर बकाया कर की वसूली

*9—श्री यदु नाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्री-कर अधिकारी खंड-7 ने तारीख 30-11-76 को धर्मचन्द भांग व्यापारी पर वर्ष 1972-73 के लिए 22,700 रुपया कर लगाया ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस करदाता से पूरा कर वसूल हो गया है ? यदि नहीं तो कितना वसूल होना शेष रह गया है ? और इस राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

जी हां।

कर वसूल नहीं हुआ।

कोई कर वसूल होना अवशेष नहीं है। सम्पूर्ण आरोपित कर का अपलेखन तत्कालीन आयुक्त बिक्री-कर के आदेश दिनांक 7-2-78 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त कर दिया गया है।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया वसूली नहीं हुई। तो जो कर निर्धारण में खराबी है उसको दूर करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह सवाल भांग के ठेके के बारे में था। इसकी सूचना 2–3 साल बाद आयी। जब लोग कर लेने गये तो उसका पता नहीं लगा। अब व्यवस्था कर दी गई है कि जो ठेका दिया जाय उसकी एक महीने के अन्दर सूचना दी जाय ताकि कर निर्धारित हो सके।

श्री यदुनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि लखनऊ में भांग के ठेकेदार गांजा भी बेचते हैं और अपने नौकर के नाम सालवेन्सी सार्टीफिकेट देकर ठेका ले लेते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अब व्यवस्था कर दी गई है पूरा वेरीफिकेशन के बाद ठेका दिया जाए और उसकी सूचना समय से दी जाय।

देवरिया जनपद की गन्ना सहकारी समितियों में उपलब्ध कीट नाशक दवायें

*10—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सभी गन्ना सहकारी समितियों में 1982 में कीटनाशक दवायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि देवरिया जिले में 5 हजार एकड़ ऊपर गन्ना की फसलों में तना बेधक कीड़े लग गये हैं ? यदि हां, तो इसके रोकथाम का क्या उपाय किया जा रहा है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

देवरिया जनपद की प्रायः सभी गन्ना समितियों में वर्ष 1982 में कीट नाशक दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह आदेश भी है कि जिन समितियों के पास कोई विशेष दवा नहीं है वह अपने समीप की गन्ना समिति से आवश्यकतानुसार दवा ले सकती है।

देवरिया जनपद में इस समय तक गन्ने की फसल में तना बेधक कीड़े का प्रकोप नहीं है। अतः इसके रोकथाम का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तना बेधक कीट लगा है, बरसात इस समय हो गयी है तो कीड़ा खत्म हो गया है। यह सूचना बिल्कुल गलत है कि दवाई है। किसी समिति में दवा नहीं है मेरी निश्चित जानकारी है कि इसको सही मानकर किसी को हेड क्वार्टर से भेज कर जांच करायेंगे कि किन–किन गन्ना समितियों में कौन–कौन सी दवा है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, जो अंकुर बेधक लगा है वह केवल 1085 एकड़ क्षेत्र में लगा था। उस पर दवा छिड़की गयी थी वह ठीक हो गया है। मैंने बताया कि दवाई की समुचित व्यवस्था है और यदि कहीं पर नहीं है तो निकटतम समितियों से लेकर दवाई छिड़की जाय। समस्या की ओर शासन सजग है जहां कहीं आपूर्ति की आवश्यकता होगी तो तत्काल की जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, 27-5-82 का प्रश्न है मंत्री जी कहते हैं कि कोई तना बेधक कीट नहीं लगा । तो आप क्या स्पष्ट करेंगे कि देवरिया में कौन से अधिकारी सर्वेक्षण करने गये जिनके आधार पर आप उत्तर दे रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया और जिला गन्ना अधिकारी पडरौना की रिपोर्ट के आधार पर मैं सूचना दे रहा हूं ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

जैसा कि मंत्री जी ने जवाब दिया मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा इलाका है जहां पर तना वेधक दवाई को छिड़काया गया है । तथा कौन दवाई छिड़कने गया है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

देवरिया में अंकुर बेधक के लिए 1085 एकड़ में दवा का छिड़काव किया गया । जो संबंधित कर्मचारी हैं वह दवाई का इंतजाम करते हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 5 हजार एकड़ में छिड़काव जिला गन्ना अधिकारी ने किया है तो उन्होंने अकेले किया या उनके साथ और कर्मचारी थे । 5 हजार एकड़ का यह क्षेत्र किन-किन गांवों में है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा --

मान्यवर, मैंने 5 हजार एकड़ की बात कही नहीं । मैंने 1085 एकड़ की बात कही है ।

बाराबंकी चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा गन्ना मूल्य खाते में से निकाली गयी धनराशि के विरुद्ध कार्यवाही

*11--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि शुगर मिल बाराबंकी के मौजूद जनरल मैनेजर द्वारा वर्ष 1981-82 में गन्ना मूल्य खाता की लगभग 26 लाख रुपए की धनराशि निकाल ली गयी है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध अमानत में खयानत करने से सम्बन्धित कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

पेराई सत्र 1981-82 में बाराबंकी चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक ने गन्ना मूल्य खाते में से 32.10 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग मिल को चालू रखने से सम्बन्धित अन्य अपरिहार्य व्यय के लिए किया था । मिल की वित्तीय स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी, जिसके कारण श्रमिकों का वेतन आदि बकाया पड़ा था तथा मिल को चालू रखने के लिए स्टोर सामग्री आदि भी नहीं रह गई थी । मिल क्षेत्र के गन्ने को पेरने की व्यवस्था के संदर्भ में मिल को चालू रख सकने हेतु यह व्यय अनिवार्यतः आवश्यक था और प्रधान प्रबन्धक द्वारा की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प सम्भव नहीं था ? इस व्यावर्तन के लिए प्रधान प्रबन्धक ने

सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी, जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और मिल के प्रबन्धक गण की ओर से स्पष्टीकरण के रूप में दी गई समस्त स्थिति को देखते हुए उसे निरस्त कर दिया गया ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शुगर परचेज ऐक्ट के अन्तर्गत गन्ना मूल्य खाता से भुगतान हेतु बैंक के साथ हुए स्टैंडिंग आर्डर के विरुद्ध गन्ना मूल्य भुगतान का प्रमाण-पत्र किस अधिकारी द्वारा और कब जारी किया गया जब कि चालू वर्ष का किसानों का 74 लाख रुपया बाकी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है, उसमें हमने उत्तर दे दिया है कि संबंधित प्रधान प्रबन्धक का स्पष्टीकरण अनियमित रूप से पैसा निकालने के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने काल किया और उन्हें इस हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, परन्तु जो जवाब प्रबन्धकगण से प्राप्त हुआ, उससे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सन्तुष्ट हो कर उस आदेश को निरस्त करना पड़ा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह शासनादेश है, मान्यवर, कि 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य के हिसाब में जमा होता है और यह पैसा बगैर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से निकाला नहीं जा सकता है और माननीय मंत्री जी ने स्वतः इसे स्वीकार भी किया है कि उक्त अधिकारी द्वारा अनियमितताबश 26 लाख रु0 निकाले । तो उस अधिकारी के विरुद्ध, जिसने इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता की क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इसके लिए भी मैंने अपने उत्तर में बताया है कि मान्यवर, मिल की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक थी । तमाम मिल मजदूरों और ट्रकों आदि का पैसा देना बाकी था, इसके अतिरिक्त मिल द्वारा 21-14 लाख रु0 ओवर ड्राफ्ट बैंक में देना था, इसलिए बैंक से भी पैसा नहीं मिल पा रहा था, ऐसी स्थिति में बाध्य होकर यह वित्तीय अनियमितता करनी पड़ी और यदि पैसा न निकाला जाता तो फैक्ट्री चालू रह पाना खतरे में था और इस प्रकार गन्ने का पेरना भी रुक जाता तो इन सारी परिस्थितियों में प्रबन्धक को उपलब्ध पैसे का उपयोग करना पड़ा है ।

श्री हुकम सिंह--

मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर मे बहुत सी परिस्थितियां बताई, जिनके कारण फैक्ट्री के बन्द होने की सम्भावनाएं थीं । या उस मिल में उस पैसे को निकालने के किसी अधिकारी को अधिकार थे या नहीं, यदि नहीं, तो उन अधिकारों का पालन क्यों नहीं किया गय ? और वह धन सरकारी था उसको खर्च करने के लिए जो प्रक्रिया नियमों में दी है उसके अनुसार ही पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इस वित्तीय अपराध के लिए सम्बन्धित अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इसी वित्तीय अनियमितता के कारण को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया, पर उनका जो जवाब मिला, उससे उनको संतुष्ट होना पड़ा तत्पश्चात् उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा गया ।

सेवरही चीनी मिल, जनपद देवरिया में यांत्रिक खराबी के कारण गन्ने की पेराई का अन्यत्र व्यवस्था

*12--श्री मोहन सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि यू0 पी0 शुगर का0 लिमिटेड, सेवरही, जनपद देवरिया ने 19 मई, 1982 से गन्ने की पेराई बन्द कर दी है ? यदि हां, तो किसानों का कितना गन्ना पेरने को अवशेष है और इसकी पेराई के लिए शासन ने क्या व्यवस्था की है ? साथ ही इस फैक्ट्री पर किसानों की कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सेवरही चीनी मिल को उसके मिल मालिकों ने यांत्रिक खराबी के आधार पर 29-5-82 को बन्द कर दिया था । 15-6-82 तक की स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य आदि का रुपया 91·60 लाख बकाया था, जिसकी वसूली के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर कलेक्टर, देवरिया ने 21-6-82 को रिसीवर की नियुक्ति की । रिसीवर द्वारा इस मिल को पुनः चालू करने का प्रयास मिल मालिकों द्वारा उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों के कारण सम्भव नहीं हो सका । इस मिल क्षेत्र का अवशेष गन्ना यथा सम्भव पडरौना एवं सरदार नगर चीनी मिलों में पेरने की व्यवस्था की गई । फिर भी मिल क्षेत्र का अनुमानित लगभग 1·5 लाख क्विंटल गन्ना अवशेष रह गया है जिसे अगले पेराई सत्र में प्राथमिकता पर पेरे जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक तो मैं माननीय मन्त्री जी के इस वक्तव्य को ही चुनौती देना चाहता हूं कि वह फैक्ट्री यांत्रिक गड़बड़ी के कारण बन्द हुई । वास्तविक स्थिति यह थी कि यान्त्रिक गड़बड़ी जानबूझ कर पैदा की गयी क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिये जो जरूरी चीजें होती हैं, कोयला, लकड़ी वगैरह, वह गायब कर दी थीं । अब जब फैक्ट्री टेक ओवर कर ली गयी है तो उसके और स्थगन आदेश प्राप्त होने के बीच की अवधि क्या है ? इस अवधि के बीच में आपके जो रिसीवर हैं, उसने फैक्ट्री को चलाने के लिये कौन-कौन सी तैयारियां कीं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

29 मई को यांत्रिक गड़बड़ी के कारण बन्द कर दी गयी, 21 जून को वह रिसीवरशिप में ले ली गयी । वह कल्लकत्ता हाईकोर्ट गये और स्थगन आदेश प्राप्त किया, वहां से लखनऊ चले आये । यह स्थगन आदेश 9 जुलाई को प्राप्त हुआ ।

श्री मोहन सिंह—

21 जून, को फैक्ट्री मिल गयी, 9 जुलाई को स्थगन आदेश मिलता है, इस बीच में 18–19 दिन की अवधि में शासन ने, आपके जो रिसीवर थे उन्होंने फैक्ट्री चलाने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल 27/–रु० क्वि० को लकड़ी खरीदी और 40 रु० क्वि० उसका दाम दिखाया। जो 91 लाख रु० उस फैक्ट्री के ऊपर बकाया है, जिसके आधार पर उस फैक्ट्री को टेक ओवर किया, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके बाद कितनी रकम किसानों को अदा कर दी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस वक्त हाई कोर्ट में यह केस विचाराधीन है। अतः विवादास्पद स्थिति में पैसा दिया नहीं गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब वे देवरिया के दौरे पर थे तो वहां के प्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि डी० सी० ओ०, पडरौना, सेवरही इलाके की पर्चियों पर बिहार का गन्ना खरीदवा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस शिकायत की जांच करवायी गयी।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जो भी शिकायतें आती रही हैं उन प्रत्येक पर आवश्यक सावधानी बरती गयी। बार्डर की फैक्ट्रियों में बिहार का भी गन्ना सप्लाई होता है, उसमें सम्भव हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हुई हो।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हमें नियमानुसार दो अनुपूरक का अधिकार है, एक प्रश्न और कर लेने दीजिये।

यह फैक्ट्री फिर से मिल मालिक को देने की साजिश हो रही है। मिल मालिक राजकीय स्तर पर इस फैक्ट्री को देने की साजिश करवा रहा है, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि अपनी ओर से वे इस प्रयास को विफल करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यह मामला अदालत के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अदालत जो निर्णय करेगी, शिरोधार्य करना पड़ेगा।

रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जौनपुर में गन्ने की पेराई

*13—श्री जंग बहादुर (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर में मिल क्षेत्र का गन्ना इस वर्ष पेरा न जा सका तथा हजारों एकड़ गन्ना

किसानों के खेतों में पड़ा अभी तक सूख रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन किसानों को कठिनाइयों को देखते हुए शीघ्र चीनी मिल, शाहगंज के अधिग्रहण की कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर को उससे सम्बद्ध समितियों ने पेराई सत्र 1981-82 के लिए 9·35 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति हेतु आफर किया था जिसके विरुद्ध 9·29 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई इस मिल ने की और मिल को आपूर्ति होने वाला लगभग 12,500 क्विंटल गन्ना ही अवशेष रह गया था। इस प्रकार यह सही नहीं है कि हजारों एकड़ गन्ना खेतों में पड़ा रह गया है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*14--श्री धनी राम वर्मा---

[12वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम पाल सिंह के नाम फर्जी केन सोसाइटी द्वारा कर्ज अदा करने की उच्च स्तरीय जांच

*15--श्री बलवीर सिंह (रामपुर)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27-2-82 जिसमें रामपाल सिंह, ग्राम मेमदपुर पोपल नामक रामपुर के नाम फर्जी केन सोसाइटी द्वारा कर्ज अदा करने की शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? तथा क्या तथ्य सामने आए ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

जी हां, इस सम्बन्ध में की गयी प्राथमिक जांच पर यह पाया गया कि गन्ना समिति के अभिलेखों में अंकित बकाया उस खाद से सम्बन्धित है जो वास्तव में प्रार्थी को दी गयी थी और प्रार्थी की तत्सम्बन्धी कार्रवाई फर्जी होने की शिकायत ठीक नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में पुनः उच्च स्तरीय जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उससे वे स्वयं ही सन्तुष्ट नहीं हैं। अगर ये सन्तुष्ट होते तो फिर उच्च स्तरीय जांच के आदेश क्यों देते ? वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ही नहीं गयी और माननीय मंत्री जी अब कहते हैं कि उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति ने खुद जो अभिलेख दिखाये हैं तो क्या यह सच है कि उसकी जांच अभी तक नहीं की गयी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

श्रीमन्, यह सही नहीं है कि जांच नहीं की गयी। जांच करायी गयी और जो उपलब्ध कागजात हैं उसमें उसके दस्तखत हैं। जांच में अभिलेख हस्ताक्षर के आधार पर सही पाये गये हैं जिसका फिर माननीय सदस्य द्वारा की गयी शिकायत पर अभिलेखों की पुनः उच्चस्तरीय जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने इसकी जांच की थी और उसमें कौन से तथ्य प्रकाश में आये थे ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमान्, जो प्रमाण हैं कि जामिनदार के हस्ताक्षर उन कागजातों पर मिले और उसके आधार पर देखा गया कि वे ठीक हैं अब उन्होंने चाहा है, तो हमने कह दिया है कि उच्चस्तरीय जांच करा ली जाय ।

कृषकों को खेत में खड़े गन्ने के लिए मुआवजे की व्यवस्था

*16--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में किसानों का कितना गन्ना खेत में खड़ा रह गया ? क्या सरकार उक्त गन्ने का मुआवजा किसान को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

पेराई सत्र 81-82 में प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन अब तक का सर्वाधिक लगभग 717 लाख टन हुआ । चीनी मिलों द्वारा अधिकाधिक सम्भव गन्ना पेरे जाने हेतु बराबर समुचित व्यवस्था बनायी रखी गयी थी । यह नियंत्रण भी रखा गया कि अपने क्षेत्र का गन्ना पेरने के पश्चात् ही कोई भी मिल बन्द की जाय । भारी हानि होते रहने की स्थिति में भी चीनी मिलों ने तदनुसार कार्य किया, यहां तक कि एक-दो मिलों ने तो अगस्त, 1982 के मध्य तक भी पेराई चालू रखी है । इस व्यवस्था के कारण प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 1981-82 में लगभग 27 लाख टन गन्ना की पेराई की गई, जो अब तक के किसी भी वर्ष के लिए सर्वाधिक है । चीनी मिलों ने पेराई सत्र 81-82 में सुरक्षित क्षेत्र के कुल उत्पादन का लगभग 32 प्रतिशत गन्ना पेरा है, जबकि पिछले वर्ष 80-81 के लिए उनका योगदान लगभग 22 प्रतिशत था । फिर भी शाहगंज, हरदोई, सेवरही, बुढवल, हरगांव एवं महोली चीनी मिलें उनकी अपनी अपरिहार्य कठिनाइयों के कारण अपने क्षेत्र का पूरा गन्ना पेरे बिना ही बन्द होने को बाध्य हो गई थी और उनके क्षेत्र में ही लगभग 10 लाख क्विंटल गन्ना पेराई सत्र के अन्त में खड़ा रह गया है । शासन को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिल क्षेत्रों में कहीं और गन्ना खड़ा रह जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी सावधानी की दृष्टिकोण से खड़े गन्ने का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था भी कर दी गई है ।

शासन द्वारा खड़े गन्ने के लिए कृषकों को मुआवजा दिये जाने की कोई व्यवस्था नियमों में नहीं है । इस वर्ष के खड़े गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को आगामी पेराई सत्र के प्रारम्भ में ही करा दी जायेगी ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 10 लाख क्विन्टल गन्ना खड़ा रह गया । माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जब किसान बांड भरता है और अगर वह गन्ने की पूरी सिंचाई नहीं करता तो मिल यूनियन बांड के अनुसार पैसा काट लेता है तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना उठाने की

जिम्मेदारी मिल की है या नहीं और यदि है तो 10 लाख क्विंटल गन्ना जो सुरक्षित क्षेत्र में खड़ा रह गया जिससे किसानों का करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ, इसके लिये कोई ऐसा कानून बनायेगी जिससे किसानों के उस नुकसान की पूर्ति हो सके ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

नियमत: कोई व्यवस्था तो है नहीं । शासन का पूरा प्रयास है कि जितने भी बाडेड गन्ना है उनको निपटा देने की कोशिश की जाय । इसी से पेराई के सिलसिले में पिछले दिनों काफी गन्ना पेरा गया है और जो पुराना आफर था पूरा करने का प्रयास किया गया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने अथवा घटाने के बारे में कृत कार्यवाही

**1—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि 15 जुलाई, 1982 से बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने अथवा घटाने के बारे में सरकार द्वारा कौन सी विधि अपनाई गई है और उसका क्या प्रभाव देखने को मिला ?

श्री ब्रह्म दत्त—

15 जुलाई, 1982 के बाद की अवधि में राज्य में कुछ वस्तुओं के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है । राज्य सरकार की भूमिका मूल्य वृद्धि रोकने या घटाने में बहुत सीमित है । यह प्रयास किया गया है कि आवश्यक वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध रहें । राज्य सरकार की यह नीति सफल रही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर कौन कौन सी वस्तुयें किस किस महीने में उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने प्रयास किया ताकि हम जान सकें कि वह सफल रहा या असफल रहा है ।

श्री ब्रह्म दत्त—

अधिकांशत: चीनी, तेल और गेहूं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

क्या बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी और परिवहन विभाग में बढ़ोत्तरी तथा यू0 पी0 शासन द्वारा अन्य प्रकार के टैक्सों में बढ़ोत्तरी किये जाने से भी मूल्यों में वृद्धि होती है ? इस उत्तर में कहा गया है कि साधन बहुत सीमित है, तो क्या इसको स्पष्ट करेंगे कि इन दरों के बढ़ाये जाने के कारण ही मंहगाई बढ़ी है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इन दरों के बढ़ाये जाने के कारण प्रभाव अवश्य पड़ता है । इसके लिए दो ही व्यवस्था हो सकती है कि या तो दरें बढ़ा कर घाटे को पूरा करें या बजट

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

में ही घाटे की व्यवस्था करें जिनका सरकार की अर्थ व्यवस्था पर भयंकर असर पड़ सकता है। हमारा प्रयास है कि प्रशासन में इस तरह की कुशलता लावें जिससे उसे ओवर ड्राफ्ट लेने की नौबत न आवे।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि स्वीकार किया, खाद्यान्न का मूल्य 15 जूलाई के बाद बढ़ा है, तो 80 प्रतिशत जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और इस महंगाई के पूरी तरह से प्रभावित है उसको सहूलियत देने के लिये आपने क्या प्रयास किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

खाद्यान्न के मूल्य बढ़ने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि खाद्यान्न वसूली के समय ही मांग होने लगती है कि खाद्यान्न का मूल्य बढ़ाया जाय। तीन साल में गेहूं का मूल्य 103 से 142 रु0 प्रति क्विंटल तक पहुंचा है इस वर्ष भी कोशिश है, कि गेहूं का मूल्य बढ़ाया जाय। चूंकि गेहूं की फसल थोड़ी खराब हो गयी, केन्द्र से हमने 55 हजार क्विंटल गेहूं मांगा है ताकि उसे उपभोक्ताओं में बांट सके।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा प्रश्न तो यह है कि जो 80 प्रतिशत जनता गांव की महंगायी से परेशान है, वह गेहूं पौने दो सौ रुपये क्विन्टल के भाव से खरीद कर खा रही है, उनके लिए आपने क्या प्रयास किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इसी के लिए तो हमने केन्द्र से कहा है कि हमें ज्यादा गेहूं दिया जाय ताकि हम वहां भी व्यवस्था कर सकें।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय मन्त्री जी की नजरों में कौन कौन सी चीजें जीवन के लिए बहुत जरुरी है और उनमें कौन सी ऐसी हैं जिनके दाम नहीं बढ़े हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अब यह व्यक्तिगत राय हो सकती है, मेरी राय में तो हवा है, पानी है, और मुझे जैसे व्यक्ति के लिये तो सिगरेट भी है।

(हंसी)

श्री हुकम सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने दो तीन चीजों का नाम लिया जिनके भाव रोकने का प्रयास वह कर रहे हैं, और एक दूकान खोलने की व्यवस्था की है। क्या मन्त्री जी ऐसा व्यवस्था करेंगे कि एक हजार से 10 हजार की आबादी वाले जितने भी गांव हैं वहां सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था हो ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह प्रयास जारी है । कुछ समय पहले तो गांवों में इसकी वितरण की व्यवस्था थी ही नहीं, सारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिलकुल छिन्नभिन्न कर दी गयी थी, हम उसी को रेस्टोर कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मनुष्य के जीवन के लिए दालों और तेल की भी आवश्यकता होती है और इनके दामों को रोकने का और कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है । क्या सरकार सस्ते गल्ले की दुकान से इनके वितरण की भी व्यवस्था करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इन दोनों चीजों का प्रोक्योरमेन्ट हम नहीं करते, लेकिन यह प्रयास है कि इन चीजों का उत्पादन बढ़ाया जाय । किन्तु अगर कोई चिन्ताजनक स्थिति होगी, तो इनके प्रोक्योरमेन्ट करने का प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार शासन करती रही और उसके कुशासन की वजह से यह महंगायी बढ़ी है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री खैरूल बशर--

सहकारी दूकानों से सहकारिता के माध्यम से जो चावल आदि सप्लायी होता है वह जनता को नहीं मिलता और ब्लैक में चला जाता है । मेरे मऊनाथ भंजन में सारा चावल ब्लैक में बिक गया । जब मैंने वहां के जिलाधीश से कहा तो उन्होंने कहा हमें उसके लिए कोई पावर नहीं है । 3·10 रुपये के भाव से वह चावल बिका । कोआपरेटिव में यह भ्रष्टाचार दूर हो, क्या सरकार इसके लिये प्रयास करेगी और क्या यह उसकी जानकारी में है ?

श्री ब्रह्मदत्त --

मान्यवर, भ्रष्टाचार और जमाखोरी रोकने के लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ केसेज पकड़े भी हैं । जिस चीज की ओर माननीय विधायक महोदय ने ध्यान दिलाया उसे आप लिख कर भिजवा दें तो हम मामले की जानकारी करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि आज उत्तर प्रदेश के नगरों में जलाऊ लकड़ी के दाम प्रतिदिन दुगुने-चौगुने बढ़ रहे हैं तो क्या इसे एक नियन्त्रित मूल्य पर बिकवाने का प्रबन्ध करने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जहां पर जलाने की लकड़ी उपलब्ध है वहां वन निगम उपलब्ध कराता है लेकिन जंगल की काटने की हमारी नीति नहीं है इस लिए यह सम्भव नहीं है। कोयला. गैस, बायोगैस उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री हर गोविन्द वर्मा---

मान्यवर, शासन द्वारा जो गेहूं पिछले वर्ष 130 रुपये में खरीदा गया था उसे 162 रुपये में बेचा जा रहा है। जब कोई व्यापारी गेहूं खरीद कर बेचता है तो मुश्किल से 10 प्रतिशत का फर्क रख कर बेचता है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि शासन 20-22 प्रतिशत के फर्क पर गेहूं बेच रहा है ? क्या मन्त्री जी कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे खरीद और बिक्री भाव का फर्क कम हो जाय ? 130 का 162 में और आगे चल कर 142 का 180 या 185 में न बिके ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, शासन ने पिछले वर्ष 130 में खरीदा, इस वर्ष 142 में खरीदा और कुछ 205 के भाव से इम्पोर्ट किया। तो इसका समन्वय करके हम चलते हैं। भाव को स्थिर रखने के लिए हम मार्केट को सपोर्ट करते हैं ताकि उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैंने 3 वित्त मन्त्री देखे। पहले राम स्वरूप वर्मा, फिर मधुकर बिघे और अब ब्रह्म दत्त जी। यह तीनों ही दुबले पतले हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है क्या उसका असर इन पर भी पड़ा है ? क्या महंगाई का असर वित्त मन्त्री पर भी पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह सम्बन्धित नहीं है।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, ग्रामों में जो वितरण होता है वह सहकारी समिति के द्वारा होता है और हर सहकारी समिति के पास वितरण के लिए गल्ला नहीं है। तो क्या मन्त्री जी हर सहकारी समिति के ग्रामों में वितरण के लिए गल्ला भिजवाने और जो उसका कोटा अभी 100 बोरे प्रतिमाह निर्धारित है, उसको 200 बोरे करवायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, कुंवर साहब शायद देर में आये हैं। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम केन्द्र से ज्यादा गल्ला मांग रहे हैं। यह उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्य सचिवालय में प्रवर तथा अवर वर्ग सहायकों को देय सचिवालय भत्ता

*2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सचिवालय में अवर वर्ग तथा प्रवर वर्ग सहायकों को जो सचिवालय भत्ता स्वीकार किया गया है, उसका आधार क्या है तथा वह भत्ता सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों, अनुसचिवों तथा उपसचिवों को जो सचिवालय सेवा के हैं, को न देने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

राज्य सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा उसके समकक्ष एवं उससे नीचे के पदों पर कार्यालय ज्ञाप संख्या वे0 आ0-2128/दस-1982-42(एस)-80, दिनांक 10 जून, 1982 द्वारा निम्नलिखित दरों पर विशेष भत्ता सचिवालय की विशेष स्थिति के आधार पर स्वीकार किया गया है :--

प्रवर वर्ग सहायक तथा उसके समकक्ष पद	रु0 30 प्रतिमाह
अवर वर्ग सहायक तथा उसके समकक्ष पद	रु0 20 प्रतिमाह
टंकक/नैत्यिक लिपिक और उसके समकक्ष पद	रु0 15 प्रतिमाह
पुनरीक्षित वेतनमान रु0 354-550 से कम वेतनमान के पद	रु0 10 प्रतिमास

इस प्रकार के विशेष भत्ते की सुविधा सामान्यतया राजपत्रित अधिकारियों को नहीं दी जाती है । इसी लिए अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव तथा उप सचिव को यह विशेष भत्ता नहीं दिया गया ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारी सचिवालय में नियुक्त हो जाते हैं तो उनको 150 से 200 रुपया प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है और जब वह अधिकारी बाहर चले जाते हैं तो उनको यह भत्ता नहीं दिया जाता है । दूसरे सचिवालय के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में हैं उनको तो आप सचिवालय भत्ता दे रहे हैं और जिनकी संख्या सैकड़ों में है उनको न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो उत्तर मैंने दिया है उससे स्पष्ट है कि सचिवालय भत्ता उनको दिया जा रहा है जिनके पे स्केल्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि अधिकारियों के । इसको देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि सचिवालय के कई हिस्से हो गये हैं जैसे अनेक्सी, जवाहर भवन और कुछ जनपथ में । यहां के कर्मचारियों को इन स्थानों पर जाना पड़ता था और उसके लिए वह पैसा चार्ज करते थे । इससे पैसा बहुत खर्च होता था और उसके हिसाब में दिक्कत भी पड़ती थी । इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि इनको प्रतिमाह एक मुश्त रकम दे दी जाये । जिनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है यह उनको दिया गया है । इससे हजारों अधिकारियों को फायदा पहुंचा है । छोटे कर्मचारियों को फायदा पहुंचा है तो माननीय सदस्य को प्रशंसा करनी चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुभाग अधिकारी और प्रवर वर्ग सहायक के बीच में कुछ ऐसे पद हैं जो नान गजटेड हैं जिनका पे स्केल 400-750 और 450 से 850 हैं उनको भी सचिवालय भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिस स्कीम के तहत यह दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त माननीय सदस्य कुछ जानकारी करना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मन्त्री जी ने अभी प्रशंसा की बात कही । प्रशंसा तो हम देंगे अगर वह सभी लोगों को इस सुविधा को प्रोवाइड कर दें । आप कुछ ही लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं ? मान्यवर, उनको भी सुविधा से लाभान्वित कर दें, तो प्रशंसा के पात्र हो जायेंगे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह भत्ता नहीं मिला है उनको भी देने पर अपनी उदार भावना से लाभान्वित करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों लेकिन जहां तक वरीयता निर्धारित करने का प्रश्न है, जनता जो टैक्स दे रही है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाये जिससे उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके । तो ऐसी दशा में उनका प्रश्न पहले आयेगा जिनका वेतन कम है । वित्तीय स्थिति को देखते हुए अभी इस पर कोई विचार नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा क्वाइन्टेड प्रश्न है कि जितने भी आपके यहां पर छोटे कर्मचारी हैं उनको आप यह भत्ता दे रहे हैं । आपने यह भी कहा कि हम बड़े अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं । लेकिन बड़े खेद की बात है कि जो आई० ए० एस० अफीसर्स यहां बाहर से आते हैं उनको देते हैं, पी० सी० एस० आफिसर्स बाहर से आते हैं उनको देते हैं । लेकिन यहां पर जो अन्डर सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, सेक्शन आफीसर्स हैं और कौंसिल हाउस में ही सर्विस करके प्रमोट होकर वहां जाते हैं उनको नहीं देते हैं । तो यह जो बीच के लोग हैं, सेक्शन आफीसर हैं, अन्डर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं जिनकी वहां पर तादाद भी बहुत थोड़ी ही होगी, मैं समझता हूं 50-60 से ज्यादा नहीं होंगे, उनको न देने का क्या कारण है जिससे कि यह कंट्रोवर्सी ही खत्म हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिस वक्त हमारी वित्तीय स्थिति हमें इस बात के लिये इजाजत दे देगी उस वक्त हम इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हमारे पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब जो हैं वे जवाब तो मुख्य मन्त्री की तरफ से दे रहे हैं लेकिन उस सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने कारण बताये कि चूंकि यह सचिवालय

अलग-अलग जगहों में बंट गया है और वहां से आने-जाने में लोगों को परेशानी होती थी और उसके लिये अनुग्रह के रूप में उन्होंने यह भत्ता उन लोगों को दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जो बीच के अधिकारी हैं, मध्यम वेतन भोगी अधिकारी हैं क्या उनके खर्च का स्तर इनके साथ नहीं आता है कि आप उनको नहीं दे रहे हैं ? इनको यह भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें जिनको दिया गया है, वह मैंने आपके समक्ष रखा । जो इस तरह के अधिकारी कहीं जाते हैं तो वे उसका किराया ले सकते हैं । लेकिन इस समय इस तरह का कोई विचार शासन के सामने नहीं है । जिस वक्त हमारी वित्तीय स्थिति इस तरह की हो जायेगी, उस वक्त विचार किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

1-5--श्री राम आसरे वर्मा--

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 38-41 को पुनरावृत्ति ।]

श्री राजेश्वर शाही का सुपरवाइजर कानूनगो फाजिल नगर एवं लेखपाल क्षेत्र संख्या 86 एवं 88 के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही

6--श्री कुबेर भंडारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अरुसवां, तप्पा भठही बदुरांव, परगना सिधुवा जोबना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के निवासी श्री राजेश्वर शाही ने परिवेक्षक कानूनगो, फाजिल नगर, देवरिया एवं लेखपाल, हल्का नं0 86 एवं 88 के विरुद्ध भू-अभिलेख में जालसाजी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, देवरिया को दिनांक 5 जून, 1979 को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम अरुसवां, तप्पा-भठही, बदुरांव, परगना सिधुवा जोबना, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के निवासी श्री राजेश्वर शाही का सुपरवाइजर कानूनगो, फाजिल नगर एवं लेखपाल क्षेत्र संख्या 86 एवं 88 के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 5 जून, 1979 जिलाधिकारी, देवरिया के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

7--श्री कुबेर भन्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर शाही ने दिनांक 22-10-81 को एक शिकायती-पत्र आपको भी दिया था, जिसका राजस्व अनुभाग-9 में पंजीकरण संख्या 9245/1-9-81 है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच के फलस्वरूप परगनाधिकारी पडरौना ने मृतक, श्री चन्द्र किशोर शाही की भूमि पर बरासत दर्ज करने में तत्कालीन सुपरवाजर कानूनगो श्री रघुनाथ लाल श्रीवास्तव एवं लेखपाल श्री रामजोलाल श्रीवास्तव तथा मन्नन जी शुक्ल को अनियमितता बरतने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया है । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र दिये गये हैं । शिकायतकर्ता ने मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में भा0 दं0 विधान की धारा 218 के अन्तर्गत अभियोग भी दायर किया है जो विचाराधीन है ।

8--श्रीमती गौरी देवी--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

9--श्री झिलमिट राम, श्री साहब सिंह, श्री मुन्शीलाल तथा श्री खैरुल बशर--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बिक्री कर विभाग में प्रदेश के बाहर से लखनऊ में मंगाई गई विज्ञापन सामग्री

10--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर विभाग में वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक प्रदेश के बाहर से लखनऊ में कितने रुपए की विज्ञापन सामग्री (प्रचार हेतु) सी फार्म देकर कन्सेशनल रेट पर और फार्म 31 देकर मंगाई गयी ? विभाग को इस विज्ञापन सामग्री पर कितना राजस्व मिला ? क्या प्रचार हेतु विज्ञापन सामग्री कन्सेशनल रेट पर मंगाना नियमानुसार था ?

श्री ब्रह्मदत्त--

व्यापारियों द्वारा उक्त अवधि में प्रदेश के बाहर से लखनऊ में फार्म "सी" तथा फार्म 31 देकर निम्नानुसार विज्ञापन सामग्री मंगायी गयी :--

फार्म "सी" देकर

	रु0
वर्ष 1978-79 में	7,282.63
वर्ष 1979-80 में	4,829.16
वर्ष 1980-81 में	1,726.27

फार्म "31" देकर :--

वर्ष 1978-79 में	6,956.63
वर्ष 1979-80 में	12,595.92
वर्ष 1980-81 में	59,388.00

विभाग को इस विज्ञापन सामग्री से कोई राजस्व कर के रूप में नहीं मिला । फार्म "सी" देकर प्रचार हेतु विज्ञापन सामग्री कन्सेशनल रेट पर मंगाना नियमानुसार नहीं था ।

विक्टोरिया गंज, लखनऊ में भांग का ठेका तथा बिक्री कर अधिकारी द्वारा किया गया सर्वेक्षण

11--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ में विक्टोरियागंज में वर्ष 80-81 का भांग का ठेका श्री यदुनाथ सिंह ने लिया था और बिक्री-कर अधिकारी खंड-3 ने ता0 28-3-81 को उसका सर्वेक्षण किया था ? यदि हां, तो सर्वेक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गयी ? क्या करदाता पर कर निर्धारण आदेश कब पारित हुआ ? यदि हां, तो कितना कर निर्धारित किया गया ? अभी तक कितना राजस्व वसूल किया गया तथा अभी कितना बकाया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वर्ष 80-81 में विक्टोरियागंज में भांग का ठेका श्री यदुनन्दन सिंह ने लिया था, न कि श्री यदुनाथ सिंह ने उक्त दूकान का सर्वेक्षण बिक्रीकर अधिकार श्रेणी--2 खंड--3, लखनऊ ने दिनांक 28-3-81 का किया था ।

सर्वेक्षण दिनांक 28-3-81 के समय नियमित बही खाते अथवा बिक्री रजिस्टर नहीं मिला था बल्कि एक रफ कापी मिली थी जिसके 7 पृष्ठों में बिक्री का उल्लेख था ।

कर निर्धारण की कार्यवाही जारी है ।

कोई राजस्व प्राप्त नही हुआ है और न ही कोई बकाया अवशेष है ।

देवरिया जिले में चीनी मिलों पर कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

12--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में 1 जनवरी, 1982 से 10 मई, 1982 तक चीनी मिलों पर किसानों का कितना रुपया बकाया है ? और बकाए रुपए को किसानों को दिलाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना मूल्य सम्बन्धी सूचना पाक्षिक आधार पर एकत्र की जाती है । पेराई सत्र 1981-82 में देवरिया जिले में 15 मई, 1982 तक चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ने का कुल जितना मूल्य देय था उसमें से उस तिथि को लगभग 8.45 करोड़ रु0 का भुगतान अवशेष था । 31 जुलाई, 1982 की स्थिति के अनुसार देवरिया जिले में कुल जितना गन्ना मूल्य देय हुआ उसमें से लगभग 6.60 करोड़ रु0 बकाया रह गया था ।

बकाया गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में देवरिया जिले की चीनी मिलों की स्थिति प्रदेश की अन्य चीनी मिलों की सी ही है । इस पेराई सत्र के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य की तुलना में चीनी मिलों द्वारा अपेक्षाकृत काफी अधिक गन्ना मूल्य देने, गन्ने के अब तक के सर्वाधिक उत्पादन को अधिकतम सम्भव खपत के दृष्टिकोण से मार्च, 1982 के बाद भी अनार्थिक होने पर भी पेराई करते रहने, लेवी मुक्त चीनी का बाजार भाव अपेक्षाकृत कम रहने

आदि के कारण इस देराई सत्र में सामान्यतया सभी चीनी मिलों को भारी हानि हुई है और इस प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति शोचनीय हो जाने के कारण ही गन्ना मूल्य का बकाया रह गया है। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि बैंकों के तद्विषयक नकद ऋण सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) के सामान्य नियमों में पर्याप्त शिथिलता की जाय ताकि चीनी मिलों को अधिक ऋण मिल सके और वे इस बकाया के अधिकांश भाग का भुगतान कर सकें। भारत सरकार से इस प्रकार की सहायता मिलने पर तथा साथ ही उसके निर्धारित कोटे के अनुसार प्रति माह बिक्रय की जानी वाली चीनी के विक्रय मूल्य से ही इस बकाया के भुगतान की व्यवस्था धीरे-धीरे हो जायेगी।

13--श्री राम आसरे वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

14--श्री मित्र सेन--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सहायक बिक्री कर अधिकारी, खण्ड-8, लखनऊ द्वारा ओम प्रकाश, भांग व्यापारी, चौक का कर निर्धारण आदेश तथा तामील में देरी

15--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि सहायक बिक्री-कर अधिकारी खण्ड-8, लखनऊ ने ता0 14-3-78 को ओम प्रकाश, भांग व्यापारी, चौक का कर निर्धारण आदेश वर्ष 1973-74 के लिए पारित किया था और 19,479 रु0 की मांग निकाली थी? यदि हां, तो ठेका ता0 31-3-74 को समाप्त हो गया था, देरी से तारीख 14-3-78 को आदेश क्यों और कैसे पारित किया गया? और राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां।

कर निर्धारण कार्यवाही दिनांक 27-12-74 से प्रारम्भ की गई थी परन्तु अनेक प्रयासों के बावजूद व्यापारी पर नोटिस की तामीली नहीं हो सकी। अन्त में दिनांक 14-3-78 को एकपक्षीय रूप से कर निर्धारण आदेश पारित करना पड़ा। इसके बारे में छानबीन की जा रही है और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

डुमरियागंज, जनपद बस्ती के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु श्री मंगरे की ली गई नाव, नाव का किराया एवं मजदूरी का भुगतान

16--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे वर्ष 1981 की ऐतिहासिक बाढ़ में डुमरियागंज, जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के सुपरवाइजर कानूनगो करही ने श्री मंगरे पुत्र बाढ़ू, निवासी ग्राम राजपुर को लिखित रूप से एक आदेश दिया कि अपनी बड़ी नाव 12-9-81 से अकबरपुर, मिर्जापुर, रजवपुर आदि गांवों में राहत कार्य में लगा दें? यदि हां, तो उक्त श्री मंगरे को नाव का

किराया और उसकी मजदूरी उसे दी गई? क्या यह सत्य है कि घन आहरित करने पर भी उसे भुगतान नहीं किया गया और पैसा 31 मार्च को वापस कर देना पड़ा? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन है?

श्री बैजनाथ कुरील--

31-3-82 तक ऐसा कोई आदेश जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। विधान सभा प्रश्न के सम्बन्ध में छानबीन करने पर कानूनगो ने दिनांक 6-8-82 को आदेश की एक प्रति जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई है, जिसको छानबीन को जा रही है।

ग्राम बनगवां बरई की मतदाता सूची में फर्जी रूप से सदस्यों के नाम बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में लेखपाल का निलम्बन

17--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-3-82 को प्रश्नकर्त्ता एवं श्री शकील अहमद, निवासी बनगवां बरई ने जिलाधिकारी, बस्ती के कार्यालय कक्ष में मिलकर गांव सभा बनगवां बरई से सम्बन्धित ग्राम एकधरवा में संबंधित लेखपाल द्वारा गलत प्रमाण देकर 25 सौ फर्जी नाम मतदाता सूची में शामिल करने की लिखित शिकायत की थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि निर्वाचन कार्यालय, बस्ती के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने तुरन्त सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पत्रावली जिलाधिकारी, बस्ती को भेजी? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई? क्या सारा तथ्य सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील--

सर्वश्री शकील अहमद, शाहनेवाज हुसैन, मोहम्मद जमील आदि ने दिनांक 23-4-82 को ग्राम बनगवां बरई की मतदाता सूची में फर्जी रूप से सदस्यों के नाम बढ़ाये जाने विषयक शिकायती-पत्र दिया था। शिकायती-पत्र पर प्राथमिक जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये श्री जगदीश प्रसाद मिश्र, लेखपाल का तत्काल स्थानान्तरण कर दिया गया और प्रश्नगत लापरवाही के लिए लेखपाल को निलम्बित कर जांच कराई जा रही है।

18-19--श्री केदार नाथ सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 92-93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

20--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

लखनऊ के बिक्री-कर अधिकारी खंड-3 द्वारा मिट्ठू लाल, भांग व्यापारी पर लगाया गया कर

21--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्री-कर अधिकारी, खंड-3 ने तारीख 25-1-78 को मिट्ठू लाल, भांग व्यापारी पर 28,600 रु0 कर एवं

1976-77 के लिए लगाया है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 में पंजीकरण कराने के लिए व रूपपत्र दाखिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? रूपपत्रों के साथ कितना कर जमा है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां।

वर्ष 1976-77 में पंजीकरण कराने व रूप पत्र दाखिल कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

व्यापारी ने कोई रूप पत्र व कर जमा नहीं किया है।

22—श्री दिवाकर बिक्रम सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

23—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

[4थे मंगलवार म अतारांकित प्रश्न संख्या 95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

24—श्री मीखालाल—

[4थें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के अन्तर्गत स्थानन्तरित ।]

25—श्री मीखा लाल—

[20-8-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित ।]

ग्राम सभा एरा भदियार, तहसील व जिला उन्नाव में पट्टों को खारिज करने का आदेश तथा भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

26—श्री मीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा एरा भदियार, तहसील व जिला उन्नाव से सम्बन्धित धारा 198 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन मुकदमा नं0 78 से 100 वर्ष 1968 में परगनाधिकारी, उन्नाव से पट्टों को खारिज करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उसका अमलदरामद लेखपाल के कागजों में कराया गया और सम्बन्धित भूमि का आवंटन ग्राम समाज द्वारा नये सिरे से भूमिहीनों में किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत मुकदमा नम्बरों में से केवल मुकदमा नम्बर 81, 83, 85, 87, 89, 92, 94, 97, 98 व 99 का वर्ष 1968 में निर्णय हुआ दर्ज है जिसमें से केवल मुकदमा संख्या 81, 87, 92, 94 व 99 में परगनाधिकारी के आदेश से पट्टों को निरस्त किया गया, अमलदरामद लेखपाल के कागजों में हो चुका है। इसमें से 2 बीघा भूमि का पुनः पट्टा भूमिहीनों को किया गया। शेष भूमि को भूमि प्रबन्धक समिति ने सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ा। शेष भूमि को नियमानुसार आवंटन के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।

मुकदमा सं0 83 व 98 में पट्टा निरस्तीकरण के आदेश के पूर्व ही भूमि को बिक्री बैनामे के आधार पर क्रेता के नाम अमलदरामद हो चुका था। मुकदमा नं0 85,89 व 97 के सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी ने बिना अंतिम आदेश के पत्रावलियां दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिए थे। इन मुकदमों के सम्बन्ध में पुनः शासकीय अभिवक्ता ने सक्षम न्यायालय के समक्ष निरस्त कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

27—श्री भीखालाल—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

28—श्री केदार नाथ सिंह—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम मौह री मजरा भटखेरवां कलां, जिला उन्नाव के अग्निपीड़ितों को प्रदान की गई सहायता

29—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री उप सचिव राजस्व अनुभाग-10 के अर्ध शासकीय पत्र सं0 1928/1-10-82-6 (43)/82, दिनांक 31 मार्च, 1982 के संदर्भ बतायेंगे कि ग्राम मौहारी मजरा भटखेरवां कलां, विकास खंड बीघापुर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के अग्निपीड़ितों को जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा कब और कितनी सहायता प्रदान की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

30—श्री राज कुमार राय—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम फुन्दनपुर, जिला सुल्तानपुर के मुहाल मकदूमपुर के बन्दोबस्त सोयम के खाता खेवट संख्या 1 तथा 1359 फ0 में अंकित खातेदारों के नाम

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फुन्दनपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के खाते प्लाट नं0 1 मुहाल मकदूमपुर में बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ0 में कितने खातेदार अंकित हैं ? खातमा जमींदारी पर प्रत्येक को कितना प्रतिकर सरकार द्वारा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम फुन्दनपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना के मुहाल मकदूमपुर के बन्दोबस्त सोयम में खाता खेवट संख्या 1 पर निम्नलिखित दो खातेदारों के नाम अंकित हैं :—

1—श्री यासीन अली खां पुत्र मुस्तफा अली (आठ आना)

3—श्री मुस्तफा अली खां पुत्र करम शेर खां (आठ आना)

इसी प्रकार उक्त ग्राम के 1359 फसली में खाता खेवट नम्बर 1 पर निम्नलिखित खातेदारों के नाम अंकित हैं :—

1—बाबू यासीन अली खां, पुत्र बाबू मुस्तफा अली खां (आठ आना)

2—अब्दुल वाहिद खां, पुत्र मुस्तफा अली खां (आठ आना)

3—अब्दुल कादिर खां, पुत्र मुस्तफा अली खां (आठ आना)

जमींदरी उन्मूलन के उपरान्त प्रतिकर की धनराशि शून्य होने के कारण भुगतान नहीं हुआ क्योंकि प्रतिकर निर्धारण की तालिका ज0 वि0 फार्म 27 (नियम 40) के अन्तर्गत किसी खाते पर प्रतिकर तभी देय होता है जब कच्ची निकासी के वास्तविक कटौतियां करने के उपरान्त पक्की निकासी शेष बचती है और इसी पक्की निकासी का 8 गुणा धनराशि प्रतिकर के रूप में देय होती है। प्रश्नगत खाता खेवट सं0 1 के सम्पूर्ण भाग की कच्ची निकासी रुपया 220 होती है और शुद्ध कटौती 376 रुपया 3 आने 1 पाई होती है। इस कारण शुद्ध कटौती अधिक होने के कारण शुद्ध निकासी शुन्य हो गई और इस प्रकार खाते के प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि शून्य हो गई।

ग्राम मंगरौरा, जिला सुल्तानपुर में खाता खतौनी संख्या 51 की भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंगरौरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर में खाता खतौनी सं0 51 में पाकिस्तान की निवासी श्रीमती अहमदी बेगम सह-खातेदारियों का भाग शत्रु सम्पत्ति घोषित है ? वह किसके कब्जे में है ? तथा कितना रकबा है ? क्या यह सही है कि वर्तमान चकबन्दी प्रक्रिया में यह दूसरों के नाम अंकित कर दी गयी है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम-मंगरौरा, परगना-जगदीशपुर, तहसील-मुसाफिरखाना, जिला-सुलतानपुर, में खाता खतौनी संख्या-51 (खतौनी 1385ता 1387 फसली) में श्रीमती अहमदी बेगम पुत्री श्री मोहम्मद अली खां का नाम अन्य सह-खातेदारों के साथ अंकित था और श्रीमती अहमदी बेगम के पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप उपरोक्त खाते में उनका भाग शत्रु सम्पत्ति होकर अभिरक्षक शत्रु सम्पत्ति में निहित, हुआ परन्तु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत वाद, जिसमें अन्य-सहखातेदार आपस में मिल गये और जिसमें अभिरक्षक, शत्रु सम्पत्ति, बम्बई, को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था जिसके कारण शासन को इसकी जानकारी न हो सकी, में निर्णय दिनांक 30-9-80 द्वारा, पाक-राष्ट्रिक श्रीमती अहमदी बेगम की अनुपस्थिति में, उनका नाम खाते से खारिज करके अन्य व्यक्तियों के खाते में शामिल कर दिया गया। इस खाते का क्षेत्रफल 17 बीघे 14 बिस्वा, 10 बिस्वांसी, आधार वर्ष खतौनी सन् 1385 फसली ता 1387 फसली के आधार पर है और चकबन्दी प्रक्रिया के फलस्वरूप इस खाते का शत्रु भाग अन्य व्यक्तियों सर्वश्री मोहम्मद नईम खां, कबीर अहमद, मोहम्मद नकी, मोहम्मद जसीम खां, मजहर खां, अजहर खां, नजीर खां, मजीद खां, मोहम्मद वसीम खां व मुइज खां के नाम अंकित हो गया और चकबन्दी प्रक्रिया पुनः लागू हो जाने के फलस्वरूप

चकबन्दी न्यायालय का उपर्युक्त पूर्व निर्णय दिनांक 30-9-80 निरस्त कराये जाने और पूर्व खते संख्या-51 का 1/3 भाग शत्रु सम्पत्ति घोषित किये जाने हेतु वर्तमान चकबन्दी न्यायालयों के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने के आदेश शासन द्वारा भेजे जा चुके हैं। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराये जाने और उससे बकाया भू-राजस्व आदि वसूल किये जाने का प्रश्न चकबन्दी न्यायालयों के निर्णय हो जाने के पश्चात ही उठ सकता है।

जनपद रायबरेली में मोहल्ला जहानाबाद निकट रंगमहल में स्थित मकान संख्या 516 व 517 के विरुद्ध बेदखली और बकाये किराये की वसूली हेतु जारी की गयी नोटिसें

33—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में मोहल्ला-जहानाबाद निकट रंगमहल में स्थित दो पक्के मकानात संख्या 516 व 517 और मकान संख्या 514 से मिला हुआ एक खंडहर श्री मकबूल हसन खां का था जिनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती अहमदी बेगम अपने तीन पुत्रों एवं एक पुत्री के साथ पाकिस्तान चली गयी में और उनके पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप उपरोक्त मकानात व खंडहर शत्रु सम्पत्ति हो गया है? यदि हां, तो यह किसके कब्जे में है? अब तक सरकार ने अपने अधिग्रहण में क्यों नहीं लिया है, उसका कारण क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील—

रायबरेली जनपद में मोहल्ला जहानाबाद निकट रंगमहल में स्थित दो मकान संख्या-514 व 517 और मकान संख्या-514 से मिला हुआ खंडहर श्री मकबूल हसन खां की सम्पत्ति थे जिनकी मृत्यु के पश्चात उनकी बेवा श्रीमती अहमदी बेगम के, अपने तीन पुत्रों और एक पुत्री सहित, पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप उपरोक्त सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति हो गई। मकान संख्या-514 और उससे मिले हुए दक्खिन ओर खण्डहर भूमि श्री बदरुल हसन खां तथा मकान संख्या-517 श्री शब्बीर अहमद खां के कब्जे में है जिनकी बेदखली और उनसे बकाये किराये की अदायगी आदि के सम्बन्ध में उन्हें नोटिसें जारी की जा चुकी हैं।

ग्राम मंगरौरा, जिला सुल्तानपुर में भू-आवंटन का कार्य

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मंगरौरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1970 से 31 मार्च, 1982 के मध्य ग्राम समाज का भू-आवंटन किस-किस को और कितना हुआ है। पट्टेदारों में कितने स्थाई एवं अस्थाई निवासी है? क्या यह सत्य है कि अधिकांश पट्टे ग्राम के बाहर के लोगों को आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम मंगरौरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर में वर्ष 1970 से 31 मार्च, 1982 ई0 के मध्य ग्राम समाज के भू-आवंटन कार्य जो सम्पादित किया गया है, उसका विवरण निम्नलिखित हैं :

	बी0बि0बि0
1—श्री राम सुत मेड़ई	5 02 10
2— ,, राजाराम सुत नथई	4 19 17

		वी0बि0बि
3—	श्री दिगम्बर सुत राम लाल	5 00 00
4—	,, हरखू सुत मेड़ई	4 19 17
5—	,, सुकई सुत छोटो	5 03 18
6—	,, सूर्यपाल सुत राम स्वरूप	5 00 00
7—	,, भरोसे सुत पितई	5 00 17
8—	,, धनी सुत पल्टी	5 01 19
9—	,, रोहीत सुत नरायन	0 17 11
10—	,, इन्द्रपाल सुत सुकई	0 16 09
11—	,, दुलारे सुत जगमोहन	0 17 09
12—	,, सुफल सुत रामदीन	0 16 00
13—	,, मोहन लाल सुत रतीपाल	0 16 17
14—	,, कामता सुत राम लाल	0 18 19
15—	,, गुरु सुत लाल	0 15 14
16—	,, बड़े लाल सुत विरजू	0 19 10
17—	,, लल्लू सुत जगमोहन	0 15 00
18—	,, बड़े लाल सुत विरजू	0 10 00
19—	,, गुरु सुत लाल	0 17 07
20—	,, कामता सुत राम लाल	0 16 08
21—	,, रोहित लाल सुत नरायन	0 15 00
22—	,, मोहन लाल सुत रतीपाल	0 15 09
23—	,, इन्द्रपाल सुत सुकई	0 15 00
24—	,, सुफल सुत रामदीन	0 15 00
25—	,, दुलारे सुत जगमोहन	0 14 19
26—	,, बेचू सुत जगप्रसाद	0 16 12
27—	,, लल्लू सुत जगमोहन	0 16 07

उपर्युक्त सभी पट्टेदार ग्राम मंगरौरा के स्थाई निवासी हैं ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुलतानपुर के भूखंड संख्या 1153 का आवंटन

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर में भू-खंड 1153 जो सन् 1970 में श्री गुलाम मुहम्मद पुत्र दोस्त मुहम्मद को आवंटित किया गया है वह श्रीमती शिवराजी पत्नी कन्हई जाति (डोम) हरिजन की तथा उसके पूर्वजों एवं

उसके परिवार के सदस्यों को समाधिस्थ हैं ? यदि हां, तो पट्टे पर दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इसकी विस्तृत जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर पट्टा निरस्त कराके समाधि स्थल घोषित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर के भूखंड सं0 1153 का पूर्ण क्षेत्रफल 1-12-18 ग्राम अभिलेखों में अंकित है । उक्त क्षेत्रफल में से 0-19-18 श्री गुलाम मोहम्मद के नाम, 0-13-0 श्री सियाराम के नाम आवंटित किए गए थे । अतिरिक्त जिलाधिकारी के द्वारा वाद संख्या-309/1980-81 धारा 198 दिनांक 14-7-81 के अन्तर्गत श्री सिया राम आवंटी का पट्टा निरस्त किया जा चुका है । सम्बन्धित भूमि ग्राम समाज सम्पत्ति घोषित हो चुकी है । केवल उक्त भूखंड सं0 1153 के क्षेत्रफल 0-19-18 पर पट्टेदार श्री गुलाम मोहम्मद का नाम दर्ज है और वह स्थल पर काबिज है । स्थानीय जांच के फलस्वरूप यह बात स्पष्ट हुई कि उक्त भूमि पर श्रीमती शिवराजी पुत्री श्री कन्धई जाति डोम के परिवार के सदस्यों की कोई समाधि मौके पर नहीं है । इस प्रकार भूमि सं0-1153 का आवंटन नियमानुसार किया गया है, वह सही है और इस पर कोई समाधि नहीं है । अतः पट्टे को निरस्त किए जाने तथा विवादित भूमि को समाधि घोषित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील बिलग्राम में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को अहेतुक सहायता

36--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल 1982 में ओला वृष्टि के भीषण प्रकोप से ग्रस्त क्षेत्रों में शासन द्वारा राहत के सिलसिले में जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में कितने व्यक्तियों की कितनी-कितनी धनराशि अनुदान के रूप में और कितनी कितनी धनराशि तकाबी के रूप में कुल मिलाकर कितनी धनराशि वितरित की गई ? शत प्रतिशत क्षतिग्रस्त क्षेत्र में राहत के कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ कराये गये ? यदि कार्य प्रारम्भ नहीं कराये गये, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील बिलग्राम में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में 308 परिवारों को 7,152 रु0 अहेतुक सहायता तथा 530 परिवारों को 92,650 रु0 आपदा तकाबी कुल मिलाकर 99,802 रु0 की धनराशि वितरित की गई ।

जिन क्षेत्रों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची, भूराजस्व एवं अन्य कृषि देयों की वसूली स्थगित की गई तथा भूराजस्व में छूट के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं । ओला ग्रस्त क्षेत्रों में देयों की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के भी आदेश दिये गये हैं ।

मिर्जापुर में राजगढ़-शाहगंज मार्ग हेतु अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान

37--श्री रामचरण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 1-5-82 को जो पत्र ग्राम सहदेइया बैंडान्ड, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में राज-गढ़-शाहगंज मार्ग में ली गयी भूमि का लगान वापस किये जाने के बारे में लिखा

था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-5-82 प्राप्त हुआ जिससे संलग्न श्री कृपा शंकर सिंह आदि के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, मिर्जापुर से रिपोर्ट मांगी गयी थी । जिलाधिकारी, मिर्जापुर, से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजगढ़-शाहगंज मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर से सम्बन्धित प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी, के समक्ष धारा-6 के प्रकाशनार्थ विचाराधीन है इसके उपरान्त ही प्रतिकर का भुगतान तथा भू-राजस्व में छूट एवं समायोजन की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

ग्राम सहदेइया, जिला मिर्जापुर में चकबन्दी योजना लागू किए जाने सम्बन्धी पत्र

38--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने जो एक पत्र दिनांक 1-5-82 को ग्राम सहदेइया बैंडाण्ड बड़हर, तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में चकबन्दी कराये जाने के विषय पर लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । इस ग्राम में चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई जा रही है । तत्पश्चात् इस ग्राम के चकबन्दी योग्य पाये जाने की दशा में चकबन्दी योजना लागू करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

जनता चिकित्सालय धनैता तथा बालिका विद्यालय डोमनपुर, मिर्जापुर के लगान के सम्बन्ध में पत्र

39--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे जनता चिकित्सालय धनैता तथा बालिका विद्यालय डोमनपुर, मिर्जापुर के लगान के सम्बन्ध में दिनांक 6-4-82 को प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6-4-82 प्राप्त हुआ था जिससे संलग्न श्री सत्य नरायन सिंह के प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, मिर्जापुर से रिपोर्ट मांगी गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि को भू-राजस्व एवं विकास-कर से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 के नियम-205 के अन्तर्गत मुक्त कर दिया गया ।

जनपद मिर्जापुर में उपलवृष्टि से हुई क्षति के कारण ग्रामों में समस्त कृषि देयों की स्थगित वसूली

40—श्री राम चरण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर की समस्त तहसीलों में उपलवृष्टि से हुई क्षति के कारण मालगुजारी व सिंचाई से मुक्ति दिलाने तथा राहत कार्य चलाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 11 मार्च, 82 को एक पत्र उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

मिर्जापुर जनपद में फरवरी, मार्च 1982 में उपलवृष्टि से हुई क्षति के कारण शासनादेश,, दिनांक 3-3-82 के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक क्षति के 2822 ग्रामों में समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई और भू-राजस्व में नियमानुसार छूट देने की कार्यवाही की जा रही है ।

ओला राहत कार्य के अन्तर्गत अनेक परियोजनाओं पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान किये गये । इस समय वर्षा के कारण सम्प्रति वृक्षारोपण तथा भूमि संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं हो पा रहे हैं ।

ग्राम हजरत नगर गढ़ो, मुरादाबाद में साहू शुगर वर्क्स द्वारा चीनी बनाने तथा रजिस्टर में राब दिखाने के विरुद्ध कार्यवाही

41—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को विदित है कि साहू शुगर वर्क्स, हजरतनगर गढ़ो, मुरादाबाद ने पिछले साल (वर्ष 1980-81) में नम्बर एक की चीनी बनाई और रजिस्टर में राब बनाना दिखाया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जो इसकी जांच करवा कर साहू शुगर वर्क्स के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

ग्राम हजरत नगर गढ़ो, मुरादाबाद में साहू शुगर वर्क्स के नाम की कोई इकाई वर्ष 1980-81 में न लाइसेन्स कृत थी और न कार्यरत रही । अतः उसके द्वारा चीनी बनाने तथा रजिस्टर में राब दिखाने और उसके लिए उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

42—श्री ऊदल—

[4थे मंगलवार म अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभा ऐरा भटियार, जिला उन्नाव में परगनाधिकारी, उन्नाव द्वारा पट्टों को खारिज किए जाने का आदेश तथा नये सिरे से भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

43--श्री भोखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा ऐरा भटियार, तहसील व जिला उन्नाव से सम्बन्धित धारा 198, जमीन्दारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन मुकदमा नम्बर 24 से 33, वर्ष 1968-70 में परगनाधिकारी, उन्नाव ने पट्टों को खारिज करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उसका अमल-दरामद लेखपाल के कागजों में कराया गया और सम्बन्धित भूमि का आवंटन ग्राम समाज द्वारा नये सिरे से भूमिहीनों में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम ऐरा भटियार, तहसील व जिला उन्नाव से सम्बन्धित परगनाधिकारी उन्नाव के न्यायालय के मिसलबन्द रजिस्टर वर्ष 1967-68, 1968-69 व 1969-70 म धारा 198 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 में मुकदमा नं0 24 लगायत मुकदमा नं0 32 दर्ज हैं। मुकदमा नं0 33 का इस ग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त मुकदमा संख्या 24 से 32 में से केवल मुकदमा संख्या 26, 27 व 30 में परगनाधिकारी के आदेशों से पटटे खारिज होकर 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम समाज में निहित की गई व उसका अमलदरामद किया गया। इसमें से केवल 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन पुनः भूमिहीन हरिजनों के पक्ष में किया गया। शेष क्षेत्रफल ग्राम सभा के खाते में अंकित है भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा छोड़ी गई। इस भूमि का तुरन्त आवंटन करने के आदेश दे दिए गए हैं।

मुकदमा नं0 24, 25, 28, 29, 31 व 32 में पट्टे मंसूखी की नोटिस वापस लिए जाने के आदेश दिये गये हैं। पट्टे मंसूख नहीं किये गये हैं अतः अमलदरामद आवंटियों के पक्ष में ही यथावत् रहा है।

44-45--श्री ऊदल--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 100-101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

46--श्री प्रभू नारायण सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

47--श्री राम आसरे वर्मा--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

क्रय केन्द्र आटामांडा पर न्योली शुगर फैक्टरी, जिला एटा द्वारा कृषकों से गन्ना का क्रय

48--श्री चेतराम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति, भोजीपुर के क्रय केन्द्र आटामांडा पर वर्ष 1981-82 में न्यूली

चीनी मिल, जिला एटा द्वारा कितना गन्ना कृषकों से लेना प्रस्तावित था और अब तक कुल कितने गन्ने की खरीद की जा सकी ? क्या यह सही है कि अब तक की गयी सारी खरीद कुल किए गए सट्टे की 25 प्रतिशत भी नहीं है ? यदि हां, तो इतना कम गन्ना खरीदे जाने का कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जनपद बरेली की सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, भोगीपुरा के क्रय केन्द्र आटामांडा पर वर्ष 1981-82 में 0.92 लाख क्विंटल के सट्टे कृषकों से किये गये थे तथा आटामांडा केन्द्र से न्योली शुगर फैक्ट्री न्योली, जिला एटा द्वारा कुल 0.82 लाख क्विंटल गन्ना खरीद किया गया। इस प्रकार यह सही नहीं है कि कुल खरीद किये गये सट्टे का 25 प्रतिशत भी नहीं है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

49--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[4थ मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के ग्राम पहाड़पुर टोला रोइया में अग्नि दुर्घटना तथा मृतकों के परिवारों को अनुग्रह धनराशि का वितरण

50--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के देवरिया तहसील अन्तर्गत के ग्राम पहाड़पुर, टोला रोइयां में दिनांक 12 मार्च, 1982 को आग लगने से 34 घर, एक औरत, एक नाबालिग बच्चा सहित लगभग 5 लाख से अधिक की सम्पत्ति जलकर राख हो गई ? यदि हां, तो क्या सभी परिवारों को मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

देवरिया जिले के ग्राम पहाड़पुर टोला रोइयां में दिनांक 12 मार्च, 1982 को नहीं बल्कि 12 मई, 1982 को अग्नि दुर्घटना हुई थी जिसमें 56 परिवार प्रभावित हुए थे, एक महिला व एक बच्चे की मृत्यु हुई थी तथा लगभग 2 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। हानि का मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है। पात्र परिवारों को अहेतुक सहायता गृह अनुदान तथा मृतकों के परिवार को अनुग्रह धनराशि का वितरण किया गया।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत सदर तहसील के ग्रामों का बन्दोबस्त कराए जाने हेतु प्रस्ताव

51--प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाल में जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत सदर तहसील के 48 ग्रामों (माझा क्षेत्र) का बन्दोबस्त कराए जाने हेतु शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त गांव में बन्दोबस्त का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांव का बन्दोबस्त कराये जाने पर विचार कर कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है और अतिशीघ्र यथावश्यक निर्णय लिया जायगा ।

52--श्री नन्द किशोर सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तिलहर चीनी मिल के मरुआझाला गन्ना क्रय केन्द्र के सेण्टर इंचार्ज श्री सर्वेश चन्द्र शुक्ला के विरुद्ध शिकायतें

53--श्री राजेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर के मरुआझाला गन्ना खरीद केन्द्र के सेन्टर इंचार्ज के विरुद्ध कितनी शिकायतें 1--3--82 से 5--5--82 तक प्रधान प्रबन्धक महोदय चीनी मिल तिलहर को प्राप्त हुईं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

तिलहर चीनी मिल के मरुआझाला गन्ना क्रय केन्द्र के सेन्टर इंचार्ज श्री सर्वेश चन्द्र शुक्ला के विरुद्ध प्रधान प्रबन्धक को 1--3--82 से 5--5--82 के बीच कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । 17--5--82 को कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी थीं जिनके आधार पर श्री शुक्ला को स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये गये और उनके वैसा न करने पर जुलाई, 82 में पेराई के बन्द होने पर श्री शुक्ला को सेवा से मुक्त कर दिया गया । साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उन्हें भविष्य में सेवा में न लिया जाय ।

54--श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद में उपलवृष्टि से कृषकों की फसलों को क्षति

55 --श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में हाल की उपलवृष्टि से कृषकों की फसल को भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो अनुमानित क्षति क्या हुई और शासन द्वारा कृषकों को क्या सहायता दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । जनपद फर्रुखाबाद में माह मार्च, 1982 में हुई उपलवृष्टि से कृषकों की फसलों को लगभग 16,50,31,591 रु0 की क्षति हुई ।

उपलवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई राजकीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी । प्रभावित क्षेत्रों में निम्न राहत सामग्री भी वितरित की गई :

	रु0
अहेतुक सहायता	13,56,765
गृह अनुदान	39,800
आपदा तकावी	75,000
गेहूं तथा आटा	43 कुं0 50 कि0 ग्रा0

रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया ।

56—श्री नन्दराम—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभा पिपरा प्रथम, जनपद बस्ती में भीषण वर्षा से गृह अनुदान का वितरण

57—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष भीषण वर्षा के कारण हुई क्षति में ग्राम सभा पिपरा प्रथम, विकास खंड साथा, जनपद बस्ती में कुल कितने लोगों को कितना अनुदान दिया गया ? क्या मंत्री जी पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गत वर्ष 1981–82 में भीषण वर्षा के कारण ग्राम सभा पिपरा प्रथम, जनपद बस्ती में कुल 15 पात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान के रूप में रु0 1,140 दिया गया जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1279 पर ।)

ग्राम परसिया, जिला बस्ती के श्री संतलाल को गृह अनुदान सहायता न दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

58—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री संतलाल, निवासी ग्राम परसिया विकास खंड साथा, तहसील बांसी, जिला बस्ती का घर गत वर्ष की भीषण वर्षा के कारण गिर गया था परन्तु लेखपाल ने इसकी रिपोर्ट नहीं किया ? जिसके कारण श्री सन्तलाल को कोई राजकीय सहायता नहीं प्राप्त हुई ? क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच जिला स्तर के अधिकारी से करवाकर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे तथा श्री सन्तलाल को राजकीय सहायता प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम परसिया, जिला बस्ती के श्री संतलाल का घर गत वर्ष वर्षा से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था । वे गृह अनुदान पाने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे । इनकी वार्षिक आय रु0 2400 से ज्यादा है । फलतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने या श्री संतलाल को सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील देवरिया, सलेमपुर, पडरौना और हाटा में अग्निकांड की घटनायें एवं राहत कार्य हेतु वितरित की गई धनराशि

59—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया, सलेमपुर, पडरौना और हाटा तहसीलों में 1 मार्च, 82 से 24 मई, 82 तक कितने गांवों में आगजनी हुई है ? और उन गांवों के नाम क्या हैं तथा कितना–कितना रुपया राहत कार्य में बांटा गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद देवरिया के अन्तर्गत तहसील देवरिया, सलेमपुर, पडरौना तथा हाटा के क्रमशः 116, 112, 109 तथा 103 ग्रामों में 1 मार्च, 1982 से 24 मई, 1982 तक अग्निकांड की घटनायें हुई । उक्त ग्रामों के नाम पूर्व सूचना पर मेरे कार्यालय कक्ष में देखे जा सकते हैं । राहत कार्य में कुल 1,60,360 रु० अहेतुक सहायता, 94,300 रु० गृह अनुदान तथा 5,800 रु० अनुग्रह धनराशि के रूप में वितरित किए गए । इसके अतिरिक्त 15 कम्बल हरिजन परिवारों को सहायतार्थ दिए गये ।

60- -श्री कुबेर भंडारी--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम एवं संडीला में अमीनों तथा संग्रह चपरासियों की संख्या तथा आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की कार्यवाही

61--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 25-5-82 को जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम एवं सण्डीला में अमीनों और उनके चपरासियों की संख्या कुल कितनी है उनमें कितने नियमित हैं और कितने सीजनल तथा उनमें हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? आरक्षण के आधार पर हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 25-5-82 को जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम एवं संडीला में अमीनों की कुल संख्या 99 तथा संग्रह चपरासियों की कुल संख्या 99 थी यह सभी नियमित हैं । उक्त तिथि को सीजनल अमीन का कोई पद स्वीकृत नहीं था ।

संग्रह अमीनों में उनकी कुल संख्या 99 के विरुद्ध 11 हरिजन एवं 19 पिछड़ी जाति के हैं । संग्रह चपरासियों में 21 हरिजन एवं 24 पिछड़ी जाति के हैं ।

अमीनों के संवर्ग में पिछड़ी जाति का आरक्षित कोटा पूरा है लेकिन हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है । इसे पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

62--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

63--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

64- --श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री रामलखन, हरिजन, ग्राम दौलतपुर हाजिर पटटी, थाना व तहसील टाण्डा, फैजाबाद की भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

65---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामलखन, ग्राम दौलतपुर हाजिर पट्टी, थाना व तह0 टाण्डा, फैजाबाद की भमि की पैमाइश करा कर कब्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 29-4-82 का कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या विवादित भूमि की पैमाइश करा कर कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जी हां । दिनांक 29-4-82 का पत्र प्राप्त हुआ जिसके उत्तर में अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 287/1-8/82 रा0-8-दिनांक 29 मई, 1982 द्वारा माननीय सदस्य को सूचित किया जा चुका है कि श्री रामलखन हरिजन का प्रार्थना-पत्र चकबन्दी आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही करके उन्हें सूचित करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री कौलेश्वर आदि निवासी ग्राम बाजिदपुर टांडा, फैजाबाद को भूमि एवं वृक्षों के प्रतिकर का भुगतान

66---गोपीनाथ वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कौलेश्वर आदि निवासी ग्राम बाजिदपुर टांडा, फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र ग्राम समाज की भूमि पर लगाए गये लकड़ों वृक्षों के प्रतिकर न दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 29-4-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम के किसानों को बकाया प्रतिकर भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जो हां, अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत ग्राम की 61 बीघा 16 बिस्वा 12 बिस्वासी भूमि थर्मलपावर स्टेशन, टांडा के लिए अर्जित की गई । इस भूमि के अधिग्रहण का प्रतिकर कुल धनराशि 15,60,934·52 रु0 का वितरण किया जा चुका है । श्री कौलेश्वर का भी उनके भूमि एवं वृक्षों का प्रतिकर 29,236·13 रु0 दिया जा चुका है ।

ग्राम प्रधान श्री खलील बेग, ग्राम अमीनपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा अवैध रूप से तालाब का पट्टा दिए जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र की जांच

67---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान श्री खलील बेग् ग्राम अमीनपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा अवैध रूप से तालाब का पट्टा अपने भतीज के नाम किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 8-4-82 का कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराई गयी और सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

जांचोपरान्त पट्टे के निरस्तीकरण का औचित्य नहीं पाया गया। उक्त तालाब के सम्बन्ध में मुहीउद्दीन बग आदि ग्रामवासियों द्वारा एक प्रार्थना-पत्र न्यायालय अपर जिलाधिकारी, फैजाबाद में प्राप्त हुआ था जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई । न्यायालय अपर जिलाधिकारी से सम्बन्धित पक्ष को नोटिस जारी हुयी और जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 188 (4) के अन्तर्गत वाद इस समय न्यायालय में विचाराधीन है । चूंकि मामला न्यायिक कार्यवाही में है अतः न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

तहसीलदार टांडा द्वारा श्री राधाकृष्णन, निवासी ग्राम बेरमपुर को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र दिए जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

68--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार टांडा, फैजाबाद द्वारा सं0 21-45 के क्रम में सवर्ण जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 29-4-82 का शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । शिकायत की जांच करायी गयी । तहसीलदार टांडा द्वारा श्री राधाकृष्णन पुत्र श्री अयोध्या, निवासी ग्राम बेरमपुर, तहसील टांडा को नायक जाति (पिछड़ी जाति) का प्रमाण-पत्र रजिस्टर के क्रमांक 2145 पर जारी किया गया है ।

वर्तमान शासनादेशों के अन्तर्गत उक्त जाति को पिछड़ी जाति घोषित किया गया है ।

अतः किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

69--श्री सन्त बक्स रावत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री कैलाशनाथ अवस्थी, निवासी भिखारीपुर मजरे पन्हौना का दाखिल-खारिज सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

70--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या राजस्व मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि ग्राम भिखारीपुर, परगना पन्हौना, थाना शिवरतनगंज, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली के श्री कैलाश नाथ अवस्थी पुत्र स्व0 बेनी माधव अवस्थी का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1977 जिलाधिकारी, रायबरेली तथा तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली भूखंडों का दाखिल खारिज के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बजनाथ कुरील--

श्री कैलाशनाथ अवस्थी पुत्र स्व0 बेनी माधव अवस्थी, निवासी भिखारीपुर, मजरे पन्हौना के दाखिल खारिज सम्बन्धी कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1977

जिलाधिकारी, रायबरेली के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। स्व0 बेनी माधव अवस्थी के वारिसों के नाम खाता संख्या 674, 795 तथा 149 में भू लेख नियमावली के पैरा 433 (ग) के अन्तर्गत अंकित किए जा चुके हैं जिसमें श्री कैलाश नाथ अवस्थी का नाम भी सम्मिलित है।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर में यांत्रिक खराबी

71--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर यांत्रिक खराबी के कारण पूरी क्षमता पर पेराई नहीं कर पा रही है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 81-82 में इस मिल की क्षमता से आधी पेराई भी नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मिल को अपने नियन्त्रण में लेने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

पेराई सत्र 1981-82 के लिए रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जौनपुर को उससे सम्बद्ध समितियों ने 9.35 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति हेतु आफर किया था जिसके विरुद्ध 9.29 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई इस मिल ने की। फिर भी यह ठीक है कि मिल में कुछ यांत्रिक खराबियां हैं जिनके ठीक किये जाने का सुझाव मिल मालिकों के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा इस मिल को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि प्रकटतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

जनपद बाराबंकी के विकास खंड निन्दूरा व फतेहपुर के किसानों को ओलावृष्टि से हुई क्षति तथा राहत कार्य हेतु दिया गया अनुदान

72--श्री जमुना प्रसाद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के विकास खंड निन्दूरा फतेहपुर में दिनांक 24-3-82 को भीषण ओलावृष्टि हुई ? यदि हां, तो राहत कार्य के अन्तर्गत किसानों को अनुदान की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। राहत कार्यों के अन्तर्गत ओलावृष्टि से मृतकों के परिवारों को एक-एक हजार रुपये कुल चार हजार रु0 अनुग्रह धनराशि दी गयी। प्रभवित कृषकों में 1,65,350 रु0 तकावी बितरण किया गया। ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु कार्य कराये गये। जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची, मुख्य सरकारी देयों की वसूली स्थगित की गई देय की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश भी दिए गए हैं।

73--श्री सरदार सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील बिसवां के तहसीलदार श्री सत्य प्रकाश सक्सेना की मृत्यु तथा अनुग्रह निधि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव

74--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में तहसील बिसवां के तहसीलदार (श्री सत्य प्रकाश सक्सेना) जिनकी ड्यूटी पर दुर्घटनाग्रस्त होकर दिनांक 5-1-81 को मृत्यु हुई थी, उनके अनुग्रह निधि स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर से कोई अनुशंसा हाल में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो निधि स्वीकृति हो गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निधि कब तक स्वीकृत हो जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। यह प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है। कुछ आवश्यक सूचनायें जिलाधिकारी एवं राजस्व परिषद् से मांगी गयी हैं।

75--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

76--श्रीमती गौरी देवी--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम निवास, कानूनगो, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

77--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निवास, कानूनगो, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, भूतपूर्व विधायक, बाराबंकी का शिकायती-पत्र दिनांक 2-4-82 प्रश्नकर्ता के पत्र, दिनांक 26-4-82 के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला तथा कानूनगो के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-82, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह के 7-4-82 दिनांकित पत्र के साथ प्राप्त हुआ।

पत्र में उल्लिखित शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पाई गईं।

ग्राम ग्रन्ट नं0 3, परगना कुकरा, जिला खीरी में ग्राम सभा की कुल भूमि तथा भूमिहीनों को भूमि का वितरण

78--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रांट नम्बर 3, परगना कुकुरा, तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में तहसील के अभिलेख के अनुसार कुल कितने एकड़ भूमि ग्राम समाज की है उसमें से कुल कितने एकड़ भूमि का बंटवारा भूमिहीनों को हो चुका है ? क्या यह सही है कि अब भी लगभग नौ सौ (900) एकड़ भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके न बांटे जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील अभिलेखों के अनुसार ग्राम ग्रन्ट नं0 3, परगना कुकरा ग्राम सभा की कुल 491·44 एकड़ भूमि है। उसमें से 141·66 एकड़ भूमि का बंटवारा भूमिहीनों को हो चुका है।

यह सही नहीं है कि अब भी लगभग 900 एकड़ भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है।

7·02 एकड़ भूमि हरिजन आबादी के लिए सुरक्षित है बाकी भूमि के बारे में न्यायालय में मामला चल रहा है।

79--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

80--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ओला पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

81--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश के ओला पीड़ित क्षेत्रों में सरकार की ओर से कोई सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कृषकों को राहत देने हेतु प्रदेश के ओला प्रभावित क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, कृषि देयों तथा अन्य मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई तथा 50 प्रतिशत से कम हानि होने वाले क्षेत्रों में वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के निर्देश दिए गये। भू-राजस्व में नियमानुसार छूट के प्रस्ताव तैयार किए जाने के भी आदेश जारी किए गये।

जिन कृषकों की फसल को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है, उनके विरुद्ध सहकारिता अल्पकालिक ऋणों को दीर्घकालिक ऋणों में परिवर्तित करने तथा दीर्घकालिक ऋणों को स्थगित करने के भी निर्देश जारी किये गये। रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

82--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम विशुनपुरा मटियरा में अनधिकृत कब्जों के विरुद्ध बेदखली

83--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम विशुनपुरा मटियरा आबादी की भूमि अवैध रूप से हथियाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र 5 फरवरी, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-82 प्राप्त हुआ ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर को जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये । जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी द्वारा जांच करायी । अनधिकृत कब्जों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर की तहसील महाराजगंज व सदर में सीलिंग की भूमि

84--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज व सदर में कितनी मात्रा में सीलिंग की भूमि निकली है ? तथा किन-किन प्लाटों का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में 3715.50 एकड़ तथा तहसील सदर में 1505.01 एकड़ भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित हुई है ।

न्यायालय में खातेदारों की सम्पूर्ण आराजी को दृष्टिगत रखते हुये वाद चल ये जाते हैं अतः प्लाटवार विवरण देने में अत्यधिक श्रम एवं समय लगने की संभावना है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिवेदी, सहायक लेखाकार, गन्ना समिति, बड़ागांव द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल व प्रमुख मांगों पर कृत कार्यवाही

85--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शैलेन्द्र कुमार त्रिवेदी, सहायक लेखाकार, गन्ना समिति, बड़ागांव, बाराबंकी द्वारा 24-5-82 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है ? यदि हां, तो भूख हड़ताल करने हेतु मांगें क्या हैं तथा इस बारे में शासन द्वारा कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिवेदी, सहायक लेखाकार, ने 24-5-82 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी । तत्सम्बन्धी श्री त्रिवेदी की मुख्य मांग उनकी सेवा से सम्बन्धित विभिन्न बकाया के भुगतान की थी । उक्त समस्त बकाया का भगतान होने पर श्री त्रिवेदी ने अपनी भूख हड़ताल 31 मई, 1982 को समाप्त कर दी थी । उस प्रकरण में समुचित समिति में उनके स्थानान्तरण का भी आश्वासन श्री त्रिवेदी को दिया गया था तथा तदनुसार उन्हें ऐशबाग (लखनऊ) समिति में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री मथुरा प्रसाद, स्थानापन्न नायब तहसीलदार द्वारा प्रत्यावर्तन के विरुद्ध दायर की गयी याचिका

86—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मथुरा प्रसाद, स्थानापन्न तहसीलदार, जिला शाहजहांपुर के प्रत्यावर्तन नीचे के पदपर दिनांक 16-11-1981 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ ने समादेश, याचिका संख्या 6250-1981 के निर्णय में दिए गए स्थगन आदेश का पालन जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री मथुरा प्रसाद, स्थानापन्न तहसीलदार नहीं बल्कि स्थानापन्न नायब तहसीलदार ने संग्रह अमीन के पद पर प्रत्यावर्तन के विरुद्ध प्रश्नगत समादेश याचिका दायर की हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-1-1982 को उस पर यह आदेश पारित किये कि श्री मथुरा प्रसाद को प्रत्यावर्तन के समय जो वेतन मिलता था उसी दर से उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता रहे जब तक कोई अन्य आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित न किया जाये । माननीय न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा, श्री मथुरा प्रसाद को नायब तहसीलदार के पद का वेतन बराबर भुगतान किया जा रहा है ।

87—श्री हरीशंकर—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

88—श्री नन्द किशोर सिंह—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसीलदार, ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद को गृह जनपद में नियुक्त किये जाने का औचित्य

89—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री को मालूम है कि वर्तमान तहसीलदार, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को किसके आदेशों से और किन आधारों पर मुरादाबाद भेजा गया जबकि मुरादाबाद ही उनका होम डिस्ट्रिक्ट है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसीलदार, ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद (श्री छंगामल जैन) को उनके गृह जनपद मुरादाबाद में आयुक्त, मुरादाबाद मन्डल के आदेश से तैनात किया गया था क्योंकि उस समय मुरादाबाद मन्डल के अन्य किसी जनपद में रिक्ति उपलब्ध नहीं थी । श्री जैन को मुरादाबाद जिले में उनकी आवासीय तहसील मुरादाबाद में तैनात नहीं किया गया ।

शासन को जानकारी मिलने पर श्री छंगामल जैन को मुरादाबाद मन्डल से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु शासन द्वारा राजस्व परिषद् को निर्देश भेजे गये । तदनुसार परिषद् ने श्री जैन के स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये थे, किन्तु श्री जैन ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । अतः वह तहसील ठाकुर-द्वारा से कार्य मुक्त नहीं किये जा सके और अभी वे तहसील ठाकुरद्वारा में ही तैनात हैं ।

श्री जैन दिनांक 31 अगस्त, 1982 को सेवानिवृत हो रहे हैं ।

90—श्री रेवती रमण सिंह—

(4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 114 से अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सहकारी गन्ना समिति, भोजीपुरा जिला बरेली में निलम्बित किये गये स्थायी व अस्थायी लिपिक

91—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति भोजीपुरा, जिला बरेली में पिछले तीन वर्षों में किन-किन अस्थायी तथा स्थायी लिपिकों को सस्पेन्ड किया गया ? क्या सस्पेन्ड किये गये लिपिक दोषी पाए गए ? यदि हां, तो अब तक इनकी सेवा समाप्त न करने का कारण क्या हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना समिति भोजीपुरा जिला बरेली में पिछले तीन वर्षों 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में किसी भी अस्थायी अथवा स्थायी समिति भोगी पुरा के लिपिक को निलम्बित नहीं किया गया है । अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

92—श्री चेतराम गंगवार—

(4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

93—श्री रेवती रमण सिंह—

(4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम गुरुसंडी, जनपद मिर्जापुर के प्रधान का निलम्बन व जांचो-परान्त कृत कार्यवाही

94—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद की सदर तहसील के ग्राम गुरुसंडी के प्रधान के विरुद्ध आर्थिक तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, सदर मिर्जापुर ने दिनांक 5 अक्तूबर, 1981 को तहसीलदार, सदर मिर्जापुर को आरोप पत्र तैयार कराने तथा आख्या देने के आदेश दिये थे ? यदि हां तो उक्त प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील—

जी हां । दिनांक 5–10–81 को सम्बन्धित प्रधान को निलम्बित करते हुए परगनाधिकारी ने तहसीलदार सदर को जांच अधिकारी नियुक्त किया व आदेशित किया कि मामले में वांछित आरोप–पत्र तैयार कर प्रधान पर तामील कराया जाय ।

यह कार्यवाही मामले में प्राप्त एक शिकायती पत्र पर नायब तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 23–9–81 के फलस्वरूप की गई किन्तु प्रधान द्वारा दिनांक 14–10–81 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र की बिना पर पुनः विचार करते हुए परगनाधिकारी ने पूर्व पारित अपने निलम्बन आदेश निरस्त इस कारण कर दिया कि नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 23–9–81 संदिग्ध है और जिस व्यक्ति को प्रधान का चार्ज लेने को कहा गया वह सरकारी नौकर होने के साथ–साथ अन्य कारणों से अपात्र है । परगनाधिकारी ने तहसीलदार सदर को आदेश दिया कि वह प्रधान पर लगाये गये आरोपों की जांच कर अपनी विस्तृत आख्या दें । अनुपालन में तहसीलदार सदर ने जांच पूरी कर अपनी आख्या दिनांक 29–7–82 परगनाधिकारी को प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचारोपरान्त प्रधान को परगनाधिकारी की अदालत में कागजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है ।

95—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधान उपर्युक्त मामले में निलम्बित किया गया था तथा परगनाधिकारी सदर ने उक्त आदेश के उपरान्त कार्यवाही पूरी हुए बिना ही उक्त प्रधान को पुनः बहाल कर दिया ? यदि हां, तो इस प्रकार की बहाली का क्या कारण था ?

श्री बंजनाथ कुरील—

वस्तुस्थिति पूर्व प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है ।

मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषदें उ0 प्र0 के अधीन कार्यरत टंककों एवं लिपिकों की पदोन्नति हेतु सेवा नियमावली

96—श्री विद्या सागर नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषदें, उ0 प्र0 के अधीन कार्यरत टंककों एवं लिपिकों को लेखाकार के पद पर पदोन्नति करने हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता स्थापित करने सम्बन्धी कोई सेवा नियमावली शासन ने तैयार की है ? यदि हां, तो यह सेवा नियमावली कब तैयार की गई और इसे कब से लागू किया गया है ? क्या विभागीय सेवा नियमावली के अभाव में मुख्य वित्त अधिकारी जिला परिषदें, उ0 प्र0 द्वारा कर्मचारियों की प्रोन्नति में की गई अनियमितताओं के विषय में वित्त मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24–3–81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति लेखा संगठन (अराजपत्रित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 1980 है । यह सेवा

नियमावली, 25 फरवरी, 1981 को प्रख्यापित की गयी तथा उसी दिनांक से प्रभावी हुई ।

मुख्य वित्त अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि सेवा नियमावली में यह व्यवस्था है कि बिना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए किसी टंकक/लिपिक को लेखाकार के पद पर पदोन्नति न दी जाए। श्री गुसाई ने अभी तक विभागीय परीक्षा नहीं दी है अतः बिना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए श्री गुसाई को लेखाकार के पद पर पदोन्नति देना सम्भव नहीं है ।

कलेक्ट्रेट आजमगढ़ एवं जनपद के सभी तहसीलों में कार्यरत कर्मचारी तथा आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही

97—श्री हरदेव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 31 मार्च, 1982 को आजमगढ़ कलेक्ट्रेट एवं जनपद की सभी तहसीलों में सभी श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनमें प्रत्येक पद (श्रेणी) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं ? यदि अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है तो सरकार कब तक कोटा पूरा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

कलेक्ट्रेट आजमगढ़ एवं जनपद के सभी तहसीलों में, श्रेणी प्रथम में 6, श्रेणी दो में 25, श्रेणी तीन में 139 एवं श्रेणी चार में 180 कर्मचारी कार्यरत हैं। उसमें से श्रेणी एक में एक, श्रेणी दो में 4, श्रेणी तीन में 16 तथा श्रेणी चार में 24 कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं। श्रेणी प्रथम व दो में कोटा पूर्ण है और श्रेणी तीन व चार में अनुसूचित जाति को कोटा पूर्ण नहीं है। शासन के निर्देशानुसार भविष्य में होने वाली रिक्तियों में 50 प्रतिशत भर्ती करके कोटा शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों की नियुक्ति जनपद आधार पर नहीं की जाती है ।

ग्राम भटियाहवा, जिला फैजाबाद के निवासियों का कृषि योग्य भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

98—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 26-5-82 को ग्राम भटियाहवा, मौजा रजौरा, थाना तरुन, जिला फैजाबाद के निवासियों का शिकायती-पत्र अपने पत्र के साथ नाजायज तौर पर कृषि योग्य भूमि पर कब्जा करने सम्बन्ध में भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई तथा कृषकों को भुगतान

99—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1981-82 में (दिनांक 7-6-82 तक) सभी चीनी मिल द्वारा कुल कितना गन्ना पेरा गया ?

तथा उसके मूल्य का कुल कितना पैसा अब तक कृषकों को भुगतान किया गया और कितना पैसा देना बाकी है ? और बाकी पैसा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्ष 1981-82 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दिनांक 7-6-82 तक 214.45 लाख टन गन्ने की पेराई की गई । दिनांक 31-7-82 तक की स्थिति के अनुसार कुल देय गन्ना मूल्य 468.90 करोड़ रु0 में से 396.86 करोड़ रु0 का भुगतान किया जा चुका है तथा 72.04 करोड़ रु0 किसानों का भुगतान हेतु अवशेष है ।

इस पेराई सत्र के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य की तुलना में चीनी मिलों द्वारा अपेक्षाकृत काफी अधिक गन्ना मूल्य देने, गन्ने के अब तक के सर्वाधिक उत्पादन की अधिकतम सम्भव खपत के दृष्टिकोण से मार्च, 1982 के बाद भी अनार्थिक होने पर भी पेराई करते रहने, लेवी मुक्त चीनी का बाजार भाव अपेक्षाकृत कम रहने आदि के कारण इस पेराई सत्र में सामान्यता चीनी मिलों को भारी हानि हुई है और इस प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति शोचनीय हो जाने के कारण ही यह बकाया रह गया है । भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि बैंकों के तद्विषयक नकद ऋण सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) के सामान्य नियमों में पर्याप्त शिथिलता की जाय ताकि चीनी मिलों को अधिक ऋण मिल सके और वे इस बकाया के अधिकांश भाग का भुगतान कर सकें । भारत सरकार से इस प्रकार की सहायता मिलने पर तथा साथ ही उसके निर्धारित कोटे के अनुसार प्रतिमाह विक्रय की जाने वाली चीनी के विक्रय मूल्य से ही इस बकाया के भुगतान की व्यवस्था धीरे-धीरे हो पायेगी ।

100--श्री राम आसरे वर्मा--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

101--श्री चेतराम गंगवार--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम सकतपुरा, तहसील व जिला मुरादाबाद की झीलों की नीलामी रोक दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

102--श्री रियासत हुसैन--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 8-6-82 को प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र सकतपुरा, तहसील व जिला मुरादाबाद की झीलों को भासीण्डों के लिए नीलामी रोक दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

ग्राम सकतपुरा, तहसील व जिला मुरादाबाद के तालाब गाटा संख्या 154/12-29 का नीलाम दिनांक 24-5-82 को स्थानापन्न तहसीलदार श्री बी0 डी0 सक्सेना, द्वारा दिनांक 3-6-82 के लिए मुकर्रिर किया था । जिसकी अवधि 1-7-82 से 30-6-83 तक रखी गई थी । इसके पश्चात् दिनांक 29-5-82 को श्री रामचरन

पुत्र बुद्धा सिंह, निवासी ग्राम सकतपुरा ने दिनांक 29-5-82 को ही एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके नीलाम के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की कि विवादित तालाब के 10 एकड़ क्षेत्रफल का पट्टा 10 वर्ष के लिए उसके नाम हो गया है अतः इस नीलाम की कार्यवाही गैर कानूनी होगी इसलिए इसका नीलाम न किया जाये। उपरोक्त स्थानापन्न तहसीलदार श्री सक्सेना ने जांचोपरान्त पट्टे की चल रही कार्यवाही को दृष्टि में रखते हुए इस नीलाम को स्थगित कर दिया। पट्टे की कार्यवाही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 2-2-82 को की गई थी। किन्तु विभिन्न कारणों से उसकी स्वीकृति परगनाधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई थी। इन कारणों में पट्टे की कार्यवाही के विरुद्ध आपत्तियों, भूमि प्रबन्धक समिति का भंग होना और नये पंचायत चुनाव का होना है। इस पट्टे की कार्यवाही का ज्ञान स्थानापन्न तहसीलदार श्री सक्सेना को नहीं था। अतः उनके द्वारा नीलाम निर्धारित कर दिया गया जिसे जानकारी होने पर रोक दिया गया। पट्टे की कार्यवाही पुनः नये सिरे से अब गांव सभा व भूमि प्रबन्धक समिति के गठन के पश्चात् किया जायेगा। श्री बी० डी० सक्सेना का इस कार्यवाही में कोई दोष नहीं पाया गया है पट्टे दिये जाने की कार्यवाही शासनादेश के अन्तर्गत है और मत्स्य विभाग द्वारा इस सम्बन्धित तालाब को मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त पाया गया है। भविष्य में दिये जाने वाले पट्टे के अनुसार ग्राम सभा को कोई आर्थिक क्षति नहीं होगी क्योंकि शासनादेश द्वारा गत तीन वर्षों की आय के औसत पर ही पट्टा स्वीकार किया जायेगा।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के मुख्य भवन का निर्माण कार्य

103--श्री बदन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद की तहसील किरावली के मुख्य भवन का निर्माण उसकी नींव में कुछ हरे वृक्ष (सात वृक्ष) आ जाने के कारण चार माह से रुका पड़ा है? यदि हां, तो उन हरे वृक्षों को कटवाकर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद आगरा की तहसील किरावली के मुख्य भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और हरे वृक्षों के कारण रुका हुआ नहीं है। निर्माण क्षेत्र में आठ हरे वृक्ष आते हैं जिनका हटाया जाना आवश्यक पाया गया है। इन पेड़ों के स्थान तक निर्माण कार्य पहुंचने के पूर्व प्रश्नगत वृक्षों का निस्तारण हो जायगा।

104--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

लेखपालों की सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी सेवा नियमावली

105--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में अनुमानतः 700 अप्रशिक्षित कार्यरत सुपरवाइजर कानूनगो जिनका कार्यकाल 6 से 10 वर्ष तक का है और अब भी कार्यरत हैं, पर सुपरवाइजर कानूनगो सेवा

नियमावली 31 दिसम्बर, 1977 के लागू होने से उसका भविष्य अनिश्चित हो गया है ? यदि हां, तो शासन उनके तथा उनके भविष्य के प्रति क्या कदम उठा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उत्तर प्रदेश के सुपरवाइजर कानूनगो संवर्ग (मैदानी) में कुल 1,354 पद हैं, जिसमें 972 स्थायी तथा 382 अस्थायी पद हैं। 31 दिसम्बर, 1977 से पूर्व के सुपरवाइजर कानूनगो सेवा नियमावली के अनुसार उसी व्यक्ति को सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर प्रशिक्षण हेतु प्रोन्नति किया जाता था जो लेखपाल पद पर 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, स्थायी लेखपाल हो, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। शासन के विचार में पदोन्नति के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध उचित नहीं था। फलस्वरूप 31 दिसम्बर, 1977 से नयी सुपरवाइजर कानूनगो सेवा नियमावली लागू की गयी। इस सेवा नियमावली में 45 वर्ष आयु सीमा का प्रतिबन्ध हटा लिया गया। अब सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर पदोन्नति उन लेखपालों में से ज्येष्ठता के आधार पर ही की जाती है जो स्थायी हों तथा दस वर्ष तक नियमित सेवा कर चुके हों। इस सेवा नियमावली के लागू होने से पुरानी सेवा नियमावली के अन्तर्गत आने वाले कुछ ऐसे लेखपाल प्रभावित हुए हैं जो पिछली सेवा नियमावली के अनुसार 45 वर्ष की आयु से कम होने के कारण, 45 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ लेखपालों की तुलना में सुपरवाइजर कानूनगो प्रशिक्षण के लिए अर्ह थे। नयी सेवा नियमावली से किसी का भविष्य अनिश्चित नहीं हुआ है क्योंकि सभी को वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त अस्वीकार करते हुए नियमानुसार अर्ह माना जावेगा।

106--श्री जसवन्त सिंह यिष्ट--

[स्पष्टीकरण के अभाव में विरस्त।]

107--श्री मित्रसेन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

स्वर्गीय श्री सई मोहम्मद चपरासी, चकबन्दी विभाग, बहराइच की पत्नी को अवशेष वेतन तथा प्राविडेन्ड फन्ड आदि की धनराशि का भुगतान

108--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सई मोहम्मद, चपरासी बहराइच चकबन्दी विभाग की मृत्यु 14-10-1980 को हुई और उनकी पत्नी बेबा कमरुन्निशा ने 20-8-81 को प्राविडेन्ट फंड, इंश्योरेंस, वेतन सुविधा तथा वेतन बकाये की धनराशियों के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उपरोक्त धनराशियों का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री सई मोहम्मद, चपरासी की मृत्यु दिनांक 15-10-80 को हुई थी। उनकी विधवा श्रीमती कमरुन्निशां ने अवशेष वेतन के भुगतान हेतु 20-8-81

को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसका भुगतान उन्हें 21-8-81 को तथा अवशेष अर्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान 5-8-82 को किया गया ।

प्राविडेन्ड फंड के भुगतान का प्रार्थना-पत्र 15-6-82 को प्राप्त हुआ जिसका भुगतान भी 5-8-82 को किया गया । ग्रुप इन्श्योरेन्स के भुगतान का प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 4-8-82 को प्राप्त हुआ जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक ग्रुप इन्श्योरेन्स को अग्रसारित कर दिया गया है ।

सब रजिस्ट्रार, धामपुर, जिला बिजनौर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

109--श्री धम्मन सिंह गहलौत--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1982 प्राप्त हुआ जिसमें धामपुर, जनपद बिजनौर के रजिस्ट्री कार्यालय के सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा जांच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्राप्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए उप महानिरीक्षक, निबंधन, बरेली परिक्षेत्र, बरेली को इस मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

110--श्री योगेन्द्र सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चकबन्दी विभाग, आजमगढ़ में कार्यरत गृह जनपद के कर्मचारी तथा उनका कार्यकाल

111--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ चकबन्दी विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो उसी जनपद के निवासी हैं तथा बीसों वर्षों से इसी जनपद में सेवारत हैं उनका कभी स्थानान्तरण नहीं हुआ ? इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

कुल 11 कर्मचारी ऐसे हैं जो इसी जनपद के रहने वाले हैं तथा 20 वर्ष से अधिक की अवधि से इसी जनपद में कार्यरत हैं। इनमें से 6 कर्मचारी समूह "घ" के तथा 5 कर्मचारी लिपिकीय वर्ग समूह "ग" के हैं। समूह "घ" तथा "ग" के कर्मचारियों को अपने ही जनपद में रहन दिये जाने की कोई सीमा नहीं है।

112--श्री नन्द किशोर सिंह--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

113--श्री सन्त बक्स रावत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

तहसील बिल्हौर, कानपुर के लेखपाल श्री जगदम्बा प्रसाद के निलम्बन, सेवा मुक्ति तथा सेवा बहाली सम्बन्धी आदेश

114--मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के निलम्बित लेखपाल श्री जगदम्बा प्रसाद की सेवा समाप्ति का आदेश परगनाधिकारी, बिल्हौर ने 31 अक्तूबर, 1980 को किया और फिर 2 दिसम्बर, 1980 को परगनाधिकारी ने उसी सेवा मुक्त किए गए लेखपाल को उसके वेतन का 3/4 वेतन प्रतिमाह देते रहने का आदेश दिया तथा परगनाधिकारी के तीसरे आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 के द्वारा उसी लेखपाल को दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 को शो काज नोटिस दिया गया? यदि हां, तो परगनाधिकारी, बिल्हौर द्वारा विधिक प्रक्रिया के विपरीत किए गए आदेशों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री जगदम्बा प्रसाद लेखपाल को परगनाधिकारी, बिल्हौर के आदेश दिनांक 18 मई, 1979 के द्वारा निलंबित किया गया था। तहसीलदार, बिल्हौर को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तहसीलदार की आख्या प्राप्त होने पर परगनाधिकारी ने 31 अक्तूबर, 1980 को लेखपाल को सेवा मुक्त करने के लिए प्रोवीजनल आदेश पारित किए, उसे जारी नहीं किया गया। लेखपाल को 20-12-80 को सेवा से मुक्त करने की कारण बताओ नोटिस दी गई जिसका उत्तर प्राप्त होने पर परगाधिकारी ने सन्तुष्ट न होने पर दिनांक 24-3-81 को लेखपाल को सेवा-मुक्त करने के आदेश पारित किए जिसके विरुद्ध लेखपाल ने जिलाधिकारी के समक्ष अपील की। जिलाधिकारी ने दिनांक 2-9-81 को लेखपाल की अपील स्वीकार करते हुए उसे सवेतन बहाल कर दिया।

लेखपाल के प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 1980 पर जो 6 माह से अधिक निलबित रहने के बारे में था परगनाधिकारी ने उसे वेतन का 3/4 देने के आदेश पारित किये।

श्री राज बहादुर की ग्राम लोहजागर, जौनपुर स्थित भूमि के गलत इन्द्राज का संशोधन

115--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को दिनांक 10 फरवरी, 1982 को प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र श्री राज बहादुर सिंह के शिकायती-पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ था कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के ग्राम लोहजागर में स्थित उनकी भूमि पर गलत इन्द्राज करके दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया? यदि हां, तो क्या इसमें संशोधन कर दिया गया?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। मामले में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जांच हुई जिनकी आख्या के आधार पर उप संचालक चकबन्दी ने अपने आदेश दिनांक 6 जुलाई, 1982 द्वारा गलत इद्राज को संशोधित कर दिया।

गन्ना मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया

116—श्री मोहन सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पेराई सीजन 1981-82 के दौरान उ० प्र० के किसानों का सम्पूर्ण गन्ना मिलों के ऊपर गन्ना मूल्य का कितना धन देय है और इसे किसानों को दिलाने हेतु शासन कौन सी कार्यवाही कर रहा है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

पेराई सत्र 1981-82 में दिनांक 31-7-1982 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के कुल देय गन्ना मूल्य 468·90 करोड़ रु० में से 396·86 करोड़ रु० का भुगतान किया जा चुका है तथा 72·04 करोड़ रु० अवशेष है जो कुल देय का लगभग 15·36 प्रतिशत है।

इस पेराई सत्र के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य की तुलना में चीनी मिलों द्वारा अपेक्षाकृत काफी अधिक गन्ना मूल्य देने, गन्ने के अब तक के सर्वाधिक उत्पादन की अधिकतम सम्भव खपत के दृष्टिकोण से मार्च, 1982 के बाद भी अनार्थिक होने पर भी पेराई करते रहने, लेवी मुक्त चीनी का बाजार भाव अपेक्षाकृत कम रहने आदि के कारण इस पेराई सत्र में सामान्यतया सभी चीनी मिलों को भारी हानि हुई है और इस प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति शोचनीय हो जाने के कारण ही यह बकाया रह गया है। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि बैंकों के तद्विषयक नकद ऋण सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) के सामान्य नियमों में पर्याप्त शिथिलता की जाय ताकि चीनी मिलों को अधिक ऋण मिल सके और वे इस बकाया के अधिकांश भाग का भुगतान कर सकें। भारत सरकार से इस प्रकार की सहायता मिलने पर तथा साथ ही उसके निर्धारित कोटे के अनुसार प्रति माह विक्रय की जाने वाली चीनी के विक्रय मूल्य से ही इस बकाया के भुगतान की व्यवस्था धीरे-धीरे हो पायेगी।

गन्ना सहकारी समिति से गन्ना सेवक द्वारा फर्जी तरीके से खाद निकाले जाने पर कृत कार्यवाही

117—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि श्री गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह, निवासी ग्राम नौसाना, पो० मीरगंज, तहसील एवं जिला राय-बरेली के नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके 30-12-1976 को बारह कट्टा यूरिया खाद बरेली गन्ना सहकारी समिति बरेली से गन्ना ग्राम सेवक श्री हरि शंकर शर्मा द्वारा निकाला गया ? क्या इसकी कोई जांच की गई ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्न में अंकित फर्जी खाद निकालने से सम्बन्धित विवरण ठीक है, किन्तु वह गड़बड़ी गन्ना ग्राम सेवक श्री अमर सिंह चौधरी के द्वारा की गयी थी और उससे श्री हरिशंकर शर्मा, गन्ना ग्राम सेवक का कोई सम्बन्ध नहीं था। श्री अमर

सिंह चौधरी को निलम्बित किया गया था और उनके विरुद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति पर है । अन्तिम निर्णय न होने तक के लिये इस मद से सम्बन्धित धनराशि की वसूली स्थगित कर दी गयी है ।

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, बालागंज, लखनऊ द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल के खाते से अनियमित व्यय की आडिट रिपोर्ट पर आधारित ज्ञापन पर कार्यवाही

118—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वित्त मंत्री कृपता बतायेंगे कि प्रश्न सत्र 1982 के पूरे शुक्र दिनांक 29-1-1982 के ता0 प्र0 सं0 1 (नत्थी क) तथा 6ठे शुक्र दिनांक 5-3-1982 के अता0 प्र0 सं0 51 के उत्तर के संदर्भ में सरकार द्वारा संस्था व उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे शुक्रवार दिनांक 29-1-1982 के ता0 प्र0 सं0 1 (नत्थी क) तथा 6ठे शुक्रवार दिनांक 5-3-1982 के अता0 प्र0 सं0 51 के उत्तर के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदित है कि अभी तक शासन द्वारा अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति व उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि माननीय श्री राम आसरे वर्मा, विधायक के दिनांक 30-9-1981 के ज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के विचाराधीन है ।

मेला कमेटी मकनपुर, जनपद कानपुर का चुनाव

119—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि मेला कमेटी मकनपुर, जनपद कानपुर के प्रशासक जिलाधिकारी, कानपुर व अध्यक्ष परगनाधिकारी, बिल्लौर तथा सचिव तहसीलदार होते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1980-81 की कमेटी का चुनाव नियमानुसार दिसम्बर 1980 के पूर्व न कराने का क्या कारण था और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

मेला मकनपुर कमेटी का चुनाव दिसम्बर 1980 में होना निश्चित किया गया था । यह चुनाव मकनपुर के खादिम दरगाह व गोलक दारान के बीच में होना था परन्तु दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ जाने के कारण तथा बाढ़ राहत कार्य, जनगणना के कार्यों एवं कब्जा सत्यापन में व्यस्त रहने के फलस्वरूप चुनाव दिसम्बर, 1980 के पूर्व नहीं कराया जा सका । अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लेवी सीमेन्ट के वितरण में किये जा रहे भ्रष्टाचार तथा रिकार्डों को जलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 की 24 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से केवल 7 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं ।

*श्री बलवीर सिंह (जिला रामपुर) —

मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन का ध्यान में लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद गोरखपुर में लेवी सीमेन्ट की वितरण व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा छिन्न-भिन्न कर दी गई है । शहरी क्षेत्र में गैर सरकारी कार्यों हेतु बिना अते-पते के तथा बिना गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नक्शों पर लेवी सीमेन्ट 25 बोरी के बजाय एक मुश्त 50 बोरी तथा इससे भी अधिक नियमों के विरुद्ध जिला अधिकारी गोरखपुर की छत्रछाया में तथा निदेश में अबैध तौर से खुल्लम खुल्ला बांटी जा रही है । इसी प्रकार मिट्टी का तेल तथा कोयला के वितरण तथा मकानों के आवंटन में अनियमितताएं की जा रही हैं । अगर इस काण्ड को (अन्तुले काण्ड) कहा जाय तो गलत नहीं होगा ।

हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि जिला अधिकारी, गोरखपुर के निदेशन में लेवी सीमेन्ट, कोयले तथा मिट्टी का तेल के रिकार्डों को जलाया गया है । मैं शासन से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रस्ताव द्वारा मांग करता हूं कि उपरोक्त घोटाले की जांच सतर्कता विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जाये क्योंकि इस घोटाले में जिलाधिकारी भी सम्मिलित हैं । इसलिये यह भी मांग करता हूं कि इस काण्ड की जांच इनसे उच्च अधिकारियों द्वारा करायी जाय । लेवी सीमेन्ट, मिट्टी के तेल एवं कोयले के रिकार्डों की जांच हेतु तुरन्त सील कराया जाये ताकि पूर्ति अधिकारी जिलाधिकारी से मिलकर रिकार्डों को नष्ट न कर सके तथा रिकार्डों में रद्दोबदल न किया जा सके । इसके साथ ही साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि जिला पूर्ति अधिकारी तथा जिला अधिकारी को तुरन्त हटाया जाये अन्यथा उनक, मौजूदगी में निष्पक्ष जांच सम्भव न हो सकेगी । मैं प्रमाण स्वरूप कुछ जाली परमिटों जो कि बिना अते-पते की हैं पर जारी केशमेमों की प्रतियां संलग्न कर रहा हूं जिनमें अता-पता स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है । यह जनहित का प्रश्न है । गोरखपुर की जनता में इस घोटाले के प्रति अत्यन्त रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । यदि अविलम्ब इस घोटले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो जन-आक्रोश कभी भी भड़क सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी ।

ग्राम किसौर, जनपद बिजनौर में हरिजनों की हत्या एवं आगजनी तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में इस लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय को लाना चाहता हूं कि बिजनौर जिले के थाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम किसौर, जनपद बिजनौर में हरिजनों की हत्या एवं आगजनी तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कीरतपुर के ग्राम किसोर में 14 अगस्त, 1982 को पुलिस की साजिश से बलराम सिंह नामक एक हरिजन की हत्या कर दी गयी है तथा बाद मे पुलिस के मौजूद रहते हुए असमाजिक तत्वों ने हरिजनों की बस्ती में आग लगा दी है। परिणाम स्वरूप उनके अनेकों झोपड़े बिलकुल भस्मसात हो गये। 18 जानवर मर गये तथा 4 पुरुष बुरी तरह घायल हुये जिनकी दशा चिन्ताजनक है। गांव में तैनात पुलिस वालों ने न तो आग बुझाने का प्रयास किया और न किसी को पकड़ा। वास्तविकता यह है कि यह सब इसलिए हुआ कि स्थानीय पुलिस की शिकायत हरिजनों ने की थी। हत्या के बाद पी0 ए0 सी0 गांव के लिए भेजी गयी तो थानाध्यक्ष ने उसे थाने में रोक लिया और अग्निकांड के बाद भेजा।

अभी तक दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण क्षेत्र में भीषण असन्तोष है। हरिजन आतंकित हैं। तनाव का वातावरण बना हुआ है। गांव के अनेक हरिजन घर नहीं जा रहे हैं सरकार के प्रति इतनी उत्तेजना है कि शान्ति एवं व्यवस्था के लिए संकट की दशा उत्पन्न है।

अतएवं इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

आई0 टी0 आई0 लिमिटेड मजदूर संघ, राय बरेली के कार्यालय को पुलिस द्वारा जबरन खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, आई0 टी0 आई0 लिमिटेड मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 के अन्तर्गत दिनांक 9-6-78 को पंजीकृत, को प्रबन्धकों द्वारा 27-4-81 को एक कार्यालय आदेश संख्या 1411 द्वारा रायबरेली में आवंटित किया गया। उसी समय से उक्त संघ उक्त कार्यालय के माध्यम से कार्य करता चला आ रहा था। प्रबन्धकों ने मान्यता के प्रश्न पर सदस्यता सत्यापन हेतु रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को लिखा। रजिस्ट्रार द्वारा कानपुर के श्री डी0 के0 कन्चन को सदस्यता सत्यापन हेतु नियुक्त किया गया।

दिनांक 19-8-82 को संघ के कर्मचारियों द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर अखण्ड रामायण पाठ चल रहा था कि दिनांक 20-8-82 को प्रातः 10·40 बजे उप पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा कार्यालय को खाली करने को कहा गया। संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धक का आवंटन आदेश दिखाया और रामायण पाठ की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्धक महोदय से वार्ता कर खाली कर देने का प्रस्ताव किया गया। इतना कहते ही साथ आये पुलिस कर्मियों द्वारा सामान फेंकना चालू कर दिया गया और रामायण की प्रतियां फाड़ने के साथ-साथ धार्मिक चित्रों को भी तोड़ फोड़ कर एकत्रित मजदूरों की भीड़ पर लाठी चार्ज किया, जिससे सैकड़ों मजदूरों व महिलाओं एवं बच्चों को भी चोटें आई। संघ के मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में आज भी मजदूरों का अनशन जारी है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]

इस घटना से जनता एवं मजदूरों में क्षोभ व्याप्त है । यह घटना अप्रजातांत्रिक, असंवैधानिक एवं धार्मिक अपमान की है, जिससे सारे प्रदेश में क्षोभ व्याप्त है ।

अतः मैं लोकमहत्व की सूचना पर आपके माध्यम से जांच करा कर शीघ्र न्याय दिये जाने, दोषी व्यक्तियों को डित दंकिये जाने एवं संघ को शीघ्र कार्यालय वापस दिये जाने की मांग करता हूं ।

ग्राम तुलसी के पुरवा, चौकी अहमदपुर, जिला बाराबंकी में पुलिस की पिटाई से श्री सत्तन नामक हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर--

मान्यवर, बाराबंकी जिले के थाना जैदपुर चौकी अहमदपुर के समीप स्थित ग्राम तुलसी के पुरवा के श्री सत्तन नामक हरिजन की बहू को श्री रशाद नाम के एक बदमाश ने गत मास बलात असमत लूटने का प्रयास करते समय उसकी बहू के चिल्लाने पर गांव के तमाम हरिजन दौड़ पड़े और रशीद को रंगे हाथ पकड़ लिया जिसे लेकर अहमदपुर चौकी पर ले गये वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों ने हरिजन की रपट लिखने के बजाय उसे व उसके भाई भतीजों को बन्द कर दिया और शाम को इन हरिजनों की जमकर निर्मम पिटाई की, जिससे कि सभी को चोटें आयीं और श्री सत्तन हरिजन की हालत चिन्त जनक हो गयी, जिससे पुलिस ने सत्तन को मरणासन्न स्थिति में उसके घर भेज कर शेष हरिजनों का चालान कर दिया । जहां कि तड़प-तड़प कर 7-8 घंटे बाद श्री सत्तन हरिजन ने दम तोड़ दिया । इस घटना की रपट थाना असन्दरा में भा० द० वि० की धारा 304 के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लिख कर शव परीक्षा हेतु भेज दिया गया । आश्चर्य तो यह है कि घटना के तीन माह बाद दोषी पुलिस कर्मी उसी चौकी पर तैनात हैं, जिससे कि हरिजनों को बराबर उत्पीड़ित कर रहे हैं । घटना में अब तक किसी से कोई पूछ तांछ नहीं की गयी है पुलिस घटना की पूरी तरह दबा कर फाइनल रिपोर्ट लगाना चाहती है ।

अतः इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर दिला कर हरिजन हत्या काण्ड की अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करके दोषी पुलिस कर्मचारियों को दन्डित किये जाने एवं हरिजन परिवार को न्याय तथा उसकी धर्मपत्नी को जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब श्री सूर्य नाथ उपाध्याय जी, अगर उनकी तबीयत ठीक न हो तो वह कृपा करके बैठ कर पढ़ दें ।

*श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

ठीक है, खड़े होकर ही पढ़े दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और इस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही चाहता हूं ।

महोदय, यह जानकर अत्यन्त कष्ट की अनुभूति होती है कि वर्ष 1982 में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा मनमाने ढंग से प्रदेश की लगभग 2000 संस्कृत पाठशालाओं की जो परीक्षाएं आयोजित की गई थीं उनम 80 प्रतिशत के लगभग छात्र अपनी परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सके जिसका एकमात्र कारण ऐसे स्थानों पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित करना जिनको इस प्राच्य भाषा से कोई लगाव नहीं है, प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का समय से न पहुंचना और परीक्षा के दिन तक केन्द्रों का निर्धारित न होना । मान्यवर, ऐसे इन्टर डिग्री कालेजों में केन्द्र बनाये गये जो इसके लिए तैयार नहीं थे । निर्धारित केन्द्र के स्थान पर अन्य स्थानों पर परीक्षाएं सम्पन्न हुईं । कतिपय केन्द्रों द्वारा निर्धारित उत्तर पुस्तिका के स्थान पर अपनी गृह परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकायें परीक्षार्थियों को वितरित की गयीं । यह सभी आश्चर्यजनक तथ्य हैं ।

मान्यवर, संस्कृत विद्यालयों की परीक्षायें ही ऐसी हैं जिनको प्रथम (जो जूनियर हाई स्कूल स्तर की हैं) से लेकर, आचार्य (जो एम० ए० स्तर की हैं)। की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है जबकि सामान्य शिक्षा में जूनियर हाई स्कूल स्तर तक, कक्षा 9 स्तर तथा कक्षा 11 स्तर की परीक्षायें सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा ही ली जाती हैं । अतः यह मांग करता हूं कि संस्कृत विश्व-विद्यालय द्वारा आयोजित निम्नलिखित परीक्षायें सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही गृह परीक्षा के रूप में ली जायं :

1--प्रथमा (जूनियर हाई स्कूल स्तर) ।

2--पूर्व मध्यमा "प्रथम खण्ड" (कक्षा 9 स्तर) ।

3--उत्तर मध्यमा "प्रथम खण्ड" (कक्षा 11 स्तर) ।

यदि यह व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो सरकार के करोड़ों रुपये बच जायेंगे ।

मान्यवर, मैं यह भी मांग करता हूं कि संस्कृत विद्यालयों में गुणात्मक सुधार एवं छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुऐ ऐसे विद्यालयों जिनमें पर्याप्त भवन, साज सज्जा आदि उपलब्ध हैं उनमें परीक्षा केन्द्र बनाया जाय और यदि कोई संस्था विश्वविद्यालय के सहयोग के बावजूद ठीक से परीक्षायें संचलित नहीं करती है तभी उसके विरुद्ध कार्यवाही करके परीक्षा केन्द्र अन्यत्र बनाया जाय । यह व्यवस्था पहले से ही इन्टर कालेजो एवं डिग्री कालेजों में है उसी आधार पर संस्कृत पाठशालाओं में भी यह व्यवस्था लागू की जाय । यह भी व्यवस्था की जाय कि सामान्य शिक्षा की अन्य संस्थाओं की भांति संस्कृत पाठशालाओं में भी अंकपत्र से सम्बन्धित क्रास लिस्ट भेजी जाय जिससे कि प्रदेश के कोने कोने से छात्रों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—]

तथा अध्यापकों को अपने अंक पत्र के लिए विश्वविद्यालय में दौड़ न लगानी पड़े। साथ ही विश्वविद्यालय की अदूरदर्शिता के कारण जो छात्र परीक्षा से वंचित रह गये हैं, उनके भविष्य को देखते हुए उनकी परीक्षायें तत्काल आयोजित की जायं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह मांग करता हूं कि वे इस पर तत्काल ध्यान देकर मांग को पूर्ण करने की व्यवस्था करें तथा भविष्य के लिए यह सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत पाठशालाओं का शोषण न किया जाय।

अलीगढ़ निवासी श्री राजीव कुमार जीवन (बाल्मीकी) की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ख्वाजा हलीम—

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अलीगढ़ में 27 जुलाई, सन् 1982 को श्री राजीव कुमार जीवन (बाल्मीकि) को साढ़े 9 बजे शाम कत्ल किये जाने की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री राजीव डी0 एस0 कालेज के विद्यार्थी थे। उन्होंने न केवल हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया था बल्कि 80-81 में कालेज के सीनियर भी चुने गये। श्री राजीव जीवन ने एक पत्र डी0 एम0 अलीगढ़ को, जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ को 17 दिसम्बर, 1981 को लिखा जिसकी कापी सूचना के साथ संलग्न है उन्होंने डी0 एम0 अलीगढ़ को अपने जीवन की सुरक्षा की मांग करते हुए लिखा मेरे प्राक्टर एस0 डी0 गुप्ता और प्रधानाचार्य सी0 पी0 वैश्य मुझको जान से मारना चाहते हैं और 19-12-81 को प्राक्टर साहब ने मुझको जान से मारने की धमकी दी है। मेरा केवल कसूर यह है कि मैं एक हरिजन समाज में जन्म लेकर कालेज का सीनियर चीफ हो गया।

इस पत्र के बावजूद थाना गांधी पार्क से चन्द सौ गज के फासले पर चन्द बदमाश ने उनको जान से मार दिया। थाने का इंचार्ज भी इसी थाने का छात्र रहा है और प्रधानाचार्य व प्राक्टर साहब का गहरा मित्र है। वह लगभग 4 साल से इसी एरिये में तैनात हैं।

मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि तुरन्त थानाध्यक्ष को निलम्बित करा कर सी0 आई0 डी0 से जांच करायें।

गोरखपुर जनपद के लेहड़ा स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग पर अधूरे बने पुल के निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नरायन तिवारी—

गोरखपुर जनपद के लेहड़ा स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग पर अधूरे बने पुल के निर्माण के लिए विगत तीन वर्ष पहले ही धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। पुल के पाये बन चुके हैं किन्तु उस पर छत अब तक नहीं पड़ी है। हमेशा ही उसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टाला जा रहा है। उक्त पुल न बनने से मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरेन्दा का आवागमन अवरुद्ध है। हर वर्ष बरसात में अनेक लोग डूब आते हैं एवं अनेक दुर्घटनायें हो जाती हैं। इस तरह भारी संकट पैदा हो जाता है। निर्माण के लिए धन स्वीकृत होने के बावजूद भी पुल का निर्माण न होने से क्षेत्र की जनता में भारी रोष एवं असन्तोष है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर श्रीमन् के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल पुल के निर्माण की मांग करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

(उद्योग मंत्री को पुकारे जाने पर सर्वश्री धनी राम वर्मा व मसरूर जाफरी खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया बैठिये। प्रति दिन 5 सूचनायें स्वीकृत होती थीं, आज 7 स्वीकार हुई हैं। आप मेरे कक्ष में आ जायं और मुझे सन्तुष्ट कर दें कि किस नियम के अनुसार ये ली जा सकती हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से विचार करके ही नियमानुसार स्वीकार की हैं।

उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1977-78†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक, प्रतिवेदन 1977-78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्राहवां संशोधन) नियमावली, 1981‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या बीस-एम (3)/75-मा0 क0 आ0-यू0 पी0-ए0-3--1956-खल-1951-ए0 एम0 (17)-81, दिनांक 24 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1981 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (आठवां संशोधन) नियमावली, 1982‡

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2 (एस0 टी0)/36-1--261 (एस0 टी0)-81, दिनांक 19 अप्रैल, 1982 द्वारा

†छापा नहीं गया।

‡छापी नहीं गयी।

[श्री सुमोल साश्त्री--]

प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (आठवां संशोधन) नियमावली, 1982 को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ की स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 1979-80†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 1979-80 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा ( ) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1982‡

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता (1) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 180/12-सो-1-82-7 (3) 1982-यू0 पी0 ए0 11/1966-रूल-1968 ए0 एम0 (14)-1982, दिनांक 30 मार्च, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वाराणसी मंडल विकास निगम लि0, वाराणसी की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1980-81†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वाराणसी मंडल विकास निगम लि0, वाराणसी की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1980-81 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सरकारी अधिसूचना संख्या एस0 टी0 2-5782/दस-10 (1)-80-उ0 प्र0 अधि0-15-48-आदेश-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 में संशोधन विषयक वित्त (बिकीकर) अनुभाग-2, की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी-2-4373/दस-6 (26)-77 उ0 प्र0 अधि0 15-48-आदेश-82, दिनांक 30 जून, 1982 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

‡छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) छब्बीसवां आदेश, 1982†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 5473/15-10-81-13 (3)-81, दिनांक 14 जनवरी, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) छब्बीसवां आदेश, 1982 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उप-धारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सत्ताइसवां) आदेश, 1982†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 2094/15-10-82-15 (64)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (सत्ताइसवां) आदेश, 1982 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भूतपूर्व गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

पिछले सदन में विशेषाधिकार की कुछ सूचनायें थी, उसको एक-एक करके मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सदन के पिछले सत्र के चौथे मंगलवार को माननीय सरदार सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 और 74 पूछे गये थे। इनमें से प्रश्न संख्या 73 मथुरा के थाना वृन्दावन में दर्ज एक अपराध के सम्बन्ध में वहां के पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध श्री देवेन्द्रपाल सिंह, एडवोकेट, वृन्दावन, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गये प्रार्थना-पत्र की जांच के बारे में था और प्रश्न संख्या 74 उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित साक्षियों की जांचकर्त्ता द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में था : इन प्रश्नों के जो उत्तर तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिये गये थे उन्हें गलत बताते हुए माननीय सरदार सिंह ने दिनांक 5 मार्च, 1982 को तत्कालीन गृहमन्त्री के विरुद्ध नियम 73 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के मामले की सूचना दी थी। इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि तत्कालीन गृहमंत्री ने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से सदन को गुमराह किया और गलत बयानी की। अपनी शिकायत के साथ माननीय श्री सरदार सिंह ने सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट और कतिपय अन्य पत्रों की फोटो स्टेट प्रतियां भी संलग्न की हैं।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जो प्राप्त हो गयी। उसमें सन्दर्भित प्रश्न संख्या 73 के बारे में यह बताया गया है कि उसका पर्याप्त उत्तर दिया गया था, और सम्बन्धित जांच

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष---]

कब की गयी तथा किस-किस के बयान लिए गये इसका उल्लेख उत्तर में न करने का अभिप्राय तथ्यों को छुपाने का नहीं था । उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि उसमें तथ्यों के अनुरूप पर्याप्त सूचना दी गयी थी । परन्तु गोपन पुत्र राधा मोहन का बयान न लिए जाने का जो उल्लेख किया गया था वह सूचना मांगते समय भेजी गयी प्रश्न की प्रतिलिपि में त्रुटिवश "गोपाल पुत्र राधा मोहन" के स्थान पर "गोपन पुत्र राधा मोहन", अंकित हो जाने के कारण हो गया था । इसके परिणाम स्वरुप जिला से वह सूचना प्राप्त हुई थी कि गोपन पुत्र राधा मोहन का बयान नहीं लिया गया है । माननीय मंत्री का कहना है कि इस आधार पर उत्तर में "गोपन पुत्र राधा मोहन" का नाम अनावश्यक रूप से अंकित हो गया था, जो कि सदाशय त्रुटि थी और टंकण में गल्ती के कारण है । माननीय श्री सरदार सिंह की शिकायत और उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित माननीय मंत्री से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य के संदर्भित अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से जानबूझ कर गलत बयानी नहीं की गयी है । अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। इसी प्रकार से दूसरा निर्णय है जो भी पिछले सत्र का है।

शिक्षा निदेशक, श्री पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

दिनांक 5 मार्च, 1982 को कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से सदन में यह प्रश्न उठाया गया था कि बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री कपिल देव सिंह के शिक्षा निदेशक को सम्बोधित एक पत्र के संदर्भ में यह आरोप लगाया गया था कि सहसवार इंटर कालेज के प्रबन्धक के निर्वाचन विषयक एक वाद के निस्तारण के सम्बन्ध में तत्कालीन राज्य मंत्री माननीय बच्चा पाठक द्वारा अनुचित दबाव डाला गया तथा पद का दुरुपयोग किया गया ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, जिस वक्त यह प्रश्न आया था तो यह कहा गया था कि इस पर निर्णय देने के पहले सुना जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

उस वक्त तो इस पर पूरे तरीके से चर्चा हो गयी थी । सब बातें पूरे तरीके से सुन ली गयी थीं ।

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, आपने विशेषाधिकार पर नहीं सुना था कार्य स्थगन पर सुना था ।

श्री अध्यक्ष--

सभी चीजें सदन के सम्मुख आ गयी हैं । कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

इस सम्बन्ध में इस पीठ द्वारा दिए गये निदेश पर दिनांक 12 मार्च, 1982 को तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री की ओर से एक वक्तव्य दिया गया था । उक्त वक्तव्य के संदर्भ में माननीय सदस्य, श्री राम गोविन्द चौधरी नें दिनांक 13 मार्च, 1982 को प्रदेश के शिक्षा निदेशक श्री चौहान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न को सूचना दी थी । उक्त सूचना में यह शिकायत की गयी थी कि उक्त श्री कपिल देव का दिनांक 6-3-1982 का दूसरा पत्र प्रदेश के शिक्षा निदेशक द्वारा बोल-बोल कर जबरियन लिखाया गया हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, सत्य को छिपाकर एवं गलत सूचना देकर शिक्षा निदेशक ने सदन को गुमराह किया हैं, और इस प्रकार दिनांक 6-3-1982 के उक्त पत्र के माध्यम से शिक्षा निदेशक ने दिनांक 12-3-82 को सदन की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास किया ह । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ सम्बन्धित कतिपय अभिलेख भी संलग्न किये हैं ।

इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय मुख्य मंत्री से मांगी गयी थी, जो दिनांक 19-3-82 के उनके पत्र के द्वारा प्राप्त हुई । उक्त पत्र के साथ माननीय मुख्य मंत्री ने शिक्षा निदेशक के दिनांक 17 मार्च, 1982 के स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि भी भेजी थी ।

शिक्षा निदेशक श्री पृथ्वी राज चौहान ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने कोई पत्र श्री कपिल देव सिंह से बोल-बोल कर जबरदस्ती लिखवाया । श्री चौहान का कहना है कि उन्होंने श्री कपिलदेव सिंह से घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहा था, जो उन्होंने अलग कमरे में बैठ कर लिखा और कार्यालय में टाइप करवाकर अपने हस्ताक्षर करके शिक्षा निदेशक को दिया । श्री चौहान के अनुसार उन्हें शीघ्र ही एक आवश्यक बैठक में जाना था, अतएंव उन्हें श्री कपिल देव सिंह को सम्पूर्ण घटना का विवरण लिखकर देने को कहा था और श्री कपिल देव सिंह कुल मिलाकर श्री चौहान से 10 या 15 मिनट मिले होंगे । श्री चौहान ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा हैं कि उन्होंने न तो कभी माननीय श्री राम गोविन्द का नाम ही इस सम्बन्ध में लिखा और न उन्हें उनके (माननीय सदस्य के) बारे में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी ही थी ।

मैंने माननीय सदस्य की शिकायत, उसके साथ संलग्न लेखों माननीय मंत्री के पत्र तथा उसके साथ संलग्न शिक्षा निदेशक का स्पष्टीकरण और विधान सभा की दिनांक 5, 6 तथा 12 मार्च की कार्यवाहियों के संगत अंशों का अवलोकन किया हैं । उक्त कार्यवाहियों को देखने से यह ज्ञात होता है कि राज्य मंत्री, श्री बच्चा पाठक ने, जिनके विरुद्ध अनुचित दबाव डालने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना एवं उस पर हुई चर्चा के दौरान लगाया गया था, दिनांक 6-3-82 को अपने वैयक्तिक स्पष्टीकरण में सदन में ही यह कहा था कि 'जो कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, वह बिल्कुल निराधार है ।' माननीय मुख्य मंत्री के दिनांक 12 मार्च, 1982 के वक्तव्य तथा उस पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर से भी यह स्पष्ट हैं कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो सूचना सदन को दी वह केवल श्री कपिल देव सिंह द्वारा शिक्षा

[श्री अध्यक्ष--]

निदेशक को दिए गये दिनांक 6 मार्च, 1982 के विवरण के आधार पर ही नहीं थी, बल्कि अन्य स्रोतों से भी जानकारी के आधार पर थी, क्योंकि उनके वक्तव्य में उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मंडल द्वारा दी गयी जांच आख्या का भी विस्तार से उल्लेख किया गया था ।

(श्री राम गोविन्द के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं खड़ा हूं, जब मैं बैठ जाऊंगा, तब आप कुछ कह लीजिएगा ।

इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना के प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक है कि क्या शिक्षा निदेशक श्री चौहान ने सदन को कोई सूचना देकर गुमराह किया है या माननीय सदस्य के सदन या उसकी समितियों से सम्बन्धित कार्य में अवरोध उत्पन्न किया है । यह निर्विवाद है कि सदन में जो सूचना किसी मंत्री द्वारा दी जाती है, उसके लिए स्वयं सूचना देने वाले मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं । यदि सूचना किसी अधिकारी से प्राप्त आख्या पर आधारित हो और वह गलत सिद्ध होती है तो सम्बन्धित मंत्री ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं । लेकिन, सदन में दी गयी सूचना के लिए उत्तरदायी सम्बन्धित मंत्री ही होते हैं । शिक्षा निदेशक श्री चौहान द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को उपलब्ध करायी गयी सूचना के गलत होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्यवाही मुख्य मंत्री ही कर सकते हैं । परन्तु 12 मार्च, 1982 को सदन की कार्यवाही को देखने से प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्री अपने द्वारा सदन को दी गयी सूचना की सत्यता के प्रति आश्वस्त थे क्योंकि इस मामले की वस्तुस्थिति की जांच के सम्बन्ध में जब प्रश्न सदन में पूछा गया तो मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि "तथ्य बहुत स्पष्ट हैं, अतः उस परिप्रेक्ष्य में सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है' । तथा जहां तक सर्वोच्च सदन की सर्वदलीय समिति के गठन का प्रश्न है जहां पर शक्ति और न्याय निहित हो, एक प्राइमाफेसी बात स्पष्ट हो गयी है कि उसमें मंत्री का हाथ नहीं है तो उसके पीछे एक समिति बनाना उपयुक्त न होगा ।" एक अन्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी कहा था कि उन्हें माननीय अध्यक्ष को पत्रावली दिखाने का जो सुझाव दिया गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, "लेकिन यह भी विचारणीय बिन्दु है कि वह अधिकारी मंत्री जी के कुपित होने के संदेह से भयभीत है लेकिन मंत्री जी के कोप का कोई लक्षण नहीं दिखा है ।"

श्री राम गोविन्द चौधरी ने अपनी शिकायत के समर्थन में जो लेख प्रस्तुत किये हैं उनसे भी प्रारम्भदर्शन में यह सिद्ध नहीं होता कि शिक्षा निदेशक श्री पृथ्वी राज चौहान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन को गुमराह करने या उसकी कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास करने के दोषी हैं, और न ही माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी के सदस्य के नाते सदन या उसकी किसी समिति के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने या सदन की अवमानना करने का मामला बनता है ।

अतएव, मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन की अवमानना के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको कोई अधिकार नहीं है खड़े होने का, बोलने का।

यह तीसरा निर्णय है—

पिछले सत्र के 5वें मंगलवार को माननीय श्री मसरूर जाफरी ने एक अतारांकित प्रश्न संख्या 94 पूछा था, जोकि राज्य नियोजन संस्थान के संयुक्त निदेशक, डा0 एम0 एस0 वर्मा की लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में शैक्षिक पद पर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 31 (12) के विरुद्ध की गयी कथित प्रतिनियुक्ति और शासन द्वारा 31—1—81 से उक्त प्रतिनियुक्ति को समाप्त किए जाने के विषय में था। मुख्य मंत्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि डा0 वर्मा की उक्त प्रतिनियुक्ति उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 31(1) के प्राविधान के अनुसार की गयी थी न कि धारा 31 (12) के अधीन और प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उन्हें दिनांक 31—1—82 को प्रत्यावर्तित करने के आदेश शासन द्वारा जारी किए गए परन्तु विश्वविद्यालय ने डा0 वर्मा को कार्यमुक्त नहीं किया अपितु विश्वविद्यालय में संविलय होने हेतु अनुमति दिए जाने सम्बन्धी उनके एक प्रार्थना—पत्र को शासन के विचारार्थ अग्रसारित करते हुए यह अनुरोध किया कि एग्जीक्यूटिव काउन्सिल का निर्णय होने तक शासन डा0 वर्मा को विश्वविद्यालय में बने रहने दें। उस समय उत्तर में यह भी बताया गया था कि विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी यह मामला एग्जीक्यूटिव काउन्सिल के विचाराधीन है।

इस प्रसंग में श्री मसरूर जाफरी ने दिनांक 22 मार्च, 1982 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी थी कि माननीय मंत्री जी ने जानबूझ कर इस सदन को गुमराह किया और मिथ्या सूचना देकर उसकी अवमानना की। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो उनके दिनांक 29 अप्रल, 1982 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई। इस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने सूचित किया है कि वास्तव में लखनऊ विश्यविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन विभाग में रीडर कय ज्वाइंट डाइरेक्टर का पद वर्ष 1978 में समाचार पत्र में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित किया गया था, जिसके लिए डा0 महावीर सिंह वर्मा, स्थाई संयुक्त निदेशक जन—शक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा आवेदन—पत्र दिए जाने पर वे विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पद हेतु चयनित हुए थे और चूंकि डा0 वर्मा की उपरोक्त नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गयी थी, अतः इस मामले में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनिमम की धारा 31(1) ही लागू होती है एवं इस नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति की संज्ञा इस कारण से दी गयी है क्योंकि वे राज्य शासन के एक स्थायी अधिकारी हैं। माननीय मुख्य मंत्री के उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया है कि अब डा0 वर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने संविलयन (एबजारप्शन) की प्रार्थना की है जो अभी शासन के विचाराधीन है।

[श्री अध्यक्ष--]

माननीय श्री जाफरी की सूचना संगत प्रश्नोत्तर और इसके सम्बन्ध में प्राप्त माननीय मुख्य मंत्री के पत्र पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सन्दर्भित प्रश्न का जो उत्तर सदन में दिया गया था उसमें कोई गलतबयानी नहीं थी। माननीय श्री मसरूर जाफरी ने अपनी शिकायत के समथन में कोई ऐसा लेख्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका यह आरोप सिद्ध हो सके कि मुख्य मंत्री ने उक्त उत्तर के माध्यम से जानबूझ कर मिथ्या सूचना देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। उपर्युक्त कारणों से मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप म सदन में उठाए जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जिला बदायूं के गुन्नौर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक प्रेमवती जी का मामला में, इन्होंने विशषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास आ गया है, उसमें शासन से रिपोर्ट मांगी गयी है।

(व्यवधान)

*श्रीमती प्रेमवती--

मैं गुन्नौर तहसील में गयी, कुछ और लोग भी थे, मेरे क्षेत्र के लोग भी थे। वहां मैं गयी और तहसीलदार के न्यायालय में 4 बजे पहुंची। उसने न बैठने के लिए कहा और न कुछ और कहा। मैं कुछ लोगों के लगान के काम के बारे में उसके पास गयी थी। उसने कहा कि हमारे पास टाइप नहीं है आपकी बात सुनने का। हमको न कुर्सी दी और न बैठने के लिए ही कहा। जब मैंने अपनी बात कहनी चाही तो मनाकर दिया। मैंने कहा कि विधान सभा चल रही है, आप नहीं सुनेंगे तो हम मंत्री जी से मिलेंगे। उसने कहा कि जाइए, वहीं बात कीजिएगा, हमारे पास आपकी बात को सुनने का टाइम नहीं है, वहीं जाकर कहिए। उसके बाद हमसे बाहर निकल जाने के लिए कहा और अपने चपरासी को लाकर हमें बाहर करने के लिए कहा।

वहां से आकर मैं मुख्य मंत्री जी से मिली और सब बताया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, किस्सा यह है कि तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं के तहसीलदार के यहां माननीय सदस्या गयीं और अपना परिचय दिया और कहा कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। फसल न होने के कारण मे लगान माफ करने के लिए कार्यवाही चाहती हूं और मैंने सुना है कि इस विषय पर मुख्य मंत्री जी के भी आदेश हो गए हैं कि कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय। विधान सभा भी चलने वाली है वहां विधान सभी में भी सूखे के मसले को हम लोग उठायेंगे। इस पर तहसीलदार ने कहा कि विधान सभा तो बकवास की जगह है हो आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहीं जाकर कहिए। उस तहसीलदार ने माननीय सदस्या को अपमानित किया है और न केवल यह विधान सभा की सदस्या हैं बल्कि एक सीधी-सादी महिला हैं इनके जैसे ढंग से रहने वाले, विधान सभा में इनके समान कम ही लोग हैं। इस समय में जबकि विधान सभा का सत्र चलने वाला था, उसने यह जानते हुए कि यह विधान सभा की सदस्या हैं, इनके साथ यह अभद्र व्यवहार किया। मान्यवर, यदि आपकी ओर से संरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इस नौकरशाही के ऊपर सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है। सरकार ने एक विकेन्द्रीयकरण की नीति चलायी थी, उसके द्वारा विधायकों को तो ये लोग मानते नहीं हैं। सामान्य प्रक्रिया को भी मानने को तैयार नहीं हैं। इसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए और माननीय सदस्या को संरक्षण मिलना चाहिए। मान्यवर, जो इनके अधिकारों का हनन हुआ है, आप ही नहीं संरक्षण देंगे तो कौन देगा ? इनको संरक्षण मिलना चाहिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्या के साथ जैसा व्यवहार हुआ और उस तहसीलदार ने जैसा व्यवहार किया है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, कम है, लेकिन मान्यवर, इसमें मौलिक प्रश्न यह उठता है कि शासन की ओर से बराबर कहा जाता है कि हमने प्रोटोकाल बना दिया हैं लेकिन उसके बावजूद हम यहां बराबर देखते हैं कि अधिकारियों द्वारा किसी न किसी विधायक के उत्पीड़न के प्रश्न यहां उठाए जाते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जाता है क्योंकि प्रोटोकाल तो अपने बना दिया परन्तु उसमें यह व्यवस्था नहीं की है कि जो इसका पालन नहीं करेगा उसको क्या दन्ड मिलेगा। इसमें शास्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है। ब्यूरोक्रेसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्रीमती प्रेमवती जैसी महिला, ऐसी आदर्श और श्रेष्ठ विचारों वाली महिला के साथ आपका एक कर्मचारी यह व्यवहार करे। उसका माननीय सदस्या से यह कहना कि विधान सभा तो "बकवास की जगह है ही" तो मान्यवर, हमको जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उससे आप भी सहमत हैं। ऐसे वाक्य का प्रयोग करना माननीय सदन की अवमानना करना है और यह नहीं कि उस तहसीलदार को मालूम नहीं था कि श्रीमती प्रेमवती विधान सभा की सदस्या हैं। अगर उसको इसकी जानकारी न होती तो वह विधान सभा के लिए इनसे यह बात न कहता। वह जानता था और इन्होंने जाकर स्वयं भी बताया कि "मैं विधान सभा का सदस्या हूं" और इसके बाद लगान के बारे में बात की। उसने इनसे बैठने तक के लिए नहीं कहा और अपशब्द का प्रयोग किया जिससे कि पूरी विधान सभा लांछित हुई है हमारे ऊपर आक्षेप किया गया है, हमारी नीयत पर शंका प्रकट की गयी है और हमें आरोपित किया गया है जिससे हमारे काम करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और उत्पन्न है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह केवल श्रीमती प्रमवती जी का सवाल नहीं है बल्कि पूरे विधान सभा का सवाल है और इसको विशेषाधिकार समिति में अवश्य भेजा जाय। साथ ही साथ शासन के एसे अधिकारी जो प्रशासन के लिये कलंक हैं उनको तुरन्त निलम्बित करके विशेषाधिकार की अवहेलना की कार्यवाही करनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं स्वयं प्रेमवती जी के क्षेत्र को देख आया हूं। वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। वहां सूखा पड़ गया है। बारिश नहीं हुई और सिंचाई के कोई और साधन भी वहां नहीं हैं। सूखा पड़ने पर पूरे प्रदेश में लगान वसूलयाबी का एलान किया गया और उसी आधार पर प्रेमवती जी ने तहसीलदार से कहा कि वहां भी लगान वसूली स्थगित रखी जाय। खुद राजस्व मंत्री से और मुख्य मंत्री जी से मैंने उस दिन कहा था कि तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 को आपने एक कोटा बांध दिया कि इतना परसेन्ट वसूलयाबी करनी ही पड़ेगी तो वह तो उसी आदेश की रोशनी में अपना काम करेगा। तहसीलदार यही कर रहा था अपनी वसूलयाबी का कोटा पूरा कर ले और तभी प्रेमवती जी को उसके पास जाना पड़ा और कहना पड़ा कि 19 तारीख से असेम्बली होने वाली है। असेम्बली में जाकर हम लोग इस प्रश्न को उठायेंगे और वसूली स्थगित हो जायेगी इसलिये वसूलयाबी में कोई ज्यादतीव जोर जबरदस्ती न की जाय। उस क्षेत्र की माननीय सदस्या होने की हैसियत से उनकी ड्यूटी थी कि वे सारी बातें तहसीलदार के नोटिस में लावें। इस पर उस तहसीलदार ने कहा कि तमाम बातें असेम्बली में होती रहती हैं, बकवास वहां होता रहता है, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। आप यहां से बाहर चले जाइये, निकल जाइये और निकाल दिया। यह माननीय सदन के सभी सदस्यों का इनसल्ट हुआ। आपका जो सरकारी कर्मचारी है उसने विधान सभा के सम्मानित सदस्य के खिलाफ दफा 332 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 लार्ज कर दिया। श्रीमन्, माननीय सदस्य की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह एक सदस्य की इज्जत का सवाल नहीं है, पूरे माननीय सदन की इज्जत का सवाल है। इसलिये आपसे मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है कि निश्चित रूप से इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने भेज दिया जाय ताकि पूरा मसला सामने आ जाय।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इस सदन में जो सदस्य हैं चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो इस सम्मानित सदन का सदस्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद या अन्तर नहीं है। अगर किसी की इज्जत पर कोई बात आती है तो मैं समझता हूं कि उससे पूरे सदन का अवमान होता है। मैं सम्मानित सदन को इतनी बात बतला दूं कि माननीय मोहन सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त व माननीय रियासत हुसैन व अन्य नेता गण ने जो बातें कही, यह काफी गम्भीर है और मैं समझता हूं कि जो सदस्यगण हैं, उन्हें अपने कार्य के संचालन में और जो उनका कर्त्तव्य है उसके करने में बाहर से कोई अवरोध उत्पन्न होता है या अपमान होता है वह सब लोगों के लिये वही चिन्ता का विषय होता है। जो विरोधी दल के नेताओं ने कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं लेकिन उन सभी नेतागण से अनुरोध करता हूं, जिन्होंने कहा कि इसे विशेषाधिकार में अवश्य सुपुर्द किया जाय, मैं समझता हूं कि इसकी इनक्वायरी सोमवार तक पूरी करा लूंगा और जो भी अधिकारी इस बात का प्रयास करते हैं, और किसी सम्मानित सदस्या के साथ, फिर वह तो बहुत ही सीधीसादी महिला हैं, वह किसी सदस्य को ही नहीं पूरे सदन को अपमानित करते हैं और उसको न तो सरकार बरदाइत करेगी और न ही यह सदन बरदाइत करेगा।

(व्यवधान--शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह—

वहां पर जो राहत सामग्री बांटने के लिये दी गयी है, वह तहसीलदार जिन लोगों को दे रहा है उनको इस बात के लिये कह रहा है कि वे लोग श्रीमती प्रेमवती के खिलाफ आन्दोलन करें, उनके विरुद्ध नारे लगायें...

(व्यवधान)

जांच तभी सही सम्भव हो सकेगी जब उस तहसीलदार का ट्रान्सफर किया जाये। वह वहां इनके खिलाफ गवाह तैयार कर रहा है। यह वहां इस समय जाने की स्थिति में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दीजिये, जांच वह समिति स्वयं कर लेगी, उसको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि किसी माननीय सदस्य को परेशान किया जाता है और अपमानित किया जाता है तो वह पूरे सदन का अपमान है। इस सम्मानित सदन की मर्यादा रखने के लिये जो भी नियम बने हुये हैं उनके खिलाफ यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ पूरी तरह से सख्त कार्यवाही की जायेगी, उसे बख्शा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी जांच करने के लिय सोमवार तक समय मांगा है सारे तथ्य सामने आ जाने दीजिये, उसके बाद निर्णय किया जायेगा,

(शोर—व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर व्यवधान करने पर)

आप लोग कृपया बैठें। विशेषाधिकार का कोई मामला जब विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है तो उसके पूर्व समस्त तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद, उन पर विचार करने के बाद, भेजा जाता है। आप कृपया सोमवार तक के लिये..

(शोर—व्यवधान)

(सर्वश्री खैरुलबशर, गोपीनाथ वर्मा, मसरूर जाफरी, विद्यासागर नौटियाल, श्रीमती प्रेमवती तथा 2 अन्य महिला सदस्य सदन के बीच खाली स्थान पर आकर बैठ गये।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मोहन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया अपने पक्ष के माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बिठाने की कृपा करें। सरकार की तरफ से स्पष्ट आश्वासन के बाद अब किसी प्रकार की इस समय कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाकर बैठें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य 'सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी,' 'तहसीलदार को निलम्बित किया जाय' के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैंने तो मंत्री जी से एक न्यूनतम मांग की, उससे न्यूनतम मांग इस समय हो ही नहीं सकती । मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि आप उसके वहां से स्थानान्तरण की घोषणा कर दीजिये और 30 तारीख को विभागीय रिपोर्ट के साथ शासन पक्ष और विरोध पक्ष की बात सुनकर प्रागदर्शन में यदि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है....

(कई अन्य सदस्य आकर सदन के बीच में बैठ गये और कहने लगे कि जब तक तहसीलदार को निलम्बित नहीं किया जाता तब तक कार्यवाही नहीं चलने देंगे)

श्री अध्यक्ष---

यह आप किस नियम के अन्तर्गत कह रहे हैं । आप जो कुछ कह रहे हैं ह लिखा नहीं जाएगा । आप सब अपने स्थान पर बैठें तब आपकी बात सुनी जायेगी । मैं मोहन सिंह जी और अन्य नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठायें ।

(सभी सदस्य अपने स्थानों पर जाकर बैठ गये)

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैं सिर्फ आग्रह कर रहा था कि जब तक तहसीलदार वहां रहेगा, शासन जो भी वहां से प्रमाण जुटाना चाहेगा, घटना की सही जानकारी हासिल करना चाहेगा, उसके वहां रहते घटना की सही जानकारी हासिल करना सम्भव ही नहीं है । बिलकुल एक पक्ष सामने आयेगा, दूसरा पक्ष सामने नहीं आ पायेगा । तो मैं मंत्री जी से न्यूनतम आग्रह कर रहा हूं कि आप उसका तत्काल वहां से स्थानान्तरण कर दीजिये और 30 तारीख को, शासन की जो सूचना है वह बता दें और हम लोग अपनी बात कह देंगे और पीठ से जो निर्णय हो जायेगा उसको सब शिरोधार्य करेंगे । लेकिन मंत्री जी को कभी-कभी जिद सवार हो जाती है । आज उन्होंने जिद पकड़ ली है कि नहीं करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो कुछ अभी हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करेगा लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आदमी को असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं । मैं समझता हूं कि मोहन सिंह जी ने जो-जो सुझाव दिया है वह उचित है और न्याय के हित में यह आवश्यक है । वहां रहकर वह अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और जो अहेतुक सहायता बांटी जा रही है उसका उपयोग वे श्रीमती प्रेमवती के खिलाफ गवाहियां इकट्ठा करने में कर रहे हैं । अगर कोई वहां जायेगा भी तो उससे सही जानकारी नहीं मिल सकेगी । जो कुछ अभी हुआ उसको मैं ठीक नहीं समझता लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं मोहन सिंह जी के सुझाव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे सदन में घोषणा करें कि उस तहसीलदार को तत्काल वहां से हटा दिया जाएगा और तब उसकी जांच की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, शासन को नहीं भूलना चाहिए कि गुन्नौर वही क्षेत्र है जहां पर शिवराज सिंह जो यहां के सदस्य थे, का मर्डर हुआ था। इनका तहसीलदार से अवरोध हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 30 तारीख को विचार करेंगे। 332 की रिपोर्ट हो गयी है। खुल कर इनका विरोध हो गया है। सारे अधिकारी उसके साथ रहेंगे। माननीय मंत्री जी को तहसीलदार का तबादला ही नहीं बल्कि उसको आदेश दिए जाने चाहिए कि वह गुन्नौर हेडक्वार्टर छोड़ दे। तबादले के बाद भी वह सारे काम कर सकता है जो उसके लिए जरूरी होंगे। जब तक वह गुन्नौर नहीं छोड़ेगा तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट आ जाने पर कार्यवाही करेंगे। इसमें शासन की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि सोमवार तक इन्क्वायरी करा लेंगे और ट्रान्सफर कर देंगे। मान्यवर, केवल 2 दिन की बात है, ट्रान्सफर कर देंगे। यह सदन की गरिमा की बात है, आप भी उसमें सम्मिलित हैं। इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं होनी चाहिए। एक माननीया सदस्या के अपमानित होने का मामला है और यह मामला केवल उन्हीं का नहीं है बल्कि पूरे सदन का है। आप आदेश दें। सोमवार को जो भी निर्णय देंगे वह सभी को मान्य होगा।

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, आज जुम्मे का दिन है। माननीय मंत्री जी नमाज पढ़ने भी नहीं गये हैं। ये भले काम करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी उसका पक्ष लेते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि सोमवार को रिपोर्ट आ जायेगी। सोमवार को दूसरी रिपोर्ट आ जायेगी। यह पूरे सदन की गरिमा का प्रश्न है। इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत गम्भीरतापूर्वक इसको लें और घोषणा करें कि तत्काल उसको वहां से हटा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सदस्यों की बात को सुना अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शासन का विचार रखें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मोहन सिंह जी ने जो कहा और दूसरे नेतागण ने जो कहा, मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि मामला बहुत गम्भीर है और यह भी आश्वासन दिया था कि सोमवार तक जांच हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार का अवरोध जांच में नहीं होगा। किसी अधिकारी को भेजकर जांच करा ली जायेगी। माननीया सदस्या स्वयं वहां पर मौजूद रहें, उनसे सम्पर्क स्थापित किया जायेगा। अगर तहसीलदार दोषी पाया जायेगा तो उसका स्थानान्तरण ही नहीं बल्कि निलम्बित भी किया जा सकता है, लेकिन सारे फैक्ट्स सामने आ जाने चाहिए। हमें इस बात का अधिकार है कि किसी भी अधिकारी के विरुद्ध

[श्री अम्मार रिजवी---]

फैसला कर सकते हैं । अधिकारी हमारे निर्देशन पर काम करता है । इक्विटी और जस्टिस के वसूल पर दूसरे पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए तभी कोई फैसला ले सकते हैं । इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो सदन की परम्परा है, ट्रेडीशन है उसके लिए यह आवश्यक है कि जब कोई ऐसी बात आवे तो दोनो पक्षों की बात सुने जिससे हम कह सकें कि दोनों की सुनवाई हुई है । मेरा निवेदन है कि उनका अपमान हुआ है उसको मैं अपना अपमान समझता हूं । लेकिन वे इस बात का मौका दें । जांच हो जायेगी और वह निष्पक्ष होगा । यहां से आदमी जायेगा । माननीय सदस्या से भी सम्पर्क स्थापित किया जायेगा और किसी प्रकार की भी कोई रुकावट और कोई असर जांच के ऊपर नहीं आयगा ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब इस विषय को समाप्त किया जाय ।

(लोकदल के कई कई सदस्य रिपोर्टर्स टेबुल के आगे आ गये और एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में और व्यवधान पैदा हो गया ।)

श्री खैरुल बशर---

आप उस तहसीलदार को निलंबित कीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कृपया शांत रहें और स्थान ग्रहण करें ।

श्री मसरूर जाफरी---

हम सदन चलने नहीं देंगे ।....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस विषय को इतना हल्का न लें और फिर से विचार कर लें । यह वह जिला है जहां दो-दो विधायकों को मारा गया है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(लोकदल के कुछ सदस्य रिपोर्टर्स टेबुल के आगे बैठ गये और सदन में घोर अव्यवस्था हो गयी ।)

एक सदस्य---

हम सदन नहीं चलने देंगे, तहसीलदार को निलंबित करो ।

श्री मित्रसेन---

संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने निर्णय पर फिर से विचार कर लें ।

(लोकदल के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(इस समय 1 बज कर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित हुई। 1 बज कर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे और स्थगित रहने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी। 2 बज कर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आधे घंटे स्थगित रहने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी। 2 बज कर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी। 3 बज कर 2 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आधे घंटे स्थगित किये जाने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी।

तदुपरान्त 3 बज कर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

*श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दल की एक सदस्या के साथ तहसीलदार ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया, उसका विषय यहां उठाया गया जिसके कारण इस सदन का दो घंटे का समय खर्च हो गया बिना कोई कार्य किये। लेकिन मुझे दुख है कि सारे सदन के सदस्यों की भावना को जानने के बाद भी यह सरकार कोई कार्यवाही करने में अक्षम रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह मुनासिब नहीं समझता हूं कि इस सरकार से किसी कार्यवाही की अपेक्षा करूं। लेकिन आपसे विनती कर रहा हूं कि मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने है। हम चाहते हैं कि सदस्यों की भावना जानने के बाद इस गम्भीर विषय पर सदन उठने से पूर्व आप अपना निर्णय दे दें।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, जिस विषय को लेकर आज करीब 2 घंटे तक सदन आपको स्थगित करना पड़ा। यह विषय बहुत ही गम्भीर है। मेरा निवेदन यह है कि कल भी आपको सदन स्थगित करना पड़ा था जब बाल्टी बाबा का प्रकरण आया और उसके कुछ ही देर बाद श्रीमन् सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से आया कि आधे घंटे की चर्चा आपने स्वीकार किया। मेरा निवेदन यह है कि शान्तिपूर्वक इस सदन को चलाना है तो आपका निर्णय किसी मसले पर तुरन्त होना चाहिये और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर तरह की कार्यवाही करने के बाद, माननीय सदस्य फ्लोर को क्रास करें या सत्याग्रह पर बैठ जायं तो मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती तो ही है उसकी गरिमा को हम कायम नहीं रह सकते हैं। इसमें सरकारी पक्ष का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को हर तरह की बात सुननी पड़ेगी और उत्तर भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार जो सत्याग्रह कराने के बाद ऐसी बातों को स्वीकार करती है वह मुनासिब नहीं है। डिसीजन तुरन्त होना चाहिए। मान्यवर, आपके कक्ष में जिस तरह की बात हुई, मुझे विश्वास है कि आज सदन उठने के पहले सरकार इसके बारे में पूरे तथ्य रखेगी और जो अपेक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल---]

सरकार से को जाती है उसके अनुसार उत्तर आयेगे । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन को गरिमा को देखते हुए और आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल करते हुए इस माननीय सदन को शांतिपूर्वक चलाया जाय और सदन उठने के पहले निर्णय सदन में द ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आज इस आदरणीय सदन में एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि एक गंभीर मामला सदन में आया था मैं इसका समर्थन नहीं करता कि यहां आकर लोग बैठ जायं लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब बगावत भी फर्ज बन जाती है । जो घटना प्रेमवती जी ने बतायी उसके दो हिस्से हैं । पहला हिस्सा अभद्र व्यवहार जो किया गया तो इससे सदन की अवमानना भी हो गई और विशेषाधिकार हनन का मामला बन गया। कुछ लोगों ने अगर कानून हाथ में लेकर उस कर्मचारी के प्रति ऐसा व्यवहार किया तो मैं उसकी निंदा करता हूं लेकिन वह विषय शासन की जांच के लिए है । श्रीमन्, आप हमारे विशेषाधिकारों के रक्षक हैं । इसका पहला जो हिस्सा है उससे विशेषाधिकार हनन स्पष्ट रूप से बनता है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मामले की गंम्भीरता तो इससे स्पष्ट है कि इतनी देर तक सदन की कार्यवाही रुकी रही । परन्तु मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान के रक्षक आप हैं । आपमें पूरे सदन का विश्वास है । प्रदेश के किसी भी कोने में कहीं ला-एंड-आर्डर भंग हुआ तो मैं उसकी निंदा करता हूं। मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम को सदन के उठने से पहले आप अपना निर्णय दे देंगे और यह शासन की इफीशियेंसी का भी सवाल है कि वह पूरी सूचनायें इकठ्ठी करके सदन उठने के पहले आपको प्रस्तुत करे । आपमें पूरा विश्वास प्रगट करते हुए मुझे आशा है कि आज इसका निर्णय सदन उठने के पहले आप दे दें ।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, आज जैसा कि सदन में हुआ । शासन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि अब फिर भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो जिसकी जिम्मेदारी शासन पक्ष के ऊपर ही जाती है । मान्यवर, आज की घटना केवल एक विधायक के साथ नहीं है बल्कि पूरे आदरणीय सदन के साथ हुई है । अभी कुछ दिन पहले ही माननीय राधे श्याम पटेल के साथ नैनी जेल में घटी थी, जिसमें उनको काफी मारा पीटा गया था और उसके बाद भी उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई मान्यवर, हम लोग यह अपेक्षा करते हैं कि आप सदन के सभी माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आज सदन उठने से पहले कोई उचित कार्यवाही अवश्य करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरे जो विचार थे इस घटना पर मैं सवेरे ही आपके माध्यम से आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं । उन्हें दोहराना इस वक्त सदन का समय लेना होगा । और इस सिलसिले में जिन सम्मानित नेतागण ने आपसे अनुरोध किया है, आप इसमें निर्णय लेने में स्वंय सक्षम हैं । मैं सदन को इतना आइवस्त अवश्य करना चाहूंगा कि जो भी ज्यादती माननीय सदस्य के साथ हुई है, उसकी पूरी छान-बीन करके जो भी उसके खिलाफ उचित कार्यवाही होगी, सजा देनी होगी, दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचार रखे । साथ ही मुझे इस बात का भी दुःख है कि अभी तीन दिन पहले जो आश्वासन आप लोगों ने दिये थे कि हम पूरा विश्वास और सहयोग देंगे और अब उसके बाद ही ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं । अभी दो चार दिन ही बीते हैं मैं महसूस करता हूं कि कुछ माननीय सदस्य व माननीय नेतागण इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जो इस सदन की परम्परा और गरिमा के विपरीत है । कोई भी कार्य या निर्णय किसी दबाव डालकर या जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है । यह हम और आप सभी जानते हैं कि यहां का प्रत्येक कार्य नियमों के तहत होता है, जिसका पालन हमें व सभी अन्य सदस्यों को करना होता है । लिहाजा मैं यह महसूस करता हूं कि जो आइवासन आपने दिया था, उस गरिमा को बनाये रखने के बजाये अधिकतर माननीय सदस्य उस परिधि के बाहर चले जाते हैं । यदि आपको कुछ कहना है तो जब मैं खड़ा हुआ हूं, तब आपको नहीं अपनी बात रखनी चाहिए, जब बैठ जाएं तो एक-एक करके, एक साथ कई सदस्य नहीं, अपनी बात रख सकते हैं, हम चाहे घर पर हों या कक्ष में आप अपनी बात को रख सकते हैं ।

अगर किन्हीं बातों से आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर बता सकते हैं कि इसमें यह कमी है, लेकिन हम लोगों के लिये यह शोभा नहीं देता है । अब जो विवरण आपके सामने था और माननीय नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं उनको देखते हुए जहां तक नियमावली का सम्बन्ध है, प्रिविलेज का सम्बन्ध है, उसको सभी सदस्य अच्छी तरह जानते हैं । एकदम से ऐसी बातों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, चाहे आप पूर्व दृष्टांतों को देख लें या पीठासीन अधिकारियों ने जो निर्णय दिये हैं, उनको देख लें । अब इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है सदन उठते वक्त इस पर निर्णय दे दिया जायेगा । कुछ सूचनायें आ गयी हैं, कुछ आनी हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मुझे एक सूचना देनी है । आपके आदेशानुसार जैसी सदन की भावना थी उसके अनुसार आयुक्त, बरेली मन्डल को आदेश दिये गये हैं कि वे तुरन्त वहां पर जायं । कल 12 बजे वहां पहुंच रहे हैं । जो भी माननीय सदस्य साक्ष्य इत्यादि के लिये वहां जाना चाहें जा सकते हैं ताकि इसकी इन्क्वायरी तुरन्त कम्पलीट करायी जा सके ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा आइटम नं0 15 हेतु मुख्य मन्त्री को पुकारे जाने पर ।)

श्री राम गोविन्द द्वारा शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व उनको बोलने का अवसर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपने कहा था सुनेंगे । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 1977 से हमलोग विधान सभा में हैं । देखते भी हैं और परम्परायें भी पढ़ी हैं कि जब कोई सदस्य विशेषाधिकार की नोटिस देता है तो उस पर निर्णय देने से पहले आपकी पीठ से सदस्यों के और नेताओं के विचार सुने जाते हैं ग्राह्यता पर कि यह विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने के लायक है या नहीं । ग्राह्यता पर बहस सुनने के बाद ही आपकी पीठ से उस विशेषाधिकार का निर्णय सुनाया जाता है । मेरी विशेषाधिकार की नोटिस, पिछले सत्र में मैंने शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध दी थी । वर्तमान मुख्य मन्त्री जो, जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने आश्वासन दिया था । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था । बहुत मेहनत करके तथ्यों को जुटाया था, आपने बिना उसको सुने निर्णय दे दिया । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

कृपा करके बैठें, मैंने आपकी बात को सुना । जब यह प्रकरण आया था उस वक्त माननीय सदस्यों को पूरी तरह से सुना गया, लेकिन आप कृपा करके नियम 66 पढ़ लें । सदस्यों को सुनना कोई आवश्यक नहीं है । इसमें लिखा है कि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने से पूर्व सम्बन्धित सदस्यों को सुन सकेंगे । जब निर्णय दे दिया गया, पढ़कर सुना दिया गया तो कोई इस तरह का नियम नहीं है, जिसके आधार पर फिर माननीय सदस्यों को सुनने की कार्यवाही की जाय । इस पर भी अगर आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो मेरे कक्ष में आयें, वहां आपको सन्तुष्ट करूंगा ।

यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग गोरखपुर के फर्जी होने एवं धोखाधड़ी से छले गये छात्रों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

*श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मार्च, 1981 में शासन की नोटिस में यह बात आयी कि किसी व्यक्ति ने गोरखपुर में एक यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग नामक संस्था स्थापित की है एवं अध्यापकों की नियुक्तियां और छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में विज्ञापन दिये हैं । प्रवेश के लिये फार्म की कीमत 10 रु० तथा नियुक्ति के लिये फार्म की कीमत 20 रु० रखी गयी थी । जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई जिलाधिकारी, गोरखपुर से आख्या मांगी गयी । इस बीच जिस-जिस व्यक्ति ने इस संस्था के बारे में शासन से जिज्ञासा की उनको यह उत्तर दे दिया गया कि उक्त कालेज शासन द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है और इस संस्था में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र की शिक्षा-दीक्षा और भविष्य के सम्बन्ध में शासन का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है । सूचना निदेशक के माध्यम से 27 जुलाई, 1981 को समाचार-पत्रों, आकाशवाणी और दूरदर्शन में यह विज्ञप्ति प्रसारित करायी गयी कि यू० पी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कालेज आफ इंजीनियरिंग, गोरखपुर शासन द्वारा मान्यतप्राप्त नहीं है और कोई छात्र यदि इस कालेज के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है या कोई व्यक्ति इस कालेज में सेवा करता है तो उसकी शिक्षा-दीक्षा और भविष्य के सम्बन्ध में शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । इस मामले में जिलाधिकारी, गोरखपुर ने शासन को यह सूचित किया कि तथा कथित कालेज के निदेशक ने जो स्पष्टीकरण समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया है उसके अनुसार उक्त कालेज में डिग्री स्टैन्डर्ड पाठ्यक्रमों का सर्टिफिकेट ए० एम० आई० ई० इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियरिंग (इंन्डिया), कलकत्ता से प्रदान किया जायेगा । इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त कालेज केवल ए० एम० आई० ई० के पाठ्यक्रमों की तैयारी करा रहा था ।

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

2--चूंकि इस कालेज के बारे में सही तथ्यों की जानकारी छात्रों को हो गयी थी अतः वह उद्वेलित हो उठे और उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने संस्था के निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की । तत्पश्चात् छात्रों ने यह मांग की कि उन्हें प्रदेश के डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश दिलाया जाय । यद्यपि इस तथाकथित संस्था में प्रवेश लेने के लिये शासन का कोई उत्तरदायित्व छात्रों के प्रति नहीं था फिर भी शासन ने उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया । प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिसका संयोजन मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है । बिना सामूहिक प्रवेश परीक्षा में सफलता पाये किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं किया जाता है । फिर भी शासन ने उदार दृष्टिकोण अपनाकर निम्नलिखित निर्णय लिया :--

(1) यू० पी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, गोरखपुर के छात्रों को डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश देने के लिये एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाय ।

(2) विशेष परीक्षा के लिये निर्धारित अधिकतम आयु से इन छात्रों को एक वर्ष की छूट प्रदान की जाय ।

(3) वे छात्र जिन्होंने वर्ष 1981 की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था परन्तु 1982 की परीक्षा में भाग नहीं लिया, भी उक्त विशेष परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

(4) 4 जुलाई, 1982 को पालिटेकनिकों में प्रवेश हेतु जो सामूहिक परीक्षा शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की गयी उसमें भाग लेने के लिये भी इन छात्रों को अनुमति दी गयी और इस हेतु फार्म दाखिल करने की तिथि भी उनके लिये बढ़ा दी गयी ।

(5) इलाहाबाद पालिटेक्निक से विचारविमर्श कर के यह तय किया गया कि जो छात्र ए० एम० आई० ई० की कोचिंग लेना चाहते हैं उन्हें इलाहाबाद पोलिटेक्निक में प्रवेश दिला दिया जाय ।

(3) छात्रों का मुख्य मांग यह थी कि उन्हें डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश दिला दिया जाय, इस हेतु 19-20 जुलाई को एक विशेष परीक्षा आयोजित की गयी जिसमें 115 छात्र सम्मिलित हुये परन्तु उनमें से किसी ने भी न्यूनतम

[श्री सुनील शास्त्री--]

निर्धारित प्रवेश योग्यता प्राप्त नहीं की । ऐसा ज्ञात हुआ कि इन छात्रों ने सामूहिक रूप से प्रवेश परीक्षा का बहिष्कार किया । फलस्वरूप लगभग सभी छात्रों को शून्य मार्क मिले । इस प्रकार इन छात्रों को जो शासन द्वारा सहूलियत दी गयी थी उसका उन्होंने उपभोग नहीं किया । ये छात्र चाहते हैं कि बिना किसी परीक्षा के ही इन्हें डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश दे दिया जाय जो नियमानुकूल नहीं है । शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि इन छात्रों को विशेष प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिये एक और अन्तिम अवसर प्रदान किया जाय जिसके आधार पर वे अपनी योग्यतानुसार डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश पा सकें ।

एक सदस्य--

मैं एक स्पष्टीकारण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें स्पष्टीकरण की बात नहीं उठती है लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मूल प्रश्नकर्त्ता श्री मोहन सिंह जी स्पष्टीकरण मांग लें ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, वह यू0 पी0 कालेज आफ इंजीनियरिंग जो कि फर्जी संस्था है, उसने न केवल छात्रों से फीस ही लिया है बल्कि एक-एक छात्र से 8, 10 और 12 हजार रुपये तक का डोनेशन इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा देने के लिए लिया है जब कि पढ़ाई की कोई सही व्यवस्था नहीं की गई है, तो जिन विद्यार्थियों से इस फर्जी संस्था ने लाखों रुपये दान स्वरूप वसूल कर लिया है, उस पैसे को उन्हें वापस कराने के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

साथ ही वह संस्था इंडस्ट्रियल इस्टेट गोरखपुर के एक प्लाट पर चलायी जा रही है जब कि किसी खास व्यक्ति को कोई कारखाना लगाने के लिए ही वह प्लाट आवंटित किया गया है । तो जिस उद्देश्य से वह प्लाट आवंटित किया गया है, उस काम को न करके उस प्लाट के शेड में एक फर्जी संस्था चलायी जा रही है । तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि सरकार उस प्लाट को लेकर उस शेड म ताला लगा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपका उत्तरार्द्ध का प्रश्न है, क्या उसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध है ?

श्री मोहन सिंह--

बिल्कुल सम्बन्ध है । जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल इस्टेट में किसी खास व्यक्ति के नाम कोई उद्योग लगाने के लिए ही प्लाट आवंटित होता है, किसी संस्था के नाम नहीं । जब कि वह शेड एक फर्जी संस्था को भाड़ा पर दिया गया है, तो क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि उस संस्था को जो 420 का धंधा चला रही है, बन्द करा देंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

लड़कों की पढ़ाई का सवाल है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, वह संस्था अभी तक चल रही है और जब तक चलती रहेगी हर साल लड़कों के साथ धोखाधड़ी करती रहेगी, इसलिये शासन को चाहिये कि उसे तत्काल बन्द करा दे। तो सरकार मेरे इस सुझाव के लिये तैयार है या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री--

जहां तक माननीय सदस्य की पहली बात का सम्बन्ध है, जैसे ही शासन ने जिलाधिकारी को सूचित किया कि वहां एक फर्जी संस्था चल रही है, जिलाधिकारी ने तुरन्त कार्यवाही की और यहां तक कि निदेशक को गिरफ्तार तक भी कर लिया।

श्री मोहन सिंह--

डेढ़ साल बाद। पहले कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री सुनील शास्त्री--

जैसे ही छात्रों ने शासन को अवगत कराया, शासन ने उस तरफ तुरन्त ही कदम उठाया और उस निदेशक के विरुद्ध पूरी कार्यवाही की और अखबारों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सभी लोगों व छात्रों को यह अवगत कराया कि अगर कोई छात्र उस फर्जी संस्था में एडमिशन लेता है तो भविष्य में शासन उसके लिए जिम्मेदार न होगा। जब शासन के सामने यह बात लायी गई कि यह संस्था फिर विज्ञप्ति दे रही है, अखबारों में एडवरटजमेंट निकाल रही है, तब फिर आकाशवाणी और समाचारपत्रों के जरिये इस बात की घोषणा की गई कि इस संस्था द्वारा जो विज्ञप्ति निकल रही है, यह एक फर्जी संस्था है और इसलिये इसमें कोई दाखिला न ले क्योंकि उसके लिए शासन किसी तरह से भी जिम्मेदार न होगा। जहां तक माननीय सदस्य की दूसरी बात है....

श्री उपाध्यक्ष--

जो पैसा जमा है उसके बारे में उन्होंने पूछा है।

श्री सुनील शास्त्री--

डोनेशन के बारे में मैं बता दूं कि पैसा जो था जहां-जहां वह जमा था, वह सब फ्रीज कर लिया गया है, शासन उस पर विचार करके निर्णय करेगा। गलत आवंटन के बारे में जो सूचना दी....

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि सब-लेटिंग हुआ है, इसको आप जांच करवा लें।

श्री सुनील शास्त्री--

इसकी भी जांच करवा लेंगे।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें पहले भी हुई हैं जब माननीय कमलापति त्रिपाठी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

पांडेय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उस समय शासन का एक सदस्य था, उन बच्चों का फिर से इम्तिहान कराया गया था और जो उपयुक्त छात्र पाये गये थे उनको अन्य मेडिकल कालिजों में स्थान दिलवाया गया था ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

सिर्फ इतना माननीय मन्त्री जी बतला दें कि कितने समय के अन्दर फिर से वे परीक्षा करवा देंगे ताकि छात्रों का पूरा साल बरबाद न हो ?

श्री उपाध्यक्ष--

दोबारा कब तक आपकी कृपा हो जायेगी परीक्षा कराने के सम्बन्ध में ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, छात्रों की सुविधानुसार जो भी समय वे चाहेंगे, उस समय परीक्षा करा ली जायेगी, लेकिन 3 माह के अन्दर होगी, जिससे कि उनका एक वर्ष बरबाद न हो ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज 8 कार्य-स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं-- पहली सूचना सर्वश्री धर्मन सिंह तथा राजेन्द्र अग्निहोत्री की है--बिजनौर जिले के थाना किरतपुर के ग्राम किसोर में पुलिस की साजिश से एक हरिजन की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह की पुलिस ज्यादती के विरोध में कानपुर स्थित गंगा घाट थाने के अन्तर्गत टैक्सी-टैम्पो चालकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव, राम आसरे वर्मा, रखैल बशर, गोपी नाथ वर्मा, मित्रसेन यादव, मसरूर जाफरी, रामहर्ष राय की तहसीलदार गुन्नौर, जिला बदायूं के कार्यालय में माननीया सदस्या श्रीमती प्रेमवती के साथ किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री धनी राम वर्मा--जनपद इटावा के निर्वाचन क्षेत्र औरैया से दिबियापुर गुजरती हुई सड़क के बनवाने के सम्बन्ध में है ।

पांचवी है माननीय रामसागर और जमुना प्रसाद जी की बाराबंकी जिले के थाना जैदपुर चौकी अहमदपुर के ग्राम तुलसी में एक बदमाश द्वारा युवती की असमत लूटने के प्रयास करने तथा इसकी रिपोर्ट को लिखने के बजाय पुलिस द्वारा युवती के भाई-भतीजों को बन्द करने के सम्बन्ध में । छठी है सर्वश्री मुहम्मद आजम खां, माता प्रसाद पांडेय, श्रीमती प्रेमवती और श्रीमती पार्वती की-दिनांक 22 मई, 1982 को कु0 उमा गुप्ता के अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में । सातवीं है

सर्वश्री हरिवंश सहाय और नन्द किशोर सिंह की––प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, और आठवीं है सर्वश्री रियासत हुसैन, राम गोविन्द और अकबर हुसैन की––दिनांक 27/28 जून, 1982 को ग्राम रामपुरा, जनपद मैनपुरी पर भूरा डाकू गिरोह द्वारा 6 व्यक्तियों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में। यह सभी सूचनायें पढ़ी गयीं और सब अस्वीकृत की गयीं।

श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, स्टेटमेंट तो दिलवा दीजिये रमपुरा की घटना के सम्बन्ध में।

(श्री मोहम्मद आजम खां तथा कई अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान।)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मुहम्मद आजम खां साहब, मैं खुद ही सजग रहता हूं कि केवल सीनियर हजरात को ही मौका न दिया जाए बल्कि जूनियर हजरात को भी मौका दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि यदि वक्तव्य के लिए अभी कहा भी जाए तो क्या यह सम्भव है कि वक्तव्य आ जाय? जो बात सम्भव ही नहीं है उसके लिए कहना बेकार है।

श्री धनी राम वर्मा––

मान्यवर, आप दो मिनट सुन तो लें और यदि महत्वपूर्ण समस्या समझें तो वक्तव्य दिला दीजियेगा नहीं तो मत दिलवाइयेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

मैंने आपकी भावनाओं को देखते हुए एक–एक आइटम को विस्तार से पढ़ दिया है ताकि शासन का ध्यान आकृष्ट हो जाए और उस पर कार्यवाही हो।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)

मुझे अत्यन्त दुख है कि इतना सुव्यवस्थित चलने वाला यह सदन अपनी गरिमा के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है।

श्री धनी राम वर्मा––

मान्यवर, मेरी बात पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार कर रहा हूं।

(श्री धनीराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

*श्री राम आसरे वर्मा––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। कार्य–स्थगन प्रस्ताव में मुख्य मुद्दा यह था कि माननीय सदस्या, श्रीमती प्रेमवती के मान प्रतिष्ठा को किस तरह से दांव पर लगाया जा रहा है, उसी में दूसरी घटना का जिक्र था, जिसका मेरे से सम्बन्ध है कि चूंकि आपने उसको निरस्त कर दिया है इसलिए आप मुझे 2 मिनट का मौका दे दें तो कृपा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी इसी प्वाइंट पर एक घन्टे से अधिक सदन स्थगित रहा है और माननीय अध्यक्ष इस पीठ पर बैठे हुये कह चुके हैं कि जो प्रक्रिया आपके विशेषाधिकार उठाने की है उसमें दोनों फरीकों को सुनने की बात है और उसके आधार पर उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। सदन उठने से पहले वे विशेषाधिकार के बारे में आपकी भावनाओं की इज्जत करते हुये निश्चित रूप से जो मुनासिब होगा, आदेश देंगे। जब यह स्थिति है तब उसी को उठाकर आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। लखीमपुर खीरी के लिए..

(व्यवधान)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को दिये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री जयदीप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष जो संकल्प रखा है वह देखने में बहुत ही थोड़े से शब्दों में प्रस्तुत किया है।

श्री गौरी शंकर भैया—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बयान दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें नियम 56 में आपने दिया है और उसमें यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री जयदीप सिंह—

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जो इस समय आर्थिक और सामाजिक ढांचे में कमजोरी आ रही है वह बेरोजगारी के कारण है। बेरोजगारी ऐसी है और दूसरी ओर जो हमारे पास उत्पादन के साधन हैं उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी के शपथ लेने के बाद जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश की सब से जटिल समस्या क्या है तो उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया। तो श्रीमन्, बेरोजगारी के चन्द आंकड़े मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह योजना मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका योजना में छपे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय हमारे यहां पर 33 लाख बेरोजगार थे और योजनाकाल में 70 लाख रोजगार सृजित किये गए।

श्री उपाध्यक्ष—

किसके ईशू होने का समय बताया।

---

*दिनांक 20 अगस्त, 1982 की कार्यवाही से।

श्री जयदीप सिंह--

पहला योजना काल प्रारम्भ होने के समय, परन्तु इसके अन्त में 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये। दूसरी योजनाओं के समय के भी आंकड़े मेरे पास हैं, उनको भी दे सकता हूं। वस्तु स्थिति सभी में वही है। 5वीं योजना में 136 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। सरकार के प्रशंसनीय प्रयत्नों से उसमें 180 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया किन्तु फिर भी 229 लाख लोग योजना के अन्त में बेरोजगार रह गये। सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के बहुत प्रयत्न किये चाहे वह किसी भी माध्यम से किये हों। औद्योगीकरण के माध्यम से किये हों या कोई और माध्यम से किये हों। बेरोजगारी की समस्या फिर भी यहां पर बढ़ती गई। जिसका मुख्य एक कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है इसके अतिरिक्त देहातों में छिपी हुई बेरोजगारी भी है। खेती के समय तो बहुत से लोग काम पर लग जाते हैं किन्तु केवल कुछ ही महीने उनको खेती में काम मिल पाता है बाकी दिनों वे बैठे रहते हैं। उसके आंकड़े अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पातेहैं।

योजना के अन्त में यह निष्कर्ष निकला कि भारतवर्ष में बेरोजगारी दूर करनी है तो यहां पर औद्योगीकरण करना होगा। उसके लिये जो नीति अपनायी गई उससे यह आकांक्षा थी कि उससे देश और प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा, उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, बचत के बाद पूंजी निवेश बढ़ेगा और उससे औद्योगीकरण बढ़ेगा और उसके बाद प्रदेश और देश को अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे टेक आफ स्टेज पर आयेगा, जिसके बिना किसी सरकारी सहायता के देश और प्रदेश की उन्नति की राहों मे बढ़ता चला जायेगा। लेकिन ऐसा नही हुआ। इसका कारण यह था कि जो उद्योग यहां पर लगाये गये हैं उनमें प्रयोग होने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, वे अधिकांश ऐसे हैं जो कि भूमि से निकलते हैं या बाहर से आयात किये जाते हैं या फिर दूसरी इन्डस्ट्री में पैदा किये जाते हैं जिससे कि केवल वहां पर उस उद्योग में काम करने वाले लोगों की आय में ही बढ़ोतरी होती है और किसी की आय नही बढ़ पाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये हमारे प्रदेश में पूंजी की कमी है। इस प्रकार न्यून आय से कम बचत, उससे कम पूंजी निवेश और उससे औद्योगीकरण को बढ़ावा न मिलने का जो दुष्चक्र बन गया है उससे सारा ढांचा अस्त-व्यस्त हो गया है और इससे हमारी 80 प्रतिशत जनता का आर्थिक ढांचा उन्नत नही हो पा रहा है।

श्रीमन्, अगर आप उत्तर प्रदेश भूमि उपयोग के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि 1950-51 में हमारे यहां जो कुल बोया हुआ क्षेत्रफल था और जो वास्तविक बोआई थी उसका अनुपात 123 प्रतिशत था और मात्र 23 प्रतिशत भूमि में दूसरी फसल ली जाती थी। 1977-78 में यह सघनता 134 प्रतिशत पहुंची। 11 प्रतिशत सघनता 25 वर्ष में बढ़ पायी है। इससे जाहिर होता है कि हम अपने कृषि साधनों का पूरा उपयोग नही कर पाये हैं। यह समस्यायें हमारे सामने आ जाती हैं एक तरफ बढ़ती हुई बेरोजगारी और दूसरी तरफ प्रदेश का जो सब से बड़ा साधन है, कृषि भूमि का, उसके पूरे उपयोग न करने का मसला है। जो दूसरे उद्योग लगाये जाते हैं वे कुछ जिलों तक ही सीमित रह जाते हैं। उनके लिये इन्फा-स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो कि सब जगह उपलब्ध नही हो पाते हैं।

मान्यवर, आप भी परिचित होंगे और माननीय सदस्य भी इसको समझते होंगे कि कानपुर में बड़े-बड़े उद्योग हैं गाजियाबाद में हैं जहां पर संचार साधन भी थे, ट्रांसपोर्ट के साधन भी थे, जहां पर पहले से उद्योग स्थापित थे, स्वतः वहीं पर औद्योगीकरण बढ़ा। बाकी जो पिछड़े इलाके थे सरकार के प्रयत्नों

[श्री जयदीप सिंह---]

के बाद उनको भी औद्योगीकरण में कोई स्थान नही मिल पाया । इसका मुख्य कारण यह था कि यहां पर संचार के साधनों की कमी थी । हर जिले में बड़े उद्योगों के लिये एक ढांचा होना आवश्यक था, जो हर जगह नही उपलब्ध हो सकता । तो हम अगर कृषि पर अधारित उद्योगों की तरफ ध्यान देंगे और अपनी नीति ऐसी बनायेंगे कि कृषि पर आधारित उद्योग हमारे यहां हो तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि जहां पर फसल पैदा होगी और जिस तरह की फसल वहां होगी उसी के अनुरूप वहां पर उद्योग लगेंगे । इस प्रकार स्वतः ही हम उद्योगों को डिसेंट्रलाइ-जेशन की तरफ ले जायेंगे, जो बड़े-बड़े उद्योग एक जगह पर आज केन्द्रित हो जाते हैं,वह नहीं होंगे । उन जिलों में जहां पर बड़े-बड़े उद्योग आज लगाये जाते हैं वहां पर कई तरह की सामाजिक समस्यायें खड़ी हो जाती हैं जिससे आप भी अनभिज्ञ नहीं होंगे । कानपुर जैसे शहर में गंदगी की समस्या, पेयजल की समस्या, रहने की समस्या कितनी भयंकर है । उनका जो मानसिक तनाव है, वहां पर जो अपराध पनपते हैं उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं होंगे । जब गांव का आदमी कानपुर जाता है तो जिस दुनिया में वह रह रहा होता है उसे वहां जाकर बिल्कुल दूसरी दुनिया में रहना पड़ता है, रोटी-रोजी के लिए पशुओं की तरह कोशिश करनी पड़ती है उसके लिए वह एक अलहदा दुनिया हो जाती है ।

इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए, सामाजिक समस्याओं को देखते हुए हम ऐसे कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग लगायें जिसमें काम करने वाले लोगों को अपने घर के पास रहने का मौका मिले । उसको साफ वातावरण में रहने का मौका मिलेगा और जो अभी तक अपनी संस्कृति से उजड़ कर एक मसनवी दुनिया में जाकर जानवर की तरह काम करना पड़ता है और दूसरी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं उन सारी समस्याओं का जगह-जगह पर कृषि पर आधारित उद्योगों के लगने से हल हो जायेगा और जो हमारा प्राचीन गांव का ढांचा है उसमें विकृति नहीं आयेगी ।

खनिज पर आधारित उद्योग में कोई वस्तु पहले खान से आती है उसके बाद उसमें श्रमिक काम करते हैं उसके बाद उसका फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसमें कीमत कुछ बढ़ जाती है । दूसरी ओर कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग लगने पर प्रारम्भ में ही किसान और मजदूर को दोनों को फायदा होगा । जब किसानों को अच्छे मूल्य मिलेंगे तो मजदूरों को भी अच्छी मजदूरी मिलेगी उससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार होगा । इससे कृषि उत्पादों की कीमतों में जो उतार-चढ़ाव आता है वह भी नहीं होगा । इन उद्योगों को यह चीज खरीदकर रखनी होंगी और फसल आने के समय उनके भाव नहीं गिरेंगे।

तीसरी बात यह है कि हमारे आर्थिक ढांचे में तीन सैक्टर हैं प्राइमरी अर्थात् प्राथमिक, सेकेन्डरी अर्थात् द्वितीय और टरशियरी अर्थात् तृतीय । प्राइमरी वह है जो कृषि उत्पादन होता है, द्वितीय सेक्टर वह है जो मैन्यूफक्चरिंग का है जिसमें सारे उद्योग आते हैं और तृतीय मारकेटिंग जिसमें चीजों को बेचना और खरीदना है जिसे हम सरविसिंग भी कहते हैं । कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों में यह तीनों सैक्टर बराबर पनपते हैं । कृषि उत्पाद पर उद्योग लगायेंगे तो उनकी प्लांट और मशीनरी आवश्कताओं की पूर्ति करने के लिए सेकेन्डरी सेक्टर को भी एक बढ़ावा मिलेगा और अन्ततोगत्वा इनसे मार्केटिंग और वाणिज्य आदि सम्बन्धी सेक्टर भी पनप सकता है । तो इससे तीनों सेक्टरों को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीमन्, अब कृषि उत्पाद आधारित उद्योग क्या है, इस पर विचार करना होगा । यह दो प्रकार के हैं । एक प्रोसेसिंग हैं, जैसे खाद्य संरक्षण का है,

जिसमें फल या सब्जी पैदा की, और फिर उसको डिब्बों और शीशियों में बन्द कर ले या आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख लिया जाए। यह आवश्यकता तो स्पष्ट ही है।बहुत सीधा-साधा कार्य है, लेकिन इसमें भी एक विचारणीय बात छिपी हुई है। हमारे प्रदेश में सीमित मात्रा में सब्जियों और फलों का उत्पादन होने के बावजूद कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत सड़ जाता है। एक तरफ तो हमारे प्रदेश की जनता कुपोषण का शिकार है, अगर यह देखा जाए कि इनकी प्रति व्यक्ति क्या उपलब्धि है। दूसरी तरफ यह देखते हैं कि उसमें से भी 30 प्रतिशत नष्ट हो जाती है, तो यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, इसको बढ़ावा अधिक से अधिक देना चाहिये, वह चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो और चाहे आलू हो। इससे एक समय पर आने वाली फसलों में काश्तकार को भाव गिरने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कृषि उत्पाद आधारित उद्योग का दूसरा प्रकार कन्वर्जन यानी रूपान्तरण का है। जैसे गन्ने से चीनी बनाई जाती है। आम तौर पर लोगों में यह विचार है कि गन्ना उद्योग में या दूसरी चीजों में, खाद्यान्न में उनसे कोई औद्योगिक महत्व की वस्तुएं नहीं बनती हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है।

अमेरिका या दूसरे यूरोपीय मुल्कों के बारे में लोगों का ख्याल है कि वहां पर केवल 3/4 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ऐसी बात नहीं है, वहां पर कम से कम 30 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो कृषि उत्पादनों को कन्वर्ट करने में लगी हुई है। इसलिए वह इन्डाइरेक्टली कृषि पर ही आधारित है। उसमें उन्हे अधिक आय मिलती है, जो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। मिसाल के तौर पर, मैं यह आंकड़े देना चाहता हूं कि जो खाद्यान्न हैं उनसे क्या-क्या सम्भवतः पैदा हो सकता है। एक सोयाबीन है, इसकी खेती हमारी सरकार बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि खाने को इसमें प्रोटीन बहुत है। लेकिन इसकी खेती बढ़ नही रही है, क्योंकि सोयाबीन की फसल का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है। उसके उपयोग के बारे में मैं दो-तीन आईटम आपकी अनुमति से बतलाना चाहूंगा। इससे वार्निश, ग्रीज, रबर, पेन्टस, साबुन, प्रिन्टिंग स्याही, कार्बन पेपर, दवाओं के लिए तेल, ऐड़हेसिव आदि बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन का कपड़ा उद्योग में बड़ा महत्व है, उसमें इसका बड़ा उपयोग है। इसके साथ ही प्लास्टिक और एन्टीबायटिक्स जैसे पेनिसीलीन हैं, उसके लिए भी सोयाबीन की जरूरत पड़ती है, फिर श्रीमन्, धान है, उसमें एक प्रतिशत से अधिक तेल पाया जाता है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है हमारे प्रदेश में वर्ष 1977-78 में 52 लाख टन चावल पैदा हुआ। अगर इसका 1 प्रतिशत भी लिया जाय तो 50 हजार टन तेल मिला। जिसका मूल्य 75 करोड़ रुपया हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पहुंचता।

एक ज्वार की फसल है। हमारे प्रदेश के पश्चिमी इलाके में ज्वार को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका दाना अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां पर इसका गम बनाया जाता है और फिर वह दवाओं में इस्तेमाल होता है। यह हमें लगभग 20 करोड़ का वहां से मंगाना पड़ता है। इसकी पैदावार जो सबसे बेकार भूमि होती है उसमें इसकी पैदावार ली जा सकती है, वह सूखे से भी प्रभावित नहीं होता है। सब लोगों को पता है कि खाद्यान्न से डबल रोटी, बिस्कुट, तो बनते ही हैं। इससे स्टार्च, ग्लूकोज और अलकोहल बनता है। भुट्टे के दाने निकालने पर जो कुकड़ी बचती है जिसे हम जला देते हैं और या फेंक देते हैं, उसके अमेरिका में बड़े-बड़े कारखाने लगे

[श्री जयदीप सिंह--]

हुए हैं। इनसे फरफुरल एवं टैटरा हाइड्रो पयोरीन बनती है जिस पर रबर उद्योग निर्भर है और गेहूं से ग्लूटन, प्लास्टिक, डिटरजेंट आदि चीजें बनती हैं जिनका उद्योग में भी काफी महत्व है। कुछ माननीय सदस्य एतराज करेंगे कि ये तो खाने के प्रयोग में आती हैं लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन खाद्यान्नों से एक्सट्रेट निकालने के बाद भी वे खाने में काम आ सकते हैं या खराब खाद्यान्न इनमें प्रयोग हो सकता है।

[4 बजकर 32 मिनट]

हमारी कृषि से जो वेस्ट होता है, जैसे भूसा या पुआल आदि, जिसको हम जानवरों के चारे के लिए प्रयोग में लाते हैं, यह एक वर्ष में एक सौ लाख टन हमारे प्रदेश में पैदा होता है। इस पर काफी बड़ा कागज उद्योग लग सकता है। एक एकड़ से एक टन भूसा प्राप्त होता है। उसका जो पोषण का मूल्य है वह 2 या 3 प्रतिशत होता है। अगर एक एकड़ से अच्छा हरा चारा पैदा करें तो कम से कम 60 टन एक फसल में यानी 600 क्विन्टल तक चारा हो जाता है। बहुत कम भूमि में इतना हरा चारा हो जाता है। जितना भी हमारा एग्रोकल्चरल वेस्ट है चाहे वह मकई के ठूठे हों, भूसा हो, सब कागज के बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। इनसे अलकोहल भी बन सकता है।

सबसे बड़ा उद्योग हमारे प्रदेश में गन्ने का है। इससे ही कई लाभ हो सकते हैं। जो चीजे आज हम अपने प्रदेश में नहीं पैदा कर सकते हैं, उनकी ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल सदन में चर्चा हुई थी कि गन्ने का मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है और वे चिन्तित हैं उसकी अर्थ व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है लेकिन माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जहा पर गन्ने का मूल्य नहीं भी मिलता, फिर भी वहां का काश्तकार गन्ने की बुआई नहीं छोड़ता, कुछ कम तो कर सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ता इसका कारण यह है कि इतना कुछ नुकसान होने के बावजूद भी दूसरी फसलों से गन्ने की फसल ज्यादा अच्छी होती है। कल माननीय मन्त्री जी सदन में बता रहे थे कि इस वर्ष 225 लाख टन गन्ना मिलों में पेरा गया जबकि गन्ने का कुल उत्पादन 700 लाख टन से भी अधिक हुआ था। गन्ने में शकर के अलावा मोम भी होता है। उसमें यह 3 प्रतिशत तक होता है। अगर इस 225 लाख टन गन्ने से हमने मोम एक्सट्रेक्ट किया होता तो कम से कम 70 हजार टन इस प्रदेश में पैदा हो सकता था। जिसका मूल्य अगर हम 10 रुपया प्रति किलो मानें, तो 70 करोड़ रुपया हो सकता है।

श्रीमन्, शीरा से अल्कोहल बनती है और अल्कोहल का प्रयोग जो है, मनुष्य के सांस्कृतिक इतिहास के प्रारम्भ से ही होता रहा है और मनुष्य ने सुख-दुख में उसका प्रयोग किया है। परन्तु आज मैं अल्कोहल के औद्योगिक उपयोग के बारे में कहना चाहूंगा। श्रीमन्, आप जानते हैं कि आज-कल ऊर्जा का संकट है। प्रकृति के दिये हुए साधन भारतवर्ष में ही नही बल्कि पूरे विश्व में सीमित हैं। आज हमारे प्रदेश में मांग है कि पेट्रोलियम पर आधारित खाद के कारखाने लगाये जायं। और यह भी सभा जानते हैं कि जमीन में पेट्रोलियम सीमित मात्रा में है बीस-तीस वर्ष में समाप्त हो जायेगा इस उत्पादन के लिए अल्कोहल का प्रयोग हो सकता है। पूरे का पूरा रसायन उद्योग हम अल्कोहल पर आधारित कर सकते हैं। अल्कोहल से बनने वाली बहुत सी चीजें हैं जैसे ब्यूटाडियन और पोली स्टाइरीन कृत्रिम रबर बनाने का जो बरेली में कारखाना है,

वह भी अल्कोहल पर आधारित है। पी० वी० सी० जो प्लास्टिक है और बहुत सी दवाइयां हैं, लगभग सभी दवाइयां जैसे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड ग्लूटैमिक एसिड इत्यादि अल्कोहल से बन सकती हैं। लाइसीन भी बन सकती है शीरे से जोकि बहुत सस्ती पड़ती है। लाइसीन प्रोटीन जो गेहूं में कम होती है, दालों में अधिक होती है। अगर उसका गेहूं के साथ आंटे में प्रयोग किया जाय, तो गेहूं की पोषण क्षमता बहुत बढ़ सकती है। शीरे से जेनथमगम बन सकती है, जो तेल के कुएं खोदने के काम में आती है। खोई गन्ने का तीसरा अंश है जिसको कि ज्यादातर लोग मिलों में जला देते हैं। श्रीमन् इस वर्ष 70 7 लाख टन गन्ना जो प्रदेश में पैदावार थी, अगर हम खोई के आंकड़े 20 से 25 प्रतिशत के हिसाब से निकालें तो वह 175 लाख टन खोई होती है। एक टन खोई में 100 लीटर तेल 400 किलो ग्राम कोयला के बराबर ऊर्जा शक्ति है और आधा टन लकड़ी के बराबर ऊर्जा की उसमें शक्ति है। तो वह कोई नई बात नहीं मालूम होती। परन्तु अगर हम उन उद्योगों का नवीनीकरण करके हम सही तरीके से चलायें तो मेरे पास यह पुस्तक है बाई प्रोडक्ट्स आफ दि केन शुगर इन्डस्ट्री, इसको पेज 59 से यह मैंने लिया है कि श्रीमन् 2,500 टन की क्षमता की चीनी मिल अगर सही माने में खोई का उपयोग करे, उसका कागज बनाने में उपयोग तो हो ही सकता है, अगर उसको जलाया जाय तो 2,300 किलो वाट विद्युत का फैक्ट्री की जरूरत के अतिरिक्त उत्पादन होगा, जो 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 25,000 रु० रोज या 200 दिन के फैक्ट्री के चलने पर 50 लाख रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है। इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आज बिजली की कमी है और इसका उपयोग हो सकता है। इसकी खोई से भी जैसे भूसा पुआल वगैरह से अल्कोहल कागज, पेपर बोर्ड, हार्ड बोर्ड फाइबर बोर्ड पोटैकल बोर्ड इंसुलेशन बोर्ड बनाया जा सकता है और इससे निकलने वाली लिगनिन से प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई जा सकती है।

यह मैं अपनी थोड़ी सी बुद्धि से और थोड़े से अध्ययन से कह रहा हूं। सरकार इस पर आयोग नियुक्त करे तो कृषि पर आधारित उत्पाद की वस्तुयें कितनी हो सकती हैं, इसका अन्दाज लगाना कठिन है असंख्य हो सकते हैं। अगर इतनी चीजें हो सकती हैं और आवश्यकता है लोग बेरोजगारी से चिन्तित हैं, तो इसमें दो राय नहीं रह जाती है कि इसका कार्यान्वयन आवश्यक है। श्रीमन् मैं दो चार सुझाव देना चाहूंगा। कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की रूपरेखा बनाकर आगे बढ़े। पहले जिलेवार क्षमता का सर्वे और भूमि का चयन किया जाना चाहिये। जैसी भूमि उपलब्ध हो, जैसी जलवायु हो और किस प्रकार की फसल अच्छी होती है और किस प्रकार उद्योग लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार अनुसंधान और रिसर्च तथा प्रसारण के लिए आयोग बनाये जो संस्थान पूरा समय उस पर दे। तीसरी चीज यह होनी चाहिए कि नई और उपयुक्त तकनीक हो जिससे अधिक से अधिक लाभ कम से कम खर्च में मिल सके। चौथी बात होगी संगठन में परिवर्तन। जो औद्योगीकरण पालिसी का ढांचा है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस देने के लिए समयबद्ध लिमिट होनी चाहिये। जो कृषि उत्पादन उद्योग लगाना चाहे उसको 20-25, 30 दिन में लाइसेंस स्वतः मिल जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त करों में पूरी छूट होनी चाहिए। ऐसे उत्पादन पर जो कृषि पर आधारित हैं हम जानते हैं गांव में गरीबी है, गांव से पैदा होने वाली चीज हैं हम उसका उद्योग में प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर कर

[श्री जयदीप सिंह--]

नहीं लगना चाहिए और यही नहीं मेरे विचार से उससे उत्पादित वस्तुओं पर भी कम से कम कर होना चाहिए। कर लगाने की वृत्ति हर सरकार की ऐसी रहती है जैसे कोई मुर्गी सोने का अन्डा देती हैं तो उसका पेट चाक कर दो और सोने के अन्डे ले लो।

मेरा सुझाव हैं कि पहले आप मुर्गी को बड़ी होने दीजिए उसके बाद अन्डे लीजिए। पहले उन उद्योगों को पनपने का मौका तो दीजिए। दूसरे जो चीज इन उद्योगों से पैदा हो वह बेचने के लिए प्रदेश में जगह-जगह पहुंचाने के लिए सरकार ढाचा खड़ी करे। हमारे प्रदेश की जो जलवायु हैं जो भूमि हैं जो भूमि उपलब्ध हैं और जनशक्ति बेरोजगार हैं इन तीनों को सम्मिलित कर लें तो वह एक कामधेनु हो जाय, जिससे हमारे प्रदेश की फैक्ट्रियों के लिए हर चीज प्रदेश में हो सकती है और इससे हमारे प्रदेश की जनता आगे बढ़ सकती है। तो मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने विचार रखते समय इन बातों में कोई और इजाफा करना हैं तो उन बातों को रखने की कृपा करें।

*श्री बलबीर सिंह (जिला रामपुर)--

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं जो आपने मुझे जयदीप सिंह जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव, "इस सदन का यह निश्चित मत हैं कि इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिये औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय" पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश को बढ़ाने के लिये, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के साथ आवागमन के साधन वगैरह होने चाहिये और उसी के साथ-साथ उर्जा का फैलाव होना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य की बात हैं कि 35 वर्ष इस देश को आजाद हुये हो गये जिसमें से 33 वर्ष इस मूर्ख मंडल का राज्य रहा। मान्यवर, न लोगों को शिक्षित कर सके न गांवों में सड़कें दे सके और न बिजली दे सके न कुटीर उद्योग दे सके न लघु उद्योग दे सके। मान्यवर, हमारा प्रदेश कंगाल से कंगाल होता चला जा रहा है। अफरशाही के चंगुल में फंसी सरकार गांवों की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। जो आंकड़े माननीय बरार जी ने रखे हैं उनसे मैं शतप्रतिशत सहमत हूं। दुनियां में एक छोटा सा देश जापान हैं। वहां पर बड़े से बड़े ढ़ाई एकड़ के किसान हैं लेकिन उनको कृषि उत्पादन का मूल्य लागत के अनुसार दिया जाता हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटे चावल का दाम कृषकों को साढ़े 13 रुपये दिया जाता हैं। वहां 3 फसलें होती हैं और ढाई एकड़ में साल भर में लागत से 1 लाख रुपये मिलते हैं।

श्री हरदेव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

35 साल बीत जाने के बाद हमारी सरकार कृषि उत्पादन का मूल्य लागत के अनुसार नहीं दे सकी है। गन्ने का मूल्य साड़े 21 रुपये तथा 18 या 19 रुपये दिया जाता है लेकिन चीनी का मूल्य हजारों रुपये क्विन्टल होता हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरदेव—

माननीय सदस्य ने कहा कि 35 वर्ष तक मूर्ख मन्डल का राज्य रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। यह ठीक नहीं है यह वापस लें अगर वापस नहीं लेंगे तो 33 वर्षों में चौथे मूर्ख यह हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आपने व्यवस्था का प्रश्न क्या उठाया ?

श्री हरदेव—

मूर्ख शब्द का जो प्रयोग माननीय सदस्य ने किया है उसको हटाना है।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

पूंजीपतियों के तलवे चाटने वाली यह सरकार आज तक प्रदेश के किसी भी गांव में नहीं जा सकी है और न ही गांव वाले आज तक यह महसूस कर सके कि आजाद हुये भी हैं या नहीं। अज तक हम अपने आपको बुद्धि के आधार पर गुलाम समझते हैं और भले ही हम शारीरिक तौर पर आजाद हो गये हैं। इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए और खासकर गांव वालों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और उसके लिए रहने के मकान, पहनने के कपड़े, रोजगार, कुटीर उद्योग लघु-उद्योग, सड़कें कारखाने व कल-कारखाने भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन दुःख तो यह है कि इन 35 वर्षों में पूंजीपतियों से मिलकर सांठ-गांठ करने वाली यह सरकार गांव की ओर पीछे मुड़कर देखा तक नहीं है। पिछले दो ढाई वर्ष के जनता सरकार के समय सड़कों का एक जाल सा बिछ गया था। लेकिन आज इस सरकार द्वारा कहने को तो बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ कागज पर माननीय मंत्री जी ने जो 54 लाख रुपया लिया है उसमें से 50 लाख रुपया तो सड़कों की मरम्मत किलो आधा किलो मीटर सड़क के लिए लिया है और 4 लाख रुपया गांव की सड़कों के निर्माण के लिए रखा, जो नहीं के बराबर है, इससे गांवों की सड़कों का भला होगा। मान्यवर सबसे पहले प्रदेश में शिक्षा की आवश्यकता है, ऊर्जा, कारखाना और कल-कारखानों, सड़कों व पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। इस लिए इस मन्त्री-मन्डल को फिर सुझाव देता हूं कि गांवों के विकास की ओर ध्यान दें। माननीय बरार जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बरार साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही अहमियत रखता है और इस पर गहराई से विचार किये जाने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह—]

आवश्यकता है । मैं बहुत ही मुखतसर में निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो माननीय बरार साहब ने बेरोजगारी की समस्या की तरफ इशारा किया है इसमें सन्देह नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या प्रदेश की बहुत ही बड़ी समस्या है किसी ने सच ही कहा है कि "दि बेस्ट डिफनीशन दिहेल, इज टु रिमेन आईडिल ।" यानी आदमी बेरोजगार रहे और उसके पास कोई काम न रहे । तो उस समस्या का हल कैसे किया जाए । इसका हल तभी सम्भव हो सकेगा, जब कि प्रदेश के जन-साधारण के सभी लोग सहयोग करके कोई उपाय निकालें । अपने प्रस्ताव में जो बरार साहब ने बात रखी है की "प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दिया जाए" । इससे उनका मतलब है कि बहुत बड़ी सामाजिक व आर्थिक नीति हल हो सकता है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है । जहां दुनिया में बहुत सी तबदीलियां आ गयी हैं, जो वास्तव में बहुत बड़ी तबदीलियां हैं । पन्द्रहवीं और चौदवीं शताब्दी की दुनिया आज नहीं रह गयी है । इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ मशहूर राईटर्स की बातें रखना चाहता हूं ।

कार्ल मार्क्स ने कहा था—

"देयर इज ब्यूटीफुल यूनियन विटवीन एग्रीकल्चरल परस्यूट ऐण्ड मैनुफक्चरिंग प्रोसेस इन इन्डिया ।"

यह उसने कहा कि बहुत ही अच्छा समन्वय है इन दोनों चीजों—मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेश और एग्रीकल्चरल परसूट में हुआ क्या कि बहुत पहले हमारे यहां बहुत से ऐसे सामान बनते थे, जिसमें कि 40 प्रतिशत लोग उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए थे । यही नहीं दादा भाई नौरोजी और आर० सी० दत्त का मत है कि 1823 तक हमारी प्रक्रिया यह रही है कि 40 प्रतिशत लोग इस काय में लगे थे और बहुत सा सामान बाहर जाता था जसे—चादर, गलीचा, कारपेट, इम्ब्रायडरी, धागा, मलमल, ज्वेलरी का मामान आदि बहुत कुछ बाहर जाता था । लेकिन धीरे-धीरे जब अंग्रेजो साम्राज्य स्थापित हुआ, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह सामान यूरोप तक यूनाइटेड किंगडम तक जाता था, बहुत अच्छा पैसा भी मिलता था, जिससे कि आर्थिक सम्पन्नता थी । ब्रिटिश साम्राज्य कायम हुआ । उन्होंने देखा कि हमको रा मैटेरियल की जरूरत है । उन्होंने इतनी हैवी ड्युटी लगायी कि अर्थ-व्यवस्था बिखर गयी । लोग मजबूर होकर खेती-बारी में चले गये, नतीजा यह हुआ कि वह हिसाब छूट गया । ज्यादातर लोग खेती-बारी पर निर्भर ही गये । किसी ने यह भी कहा है कि—'एग्रीकल्चर इज दि मदर आफ इन्डस्ट्री, एग्रीकल्चर या कृषि के माध्यम से ही इन्डस्ट्री बढ़ सकती है । वह तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी एक सीमा है । एग्रीकल्चर के भरोसे ही आर्थिक सम्पन्नता नहीं ला सकते हैं, जो कि पश्चिमी देशों ने हासिल की है । जिनके पास अच्छा इन्तजाम है, वह दूसरी बात है लेकिन ज्यादातर लोगों के पास छोटे-छोटे खेत हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । अमेरिका में 60 प्रतिशत से कम लोग खेती-बारी का काम करते हैं, विस्तृत अनुसंधान होते रहते हैं, 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और दूसरे स्थानों पर लगे हुए हैं ।

यही बात जापान में है, लेकिन भारत में 74-75 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं, थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग में और बाकी सर्विस पर आधारित हैं । 15-20 वर्ष पूर्व जापान में भी यही हालत थी, जो हमारे यहां है । अब हाल बिल्कुल उलट गया । थोड़े लोग खेती पर जाते हैं, बाकी लोग उद्योग में,

बड़े उद्योग, छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं। इसके कारण उनकी आर्थिक सम्पन्नता बहुत हद तक आ गयी। एक विचारधारा यह भी है कि जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो यह विचारधारा आयी कि "गो वेस्ट", बिल्कुल पश्चिमी देशों की अर्थ-व्यवस्था की नकल करनी चाहिये, उसी से आर्थिक सम्पन्नता आ सकती है। एक विचारधारा यह थी कि नहीं खेती पर निर्भर करके कुटीर उद्योग लगाकर आर्थिक सम्पन्नता ला सकते हैं। एक विचारधारा यह थी कि नहीं तीनों का समन्वय होना चाहिये। एग्रीकल्चर का आधुनीकरण करना चाहिये। छोटे उद्योग कुटीर उद्योग भी लगाये जाने चाहिये और बड़े प्लान्ट भी लगाये जाने चाहिये। ऐसी सम्भावना होनी चाहिये कि इसके माध्यम से हम बेरोजगारी को दूर कर सकें और पश्चिमी देशों की तरह भौतिक लाभ उठा सकें। अभी हमारी कोई एक लाइन नहीं है जिस पर कि आप चल सकें। आप यदि सोचते हैं तो हम सोच कर क्या कर लेंगे ? क्या केवल एग्रीकल्चर से आर्थिक सम्पन्नता हासिल कर लेंगे ? नहीं, उद्योग लगाने के लिये भी रा-मेटिरियल की आवश्यकता होगी जिसमें कृषि थोड़ा बहुत सहायक होगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस तरह से मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रकार की आप अपेक्षा करते हैं, वह स्थिति कभी नहीं आ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य क्या आप अभी अपना भाषण और जारी रखेंगे ?

श्री लाल प्रताप सिंह--

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--

अब 5 बज गये हैं। अब आप अगले असरकारी दिवस पर अपना भाषण चलाते रहियेगा। अब हम दूसरे आईटम को ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982

सचिव विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1982 को पारित किया गया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 अगस्त, 1982 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1982 को पारित किया गया था तथा जो उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 24 अगस्त, 1982 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982

[5 बजकर 3 मिनट]

*कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक: 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, सामान्यतः सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि एक लाईन से उन्होंने अधिनियम को पारित किया था और उसको कौन्सिल में रखा गया तो इत्तिफाक से वहां सत्रावसान हो गया । वहां पर इस बार उसे रखा गया और एक मामूली सा संशोधन आप देखेंगे जो एजेन्डे के पिछली तरफ दिया है जिससे केवल उस अधिनियम को निरस्त करने के बारे में कहा गया है ।

सम्मानित सदस्य भली प्रकार से जानते हैं कि हमारा मन्डी ऐक्ट 1964 में पारित हुआ और 1965 में इसके रूल्स बने थे और एक चुनाव की प्रक्रिया उसमे धारा 13 में बताई गयी थी । धारा 14 में स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया गया था मन्डी समिति के सदस्यों का नामांकन करके समिति का गठन कर सकते हैं । 1965 से 1971 तक वह प्रक्रिया चलती रही । उसके बाद उसमें फिर संशोधन आया और 1977 तक वह अधिकार, जो मन्डी समिति को दिये गये थे, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कर दिये गये । 1977 में फिर एक अमेन्डमेन्ट आया और तत्कालीन सरकार ने कलेक्टर के हाथ से यह अधिकार निकाल कर तीन सदस्यों की एक एडहाक कमेटी नियुक्त कर दी । जब वह ऐक्ट की शक्ल में यहां आया तो यह हुआ कि तीन सदस्यों के बजाय 7 सदस्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की कमेटी बना दी जाय और यह प्रक्रिया 1980 तक चलती रही और लगभग 1980 तक वह प्रक्रिया चालू रही, 1980 में फिर उसमें संशोधन आया और उनके जरिये जिला मैजिस्ट्रेट को पूरा पावर दे दिया गया कि वही उसका काम चलावें उस समय तक जब तक कि नये चुनाव हो जायं ।

मान्यवर, इस सरकार का विचार था कि जितना जल्दी हो सके मंडी समितियों का चुनाव करा दें लेकिन एलेक्टोरल रोल में ब्लाक प्रमुखों का भी होना जरूरी है, उसमें जिला परिषद् अध्यक्ष का होना भी जरूरी है और बहुत सी प्रक्रिया अभी शेष हैं जिनका चुनाव से विशेष सम्बन्ध है । अभी-अभी ग्राम सभाओं के चुनाव समाप्त हुए हैं । बी० डी० सी० के चुनाव भी अभी तक नहीं हो पाये, जिला परिषदों का भी चुनाव होना अभी सम्भव नहीं लगता । सम्मानित सदस्य देखेंगे कि यह संशोधन केवल फार्मल है । 5 मार्च, 1982 तक जो अवधि थी उसको 5 मार्च, 1983 तक बढ़ाया गया है नोटिफिकेशन के जरिये, केवल उसके कौन्सिल करने की बात है ।

*श्री हुकम सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार के होते हुए किसी मंडी समिति का गठन हो पायेगा या किसी बी० डी० सी० का गठन हो पायेगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके होते या इस सरकार के ?

श्री हुकम सिंह---

इस सरकार के होते । इस सरकार के रहते हुए तो लोकतंत्र को भी खतरा है । जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी खतरा है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि थोड़ा बहुत आपका विश्वास लोकतंत्र में बचा हुआ है और जनता राज से दो-तीन साल के अन्दर कुछ सीखा है तो कम से कम एडहाक कमेटी का ही गठन करा दिये होते, लेकिन ऐसा न करके आपने सारा अधिकार जिला अधिकारियों में ही निहित कर दिया । फिर क्या जरूरत थी कि मंडी समिति ऐक्ट को पास कराया जाता । मंडी समिति चलाने के लिये आपको एक मौका दिया गया लेकिन परगनाधिकारियों ने टाउन एरियाज, नोटिफायड एरियाज व अन्य जगहों पर किस तरह से मंडी समिति के फंड का दुरुपयोग किया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय हुकम सिंह जी, क्या आप अमेन्डमेन्ट के विषय पर बोल रहे हैं ।

श्री हुकम सिंह---

अमेन्डमेन्ट पर ही बोल रहा हूं । मुझे कोई ज्यादा भाषण देने की आदत नहीं है मान्यवर । आप जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं उसी पर बोल रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष जी, मंडी समितियों में जितना भ्रष्टाचार है उसके बारे में माननीय मंत्री जी को भलीभांति जानकारी होगी । मेरे यहां मुजफ्फरनगर और शामली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकम सिंह]

में अधिकारियों द्वारा दूकानों के आबंटन में जिस तरह की धांधली हुई है कम से कम उसकी जांच करा ली जाय तो सही-सही पता लग जायेगा। दूकानों के निर्माण में सरकारी खजाने का पैसा लगा और परगनाधिकारी ने पैसे ले लेकर तमाम लोगों को दूकानें आवंटित कर दी और जिनको सही तरीके से दूकान मिलना चाहिये था वे उससे वंचित हैं।

श्री यशपाल सिंह--

मैं सम्मानित माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे केवल विषय पर ही बात करें, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है उसको दूसरे समय पर कहें तो मैं उसको सुनने को तैयार हूं और उसका निराकरण भी करने को तैयार हूं।

श्री हुकम सिंह--

आप तैयार हों या न हों, हमें उसकी चिन्ता नहीं है क्योंकि आप तो तैयार किसी भी काम के लिये हैं नहीं। आप कम से कम इस बात के लिये तैयार हो जायें कि जो हम कह रहे हैं उस पर आप विचार कर लें। हमने लिखकर भी आपको दिया है, आपको अभी समय लगेगा अपने विभाग को ठीक करने में आप विचार कर लें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो बैठे हैं, बहुत दिनों से यह अपने विभाग में उलझे हुये हैं, ठीक नहीं कर पाये। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि आप चुनाव की प्रक्रिया जल्दी ही लागू करें, जन प्रतिनिधियों को मंडी कमेटी में बिठायें क्योंकि जन प्रतिनिधि कितना ही निष्क्रिय क्यों न हो, वह आपके परगना अधिकारी से अच्छा काम करेगा। आप खुद उस तबके से आते हैं जिनका काम मंडी समिति से पड़ता है।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के लिये यह बड़े ही लज्जा की बात है (व्यवधान हंसो) बड़े ही शर्म की बात है कि इस माननीय सदन ने 5 मार्च, 1982 तक का समय दिया था और उस समय तक आप चुनाव नहीं करा सके और अब जब काउन्सिल में अमेंडमेंट आया तो उसके आधार पर आप 5 मार्च, 1983 करने की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान) पहले तो बहाना था ग्राम सभाओं के चुनावों का अब तो वह नहीं है। यह बदकिस्मत विधेयक सन् 1963 में पास हुआ और आज सन् 1983 आने जा रहा है, आप चुनाव नहीं करा पाये। इतने समय में तो जो बच्चा उस समय पैदा हुआ वह भी बालिग हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसके आगे आप समय नहीं बढ़ायेंगे। आप कोई ऐसी कमेटी ही गठित कर दें तब तक के लिये जिसमें विधायक हों, जिला परिषद् के सदस्य हों, और लोग जिनको आप चाहते हैं रख दें, ताकि जब तक चुनाव न हो सकें, यह कमेटी काम करे और जिलाधिकारियों के प्रशासन से यह मुक्त हो।

*श्री बलवीर सिंह (जिला रामपुर)--

मान्यवर, 20 वर्ष हो गये और यह सरकार नियम नहीं बना सकी, यह अफसरशाही की एक जिन्दा मिसाल है। हमारे मंत्रीगण के पास समय ही नहीं है जो यह काम करवा सकें। अधिकारी जो लिख कर देते हैं उसे पढ़ देते हैं या सदन के पटल पर रख देते हैं और यहां पर 'हां' या 'नहीं' कहलवा लिया जाता है और काम खत्म हो जाता है। मान्यवर, रामपुर जनपद का 50 लाख रुपया मंडी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति का अभी तक डायरेक्ट्रेट में पड़ा हुआ है, जिसे कि सड़कों पर लगना चाहिय था, गांव में पुलियों के निर्माण पर लगना चाहिये था। वह यहां पड़ा-पड़ा राज्य सरकार को दूध दे रहा है। राज्य सरकार उसे हथियाना चाहती है। मंत्री जी भले ही कांग्रेस के जन प्रतिनिधि को नामिनेट कर दें, पता तो चले कि कितनी त्रुटियां हो रही हैं, क्या भष्टाचार हो रहा है। जैसा हुकम सिंह जी ने बताया, अपने जिलाधिकारी को अधिकार दे दिया और जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को अधिकार दे दिया। अब परगनाधिकारी नालियों की सफाई भी करायेगा, सड़कें भी बनवाएगा, टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी भी देखेगा, सब काम करेगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन को आश्वासन दें कि यह मार्च, 1983 तक इसके रूल्स बनाकर इस सदन के पटल पर रखेंगे। यह भी आश्वासन दें कि जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर उनको वहां भेजेंगे और मंडी समितियों में जो भष्टाचार हो रहा है उसको मिटाने के लिये कार्य करेंगे। मैं यह भी चाहूंगा कि रामपुर जनपद का जो 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है उसे वहां के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और पुलिया बनाने के लिये भेजें।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, जब 1963 में मंडी समिति अधिनियम बनाया गया था तो यह ख्याल था कि जल्दी ही मंडी समितियों का गठन हो जाएगा और मंडी यार्ड बन जाएगा, मंडी शुल्क वसूलकर उससे काम होने लगेगा। आज मंडी शुल्क तो जरूर वसूल हो रहा है लेकिन उससे सरकारी कर्मचारियों की जेबें भर रही हैं और आज तक इसके रूल्स नहीं बन पाये। बदायूं में भी यही हालत है कि सफेद हाथी की तरह एक बहुत बड़ा मंडी यार्ड बना दिया गया है, वहां जानवर लौट रहे हैं। डी0 एम0 और एस0 पी0 के बंगले के सामने यह यार्ड बना हुआ है। सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि इसके रूल्स फ्रेम करने के बाद मंडी समितियों का पूरी तरह से गठन कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में किसी ऐक्ट में ऐसा नहीं हुआ है कि ऐक्ट बने हुए 20 वर्ष हो गए हैं लेकिन उसका स्प्रिट को आज तक लागू नहीं किया गया। 1963 में एक मंडी समिति बना दी गई और कुछ सदस्य नामिनेट कर दिये गये और उसके बाद से सरकारी आदमी ही उस पर हावी हैं। डी0 एम0 तो अंग्रेज के जमाने में रूल करता था, उसको आपने रूलर बना दिया है और वह जो चाहता है वह करता है। मंडी समिति, टाउन एरिया, जिला परिषद् सब उसके नीचे हैं और चुने हुए प्रतिनिधि उसका मुंह देखते रहते हैं। यदि आप मंडी समितियों को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आप उसका गठन कर दीजिये और अगर उस वक्त तक गठन नहीं करते हैं तो कोई ऐसा इंतजाम कर दें जिससे वह इफेक्टिव बन सकें। जैसा कि बलबीर सिंह जी ने कहा कि रामपुर का 50 लाख रुपया यहां पड़ा हुआ है, बदायूं का तो उसके दुगुने से भी ज्यादा रुपया पड़ा है वह रुपया न मालूम कहां जा रहा है। इसका इन्तजाम आपको करना है तो मंडियों को रेगुलेट करना होगा। आप पहले रूल्स बनवे ताकि चुने हुए लोग आवे। अगर नामिनेटेड बाडी रखना चाहते हैं तो सभी को समाप्त कर दीजिए। सब काम इशारे पर होता है।

निगाहों से छुपकर कहां जाइयेगा।

जहां जाइयेगा वहीं पाइयेगा॥

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो सम्मानित सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, उसके बारे में दो शब्द कहते हुए केवल अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने शायद यह समझा कि नया ऐक्ट लाने जा रहे हैं। इस ऐक्ट को पारित कर चुके हैं आप। केवल एक संशोधन है जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसको निरस्त करने की बात है। जिसको सम्मानित सदस्यों ने पारित किया था वह लागू हो गया है लेकिन बीच में हमारे सम्मानित सदस्यों ने कुछ शर्म की बात दिलायी, लज्जा की ओर ध्यान दिलाया, मैं उस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं इसमें कोई शक नहीं है कि सन् 1964 से यह ऐक्ट पास हुआ है और अभी तक उसके चुनाव नहीं हो पाये हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ केवल मुजरिम इधर के बैठने वाले ही लोग नहीं हैं। यह मौका सम्मानित सदस्यों को भी मिला था। उन्होंने भी कोई नयी बात करके नहीं दिखायी। अगर मुजरिम हैं तो दोनों ही हैं। मैं इसको कबूल करता हूं। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसके चुनाव करा दिए जाये लेकिन सम्मानित सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है कि एक तदर्थ समिति बना दी जाये, तो मैं उसी की कद्र करता हूं और उस पर विचार करके जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाये अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1982 सन् 1982

"3--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, और अपवाद एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982

(5 बजकर 31 मिनट)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय पुनः अधिनियमन तथा संशोधन अधिनियम 1974 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक इस सदन में 16 फरवरी, 1982 को पुरः स्थापित किया गया था एवं 5 अप्रैल, 1982 को विचार के लिये प्रस्तुत किया गया था । तत्पश्चात् यह विधेयक उसी सत्र में विधान परिषद् के सामने रखा गया । मान्यवर, वहां पर एक अल्प संशोधन के साथ आपकी कृपा से वह पारित हुआ । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक जब इस सदन में 5 अप्रैल, 1982 को पारित किया गया था उसका उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में दो संशोधन प्रस्तावित हैं । एक तो अधिनियम की धारा 50 में राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों के परिनियम बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार 21 दिसम्बर, 1982 तक प्राप्त था ।

मान्यवर, इधर हमारे विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है और उनके विकास की गति को दृष्टिगत रखते हुए परिनियमों में संशोधन भी किया गया लेकिन अभी परिनियम बनाने का कार्य पूरा नहीं हो सका है इसीलिए यह विधेयक रखा गया । परिनियम सरकार के माध्यम से बनाने का अधिकार सरकार को 31 दिसम्बर, 1982 तक कर दिया जाय इसी प्रकार जो दूसरा संशोधन अधिनियम की धारा 73 में प्रस्तावित है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीया आप पढ़ रही हैं या भाषण दे रही हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो 73 वीं धारा है उसके अनुसार भी सरकार को अधिकार 31 दिसम्बर, 1982 तक दिया गया है । कुछ दिन हुए यह विधान परिषद् में पारित हुआ और उसमें एक छोटा सा संशोधन किया गया जो आपके समक्ष है । उसमें जरा गौर करें लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । तो इसमें यह शब्द "द्वितीय" लाने की आवश्यकता पड़ी । वह इसलिए पड़ी कि पहले केवल एक अध्यादेश निकला था लेकिन बीच में विधान परिषद् कुछ समय के लिए निलम्बित हो गयी तो वहां पर यह विधेयक पारित नहीं हो सका इसलिए यह द्वितीय अध्यादेश करना पड़ा । इसी कारण से यह संशोधन किया गया है । यह एक औपचारिकता है और मैं आशा करती हूं कि जो विधेयक हमारे सामने यहां पास हुआ था और उसमें एक छोटा सा संशोधन करके विधान परिषद् में पारित हुआ है । इस पर विचार किया जाय और पारित किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन—

एक प्वाइंट केवल कहना चाहता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे तो पता नहीं लगा कि यह क्या चाहती हैं इसलिए किस चीज का विरोध किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

संभव है उन्होंने यह जाना हो कि एजडा में जो दिया है उसको आपने जरूर पढ़ा होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार एडमिनिस्ट्रेटर का समय दो साल से एक साल और बढ़ा रही है तो कृपा करके उससे ज्यादा समय न बढ़ायें उसके अन्दर ही मैनेजमेंट की स्थापना कर दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अब बात हुई, पहले तो यह मुझे कंप्यूजन करने के लिए कह रहे थे लेकिन मैं आपकी छत्रछाया में मैं कंप्यूजन होने वाली नहीं हूं । रियासत साहब से ट्रेनिंग ले रही हूं । तो इनके पहले प्रश्न का उत्तर तो यह हुआ । दूसरा यह कि इसमें केवल 'द्वितीय' शब्द रखा गया है जो कि इस वजह से किया गया क्योंकि दुबारा अध्यादेश जारी हुआ था जिसे आप सब जानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 5

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, सन् 1982 निरसन और अपवाद

'5--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या धारा 4 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । इसमें से एक सूचना सर्वश्री रियासत हुसैन, रामगोविन्द अकबर हुसैन द्वारा दी गई थी जो कानपुर जनपद के थाना चौबेपुर के ग्राम मनुटला में एक मकान के गिर जाने से सात व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में है, स्वीकार किया है और शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि 30 तारीख को उनके द्वारा इस पर वक्तव्य आ जाएगा ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, ठीक है, रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष --

बाकी सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं ।

आचार्य विनोवा भावे की शिष्या कु0 मधु को आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी एवं दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26–7–82 को श्री रविन्द्र कुमार पारिख ने थाना हरिपर्वत पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उसी दिन उनको करीब 90–100 अभियुक्तों ने खन्दारी बापू नगर में घेर लिया था और उनको मारा व हाथ की घड़ी, सोने की जंजीर, फाउन्टेनपेन तथा रु0 315 लूट ले गए । वादी की सूचना पर अपराध संख्या 473 धारा 147/323/395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । इस अपराध में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्य श्री अनल सहित 9 व्यक्तियों को नामजद भी किया गया था ।

दिनांक 27–7–82 को इस अभियोग की विवेचना के सम्बन्ध में पुलिस पार्टी द्वारा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यालय पर दबिश दी गई । श्री अनल व इस अपराध के अन्य नामजद अभियुक्तों की तलाशी लेते समय वहां पर मौजूद कुछ अभियुक्तगण तथा कुमारी मधु सहित अन्य कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पर लोहे की छड़ों आदि से एकदम से हमला कर दिया जिससे कुछ पुलिस कर्मियों के चोटें भी आईं तथा घायल स्थिति में उनको सिविल अस्पताल, आगरा में भर्ती किया गया । मौके से कुमारी मधु के अलावा इस अभियोग से सम्बन्धित 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में अपराध संख्या 476 अन्तर्गत धारा 147/353/332/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

कु0 मधु को उसी दिन अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया शेष अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया ।

कुमारी मधु द्वारा उनके साथ किए गए तथाकथित दुर्व्यवहार की घटना के सम्बन्ध में कोई लिखित रिपोर्ट किसी थाना, पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई । कुमारी मधु की जमानत के सम्बन्ध में न्यायालय में उनके अभिवक्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना–पत्र में भी कुमारी मधु के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया था, फिर भी कुमारी मधु के साथ किए गए दुर्व्यवहार की तथाकथित आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है । अपराध संख्या 473 तथा अपराध संख्या 476 की विवेचना भी अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है ।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह असत्य का पुलिन्दा है, इसमें सत्य के सिवाय सब कुछ है । पूरे कानपुर नगर में एक आपराधिक गिरोह है जो, जहां पर खाली जमीन होती है, वहां पर घर बनवा देता है । खन्दारी बापू नगर में पूज्य महात्मा गांधी और डाक्टर भीमराव अम्बेदकर की मूर्तियां स्थापित थीं । कुछ लोगों ने उन मूर्तियों को गिराया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यालय पर कितने बजे दबिश दी गई । मेरी जानकारी है कि वे लोग वहां पर रात में 11 बजे गए जबकि जो वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सोने वाले थे उनको मारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पीटा धमकाया और उनका सारा सामान उठा ले गए । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिस स्थान पर महिलायें हों, वहां पर बिना महिला पुलिस के दबिश दी जा सकती है और वह दबिश कितने बजे दी गई थी ?

[इस समय 5 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।]

श्री गुलाब सेहरा--

रात्रि के करीब 4 बजे यह दबिश दी गई थी । दूसरे प्रश्न का जहां तक सवाल है चूंकि किसी महिला की गिरफ्तारी का वारन्ट नहीं था, इसलिए महिला पुलिस की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या शासन को किसी सूरत से कोई सूचना मिली है कि जिस जगह पर 3 बजे या 2 बजे दबिश दी गई, वहां पर बारिश होने के कारण जो पास में गरीबों की झोपड़ियां थी, टपकने के कारण से सब लोग छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के दफ्तर में, जिसमें महिलायें भी मौजूद थीं, उन्होंने एतराज किया जिसमें कुमारी मधु भी थीं, कि बिना महिला पुलिस के आप नहीं आ सकते ?

श्री गुलाब सेहरा—

वहां पर कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी महिला की गिरफ्तारी का वारन्ट नहीं था, इसलिए महिला पुलिस साथ में होने का प्रश्न नहीं उठता ।

*श्री फखरे आलम--

माननीय मन्त्री जी का कहना है कि पुलिस ने वहां पर 4 बजे प्रातः दबिश दी जबकि हमारी सूचना यह है कि 1 1/2 या 2 बजे दबिश दी और यह भी कहा कि जब किसी महिला की गिरफ्तारी का वारन्ट नहीं था तो महिला पुलिस होने का प्रश्न नहीं उठता । अगर आपको कोई डिस्ट्रेस की कार्यवाही करनी होती है तभी दबिश दी जाती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि 3 बजे या 4 बजे दबिश देने की क्या जरूरत थी । अगर कोई मुल्जिम भागने वाला हो तो इस बात की जरूरत होती है कि अगर दबिश की कार्यवाही दिन में करेंगे तो वह बेकार हो जायेगी । ऐसी कोई चीज मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं कही । दूसरी बात माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि वहां पर मधु सहित कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पर लोहे की छड़ों आदि से एक दम हमला कर दिया जिससे कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गये, उनके चोटें आयीं । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी इन्जरी रिपोर्ट क्या है और उनकी नेचर क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, प्रश्न तो आखिर में ही है, उसे ही बता देता हूं । दो पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं जिसमें मोहन सिंह, निरीक्षक, थाना हरी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुलाब सेहरा—]

पर्वत और पी० एम० चौधरी, उप निरीक्षक, थाना इतमादुद-दौला की चोटों का उल्लेख है । मोहन सिंह की चोट में (1) फटा हुआ जख्म माथे पर बाईं तरफ बाईं आंख के ऊपर जिससे खून बह रहा था रु० 4.00 सी० एम० गुणे 0-5 सी० एम० । (2) सर पर सामने चोट के कारण सूजन 8-00 सी० एम० गुणे 2-00 सी० एम० । (3) बायें हाथ के पीछे हिस्से में चोट का नीलगू निशान 5-00 सी० एम० गुणे 2-00 सी० एम० । (4) बायें हाथ कें बीच उंगली के पीछे चोट के कारण सूजन 4-00 सी० एम० गुणे 3-00 सी० एम० (5) बायें हाथ के पीछे हिस्से में चोट के कारण सूजन 3-00 सी० एम० गुणे 3-00 सी० एम० । श्री पी० एम० चौधरी, उप निरीक्षक की चोट इस प्रकार हैं--(1) सर पर बायीं तरफ फटा हुआ जख्म जो बाई आंख के ऊपर था और जिस पर खून जमा हुआ था और कुछ बह रहा था । 3-00 सी० एम० गुणे 0-5 सी० एम० ।

श्री फखरे आलम--

यह बातें बिलकुल मामूली है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए ।

*श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में यह कहा गया कि कुमारी मधु को कोई चोट नहीं आई । श्रीमन् कुमारी मधु आई हुई हैं, वह प्लास्टर लगाए हुई हैं । वह चल नहीं सकती । वह दिल्ली गई भी नहीं । वह खुद माननीय मुख्य मंत्री से मिलीं, तो कुमारी मधु को माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं देखा कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारा-पीटा । श्रीमन् उनको पुलिस द्वारा मारा-पीटा गया था । श्रीमन् मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको इस बात की सही जानकारी है कि नहीं कि पुलिस ने कुमारी मधु को मारा-पीटा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने कहा कि कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को या एस० एस० पी० को पुलिस के इस प्रकार के किसी व्यवहार का कुमारी मधु ने नहीं दिया है और न न्यायालय में ही कोई प्रार्थना-पत्र दिया ।

श्री मोहन सिंह—

यह तो मान्यवर, स्वयं उसमें पार्टी हैं । इनको तो कायदे से उत्तर ही नहीं देना चाहिए । ये कालोनाइजर से मिले हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनको उत्तर देने दीजिए ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मोहन सिंह ने मंत्री जी पर यह आरोप लगाया है कि वह स्वयं उसमें पार्टी है और कालोनाइजर से मिले हुए हैं । मान्यवर, मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह पद्धति ठीक है ।

श्री मोहन सिंह--

यह तो सच्चाई है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं, अगर उनके ऊपर कोई आक्षेप है, तो वह खुद जवाब दे सकते हैं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह स्पष्ट किया कि 27 तारीख को मोहतरमा मधु गिरफ्तार हुई और उसी दिन जमानत हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मोहतरमा मधु की डाक्टरी कब हुई और वह डाक्टरी सरकारी अस्पताल में हुई या प्राइवेट डाक्टर के द्वारा हुई ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह घटना 27 तारीख की थी । इसके ठीक 10 दिन बाद मधु की डाक्टरी प्राइवेट डाक्टर सरीन द्वारा 5-8-82 को की गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुमारी मधु लखनऊ आयी थीं हम लोग मिलने गए थे वह मुख्य मंत्री जी से मिली थी और कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो बतायेंगे कि क्या बातें ज्ञापन में हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन दिया है वह मेरे पास नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

जो घटना घटी है यह एक भारी षड़यंत्र है शासन के खिलाफ इसको अखबारों में छापकर बवाला बनाया गया है । जिस प्लाट पर बाबा अम्बेदकर की मूर्ति लगाने और झगड़े की बात कही गयी है जाटव धोबी बनाम लज्जाराम क्या इन लोगों ने कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

लज्जाराम का प्लाट है । जाटव और धोबी ने इस पर बाबा अम्बेदकर और महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की बात की लेकिन एफ0 आई0 आर0 किसी ने नहीं लिखाया । एफ0 आई0 आर0 छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के व्यक्तियों द्वारा लिखाई गई कि बाबा अम्बेदकर की मूर्ति को खंडित करके तथा महात्मा गांधी की मूर्ति गायब कर दी गयी है ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह जैसे थर्डग्रेड वकील होते हैं कहते हैं। जमानत में यह नहीं कहा वह नहीं कहा उसी तरह से माननीय मंत्री जी ने थर्डग्रेड उत्तर दिया है।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

थर्डग्रेड प्रश्न थर्डग्रेड उत्तर। आप प्रश्न बना नहीं पाए।

श्री हुकम सिंह—

आपने अपने वक्तव्य में पैरा 2 में लिखा है कि 27-7-82 को दबिश दी गई। उससे पहले एफ0 आई0 आर0 395 की आपने कहा है। इसमें क्या कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया है और क्या यह जानकारी दी गई थी वह लोग फलां जगह सो रहे ह जो पुलिस ने दबिश दी ?

श्री गुलाब सेहरा—

किस एफ0 आई0 आर0 की बात कर रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

जो 473 में लिखाई गई है। इसमें किसी को नामजद किया गया था और निशानदेही की गई थी कि वह लोग फलां जगह सो रहे थे ?

श्री गुलाब सेहरा—

9 व्यक्तियों को नामजद किया गया था।

श्री हुकम सिंह—

जो नामजद किए गए थे उनके बारे में क्या यह कहा गया था कि वह फलां जगह हैं या नहीं ? पुलिस ने जहां महिलाये सो रही थीं वहीं पर चढ़ाई कर दिया।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, अनल मुख्य अभियुक्त है और यह छात्र संघर्ष वाहिनी का पदाधिकारी है। यह ज्यादातर दफ्तर में रहता है इसलिए दबिश वहां दी गयी।

श्री रियासत हुसैन—

आपने कहा 9 आदमी नामजद थे और मधु के साथ 6 आदमी दफ्तर से गिरफ्तार किए गए। इनके नाम बतलाने की कृपा करें ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इनके नाम हैं 1—कुमारी मधु, 2—रामलखन, 3—राजेन्द्र, 4—हरीश कुमार, 5—रमेश बहादुर, 6—द्वारिका प्रसाद।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 147, 353, 332, 307 तो 332 और 307 संगीन दफायें हैं। 6 अभियुक्त थे। इनमें से कुमारी मधु की जमानत हो गयी। तो एक ही

अभियक्त की जमानत होने का क्या कारण है ? हमारा कहना है कि क्या पुलिस ने उनको बुरी तरह से मारा-पीटा था ? इसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत कर दी ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, 27 को घटना में दुर्व्यवहार की शिकायत की गयी है । कुमारी मधु अदालत में पेश हुयीं । अदालत का फैसला स्पष्ट है--"अभियुक्त कुमारी मधु एक महिला हैं अतः मामले के गुणावगुण पर बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए हुए मैं यह निर्देश देता हूं कि कुमारी मधु को उसके द्वारा 3000 रुपए का एक मुचलका व इसी धनराशि के दो जमानतीगण प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जायेगा । मान्यवर, यह अदालत का फैसला है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत में पेश होने के बाद अदालत में कुमारी मधु ने यह नहीं कहा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि कार्यालय में दबिश दी गयी तो वहां के लोगों और पुलिस में झगड़ा हुआ । तो दबिश के समय पुलिस कितनी थी । मंत्री जी ने बताया कि उन लोगों के पास छड़ों के अलावा और हथियार थे तो यह कौन से हथियार थे ?

श्री गुलाब सेहरा--

दबिश के समय श्रीमन्, पुलिस अधीक्षक नगर, निरीक्षक, कोतवाली व अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद थे ।

(शोर)

कई सदस्य--

पुलिस दल की संख्या कुल कितनी थी ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस कांड की चर्चा क्षेत्र के दिल्ली अखबारों में भी हुयी थी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अखबारों में मोहतरमा मधु ने अपना इन्टरव्यू दिया था तो क्या तब तक उन्होंने अपना डाक्टरी मुआयना करा लिया था या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, अखबारों में जो निकला है वह इन तिथियों में निकला है 28, 29, 30, 31 और पहली को और मेडिकल जो कराया उन्होंने वह 5-8-82 को ।

श्री हुकम सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बयान के सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि कुमारी मधु ने किसी से भी कोई शिकायत अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की नहीं की। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि 27 तारीख को श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में 70–80 व्यक्तियों का हरिपर्वत थाने के अन्तर्गत जो जुलूस निकला और जिस पर घोड़े दौड़ाये गए जहां पर एस० पी० सिटी, श्री रस्तोगी व एस० पी० (सिटी), श्री अलेकजेन्डर मौजूद थे, जिसमें कुमारी मंजू को घायल कर दिया गया और जो बेचारी तीसरे दिन मर गयी। यदि माननीय मंत्री जी के यह सारी घटना संज्ञान में है, तो 27 तारीख को जो जुलूस निकला, उसमें उन प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें थीं, यह बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी क्या यह प्रश्न आपके समझ में आया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो बहुत लम्बा किया है जब कुमारी मधु हरि पर्वत थाने ले जायी गयीं तब करीब साढ़े 8 का समय था, तब उस वक्त थाने पर पुलिस अधीक्षक, नगर, सी० ओ०, नगर और सिटी मैजिस्ट्रेट और एक मैजिस्ट्रेट मि० आर० सी० माथुर भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा वहां 6 पुलिस सिपाही और पुलिस अधीक्षक, नगर भी मौजूद थे।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आप दुबारा प्रश्न कर लीजियेगा, मैंने बदन सिंह जी को बुला लिया है आपको बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

अब आप जो कुछ भी कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा।

श्री बदन सिंह—

मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में लिखा है कि इस अपराध में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्य श्री अनिल सहित 7 व्यक्तियों को नामजद रिपोर्ट की गयी, क्या उसमें इनके निवास स्थान लिखे हैं ? यदि लिखे हैं तो पुलिस ने निवास स्थानों पर गिरफ्तारियां क्यों नहीं की ?

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दे दिया हैं और बता दिया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय मन्त्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि 27 तारीख को जब मधु अरेस्ट होकर थाने गयीं तो मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे । कुमारी मधु जिस समय अरेस्ट होकर थाने पहुंचो, उस समय उन्होंने मैजिस्ट्रेट को क्या बयान दिया था ?

श्री गुलाब सेहरा--

इस घटना में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यही है कि थाने में भी बयान मधु ने नहीं दिया, अदालत में भी उनके वकील ने सिर्फ जमानत की दरखवास्त दी और कहीं यह नहीं कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की बात कही थी । मान्यवर मैंने कह दिया कि प्रश्न काल में व्यवस्था नहीं उठायी जाती । तो एक तो यह प्रश्न प्रहर नहीं है ।....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

बार-बार व्यवस्था आपकी पीठ से दी जा चुकी है कि समाचार-पत्रों में छपी हुई बातों को आधार नहीं मान जा सकता । माननीय सदस्य, आगरा ने बड़ी गम्भीरतापूर्वक प्रश्न किया कि जब तक दिल्ली के अखबारों में यह बात नहीं छप गयी थी कुमारी मधु की डाक्टरी नहीं हुई थी । आपने कहा कि 27-28 तारीख को यह हुआ था, तो आपकी जानकारी का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

समाचार-पत्रों के आधार पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैंने व्यवस्था का उत्तर आपको दे दिया ।

श्री हुकम सिंह--

आपने जो उत्तर दिया है, कुमारी मधु ने लखनऊ में आकर क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह डिप्टी सेक्रेटरी (होम) जिसने सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की सिफारिश की है कि मुझे "हिन्दुस्तान टाइम्स" आगरा के अखबार में देखने को मिला है कि पुलिस का टार्चर सोशल वर्कर्स पर हुआ है । उन्होंने उक्त पत्र की कतरन को भेजते हुए सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी की बात का सुझाव दिया था।

श्री सत्य पाल सिंह--

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि संघर्ष वाहिनी के 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । क्या इस घटना में अनिल के घर के अलावा किसी और के घर

[श्री त्यपाल सिंह—]

बबिश दी गयी और जिस दिन छड़ों से इन लोगों ने मारा तो आपके पुलिस के लोग भी घायल हुए होंगे और उनको भी चोटें आदि आयी होंगी, तो क्या उनकी चोटों की जांच करायी गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

कोई घायल नहीं हुआ था ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें काफी प्रश्न हो चुके हैं । अब माननीया शिक्षा मंत्री आप अपना वक्तव्य दें ।

(शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री रियासत हुसैन—

यह इतना गम्भीर मामला है, आप एक प्रश्न मुझे करने दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें काफी प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

यह जो शिक्षा मंत्री जो पढ़ रही हैं आप पहले इनको बैठने के लिये कह दें, तब मैं प्रश्न करूं ।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री, कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री रियासत हुसैन—

एक प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि जो इन्होंने सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के लिये आदेश दिये हैं....

श्री लोकपति—

मेरा आपसे एक अनुरोध है कि यह परम्परा रही है कि यदि अध्यक्ष महोदय आगे की कार्यवाही ले लें तो पुनः पुरानी कार्यवाही पर कार्य नहीं होता । आपने शिक्षा मंत्री को आदेश दे दिया था कि वे अपना वक्तव्य पढ़ें ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं सिर्फ यह पूछता हूं कि आपने जो सी० आई० डी० की इन्क्वायरी किसी अखबार की कटिंग के आधार पर करने के आदेश दिये, तो वह पूरी कटिंग जो छपी है और जिसको आपके उप सचिव ने इतना इम्पार्टेन्ट समझा जिसके आधार पर सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के आदेश हुए वह पूरी कटिंग क्या है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के सामने वह प्रेस की कटिंग आयी थी और उन्होंने उसको देखा था और उसके बाद सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के आर्डर कर दिये ।

श्री रियासत हुसैन—

वही तो हम भी कह रहे हैं कि जो सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी के आर्डर हुए और वह मुख्य मंत्री के सामने भी आयी और जैसा कि आपने अभी कहा कि कोई चोटें नहीं लगी थीं।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूरी कटिंग को पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, सारांश ही केवल बता दें।

श्री लोकपति—

1-8-82 के अखबार में निकला था कि "पुलिस टार्चर आन सोशल वर्कर्स" यह हिन्दुस्तान टाइम्स में आया था। मुख्य मंत्री जी को वह अखबार दिखाया गया और उसी के आधार पर सी0आई0डी0 की इन्क्वायरी का आर्डर उन्होंने कर दिया। शासन ने हमेशा कहा कि उसे ऐसी कोई सूचना नहीं है। यह हुआ कि यह आदेश कैसे हुआ, तो यह आदेश मुख्य मंत्री ने खुद दिया जब कि उन्होंने ज्ञापन पाये बगैर ही समाचार पत्रों में पढ़ कर सी0आई0 डी0 जांच का आदेश दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

इसको अब समाप्त किया जाता है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित छात्रों के 30 प्रतिशत प्राप्तांक में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(6 बजकर 15 मिनट)

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

गोरखपुर विश्वविद्यालय में सामूहिक नकल के मामलों के निस्तारण हेतु कुछ विशेष व्यवस्थायें किये जाने का प्रयास किया गया, जिसे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति रुक सके और विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त व्यय भार भी न पड़े।

2—विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया कि यदि किसी केन्द्र के विरुद्ध केन्द्राध्यक्ष, आब्जरवर, केन्द्र निरीक्षक, उड़ाका दल अथवा परीक्षक ने यह रिपोर्ट दी है कि उस केन्द्र के किसी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में व्यापक रूप से अनुचित साधन का प्रयोग किया गया है तो इस प्रयोजन हेतु विषय विशेषज्ञों की गठित समिति परीक्षक की रिपोर्ट पर और यदि परीक्षक की रिपोर्ट नहीं है, तो परीक्षक द्वारा आरोप की पुष्टि होने पर पूर्णांक के 30 प्रतिशत तक अंक उक्त केन्द्र के परीक्षार्थियों के सम्बन्धित प्रश्न-पत्र या प्रश्न-पत्रों के अंक कम कर सकती है। इसी निर्णय के अनुसार कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1982 की परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित किये जाने में की गयी है। जहां से सामूहिक नकल की सूचनायें प्राप्त हुई वहां 30 प्रतिशत तक और कहीं इससे कम भी कटौती कर परीक्षाफल घोषित किये गये हैं। कटौती करने के बाद भी काफी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों में से जो छात्र पूरक परीक्षा के पात्र घोषित हुये हैं उन्हें पूरक परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी---]

3---पिछले साल भी परीक्षाफल घोषित करने में इसी तरह की कार्यवाही की गयी थी और कुछ छात्रों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कटौती के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कटौती सम्बन्धी निर्णय को युक्तिसंगत एवं वैधानिक घोषित किया।

4---गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में अशान्ति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने न्याय एवं व्यवस्था के हित में कार्यवाही अवश्य की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

यह तो 30 प्रतिशत अंकों की कटौती हो रही है, यह उन छात्रों की गलती का दंड दिया जाना है। यह कौन सा 'न्यायिक-सिद्धान्त' है जिसके आधार पर यह दंड दिया गया है? अगर कहीं सामूहिक या व्यक्तिगत नकल की शिकायत होती है तो पहले सम्बन्धित छात्र को शोकाज नोटिस दी जाती है और उसको जवाब देने का मौका दिया जाता है, फिर उसे जो दंड हो, दिया जाता है। हो सकता है कि किसी की गलती हो और किसी को दंड दे दिया जाय और जिसकी गलती हो उसे दंड न दिया जा सके। तो यह जो दंड दिया गया है छात्रों को वह किस सिद्धान्त पर आधारित है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

अगर किसी परीक्षा केन्द्र से यह सूचना प्राप्त हुई, उड़ाका दल की कि यहां परीक्षार्थियों द्वारा सामूहिक कापी की गयी है, तो छात्रों के हित में जो कार्यवाही की गयी है उससे किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य में कल्याण ही होगा।

श्रीमती गौरी देवी---

मान्यवर, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। 19 तारीख को पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया जिससे बहुत से लड़कों के हाथ-पैर टूट गये हैं और करीब 60-70 लड़के अभी तक जेलों में बन्द हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी उल्टा ही वक्तव्य दे रही हैं। सही यह है कि 30 प्रतिशत अंक काट लिये गये। छात्रों का भविष्य अन्धकारमय है। बिना किसी आरोप के 30 प्रतिशत अंक काट लिये गये....

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना दे रही हैं, कृपया प्रश्न करें।

श्रीमती गौरी देवी---

मैंने जो कहा है क्या यह सही है, इस पर आप माननीया शिक्षा मंत्री का उत्तर दिलवा दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सामूहिक नकल की महामारी, प्लेग की शुरुआत 1977-79 तक हुई और उसी महामारी को समाप्त करने के लिये यह तेज दवा दी जा रही है ताकि इसे जान से ही समाप्त कर दिया जाये और यह बीमारी खत्म हो। शिक्षा केन्द्रों में जो यह भ्रष्टाचार है, उसको सफाया करके ही यह सरकार दम लेगी।

श्री रियासत हुसैन—

दीदी ने तो चीफ मिनिस्टर का भी सफाया कर दिया ।

(हंसी)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, हर सेन्टर पर कुछ न कुछ अच्छ लड़के भी होते हैं, जो नकल नहीं करते, लेकिन उनके भी नम्बर काट लिये गये । तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि सभी के नम्बर न काटे जाया करें, जो दोषी पाये जायें उन्हीं के काटे जायें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जब सामूहिक नकल होती है तो सभी के काटे जाते हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन विद्यालयों से नकल करने की रिपोर्ट आयी और किन-किन के नम्बर काटे गये ? क्या सभी के यहां से नकल करने की रिपोर्ट आयी थी ? यदि नहीं, तो सभी के क्यों काटे गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, परीक्षा केन्द्रों से जो रिपोर्ट आयी, उस पर परीक्षा समिति ने विचार किया और यह निर्णय लिया ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह कहा गया कि आरोप जब सिद्ध हुआ तो 30 प्रतिशत नम्बर कार्ट गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि आरोप सिद्ध होने के लिये क्या क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रक्रिया यह होती है कि जब आब्जरबर या उड़ाका दल की यह रिपोर्ट आती है कि सामूहिक नकल हुआ है तो परीक्षा समिति उस पर विचार करती है और विचार करके निर्णय लेती है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि यह जो महामारी है सामूहिक नकल करने की, उसका समाधान करने के लिये यह सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है और यह खत्म करके रहेगी, इसी में छात्रों का हित है ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त किया जाता है ।

तहसीलदार गुन्नौर (बदायूं) के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं ।

माननीया सदस्य, श्रीमती प्रेमवती (बदायूं) के दिनांक 18 अगस्त, 1982 के एक तार के माध्यम से इस सचिवालय में यह सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक

[श्री अध्यक्ष—]

17 अगस्त, 1982 को जन समस्याओं पर बात करने हेतु गुन्नौर के तहसीलदार के पास सायंकाल 4 बजे जाने पर तहसीलदार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके सम्बन्ध में पुलिस में सूचना दर्ज कराई गई परन्तु पुलिस एवं जिला प्रशासन तहसीलदार का पक्ष कर रहे हैं। दिनांक 18 अगस्त, 1982 के ही दो वायरलेस संदेशों के माध्यम से बदायूं के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी ने दिनांक 17 अगस्त, 1982 को घटित उक्त घटना के सम्बन्ध में सूचना भेजी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि माननीया श्रीमती प्रेमवती, श्री रवीन्द्र सिंह और एक अन्य व्यक्ति (जिनके पास बन्दूक और रिवाल्वर थी), तहसीलदार गुन्नौर के न्यायालय में गई थीं और जब श्री रवीन्द्र सिंह से न्यायालय के बाहर जाने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने तहसीलदार को धमकी और गालियां दीं तथा न्यायालय के बाहर जाने से इन्कार किया। उक्त वायरलेस सन्देश के अनुसार जब तहसीलदार ने अपने चपरासी को श्री रवीन्द्र सिंह को बाहर ले जाने का आदेश दिया तो उन्होंने (श्री रवीन्द्र सिंह) तहसीलदार को गालियां दीं और उन पर हमला किया जिससे उन्हें चोट आयी।

इसके पश्चात् दिनांक 26 अगस्त, 1982 को माननीय श्रीमती प्रेमवती ने उक्त घटना के सन्दर्भ में गुन्नौर के तहसीलदार श्री खजान सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी, जिसकी एक प्रति उसी दिन माननीय राजस्व मंत्री को वस्तुस्थिति की जानकारी 3 दिन के अन्दर मेरे अवलोकनार्थ दिये जाने के अनुरोध के साथ, भेज दी गई।

आज इस सदन में इस प्रकरण को उठाया गया और माननीया सदस्या श्रीमती प्रेमवती ने आरोप लगाया कि यह बताये जाने पर भी कि वह विधायक हैं और जन समस्या पर बात करना चाहती हैं, उक्त तहसीलदार ने उन्हें अपमानित किया। इस प्रसंग में प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों एवं नेताओं ने तहसीलदार को विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान का दोषी बताया है। शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस मामले में तुरन्त जांच कराये जाने का आश्वासन भी दिया गया है और माननीय राजस्व मंत्री ने भी लिखित रूप से सूचित किया है कि आयुक्त, बरेली मंडल 28 अगस्त, 1982 को 12 बजे इस सम्बन्ध में जांच करेंगे तथा यदि माननीया विधायक महोदया स्वयं जांच के समय उपस्थित होना चाहें अथवा किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करना चाहें तो इस सम्बन्ध में उन्हें विधान सभा सचिवालय के माध्यम से सूचित कराने की कृपा करें। परन्तु जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, वर्तमान परिस्थिति में जब कि सदन में माननीया श्रीमती प्रेमवती ने कुछ ऐसे आरोप लगाये हैं, जिससे सदन में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अतः इस मामले में, जहां तक वह विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत से सम्बद्ध है, मैं समझता हूं कि सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित है। अतः विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत मैं यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के लिए निर्दिष्ट करता हूं।

अब हम उठते हैं और 30 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 29 मिनट पर सोमवार, 30 अगस्त, 1982 के दिन के 11 बजे तक के किए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27 अगस्त, 1982।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1-57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1151 पर)

ग्राम सभा पिपरा प्रथम विकास खंड सांथा, तहसील बांसी, जिला बस्ती में वर्ष 1981-82 में गृह अनुदान पाने वाले व्यक्तियों की सूची ।

क्रमांक	नाम व्यक्ति मय वल्दियत	अनुमानित क्षति (रुपये में)	दी गयी सहायता
		रु0	रु0
1	श्री शोकत अली पुत्र मोहर अली	1,000	100
2	श्री सितान पुत्र दूबर मार्फत श्रीमती जनिमती पत्नी	60	60
3	श्री सुघरी पत्नी नरेश	100	100
4	श्री केरू पुत्र भोजई	1,500	100
5	श्री अशरफी पुत्र केशव	100	100
6	श्री द्वारका पुत्र बेकारू	1,000	100
7	श्री चैतू पुत्र गोबर्धन	500	100
8	श्री जियाऊ पुत्र साहेबदीन	150	100
9	श्री कपुरा पुत्र भदई	50	50
10	श्री लखन पुत्र मुनेसर	1,000	100
11	श्री मुहब्बत पुत्र दरगाही	500	100
12	श्री शबद पुत्र पल्टू	100	100
13	श्री असगर पुत्र हुसेनी	100	100
14	श्री सालिम पुत्र दाहू	500	100
15	श्री बाबूलाल पुत्र बुद्धू	500	100

नोट--सभी मकानों को आंशिक क्षति हुई थी ।

पी0 एस0 यू0 पी0--36 विधान सभा--16-9-83--835 (पी0 डी0)

36 वि0 सभा--9